राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का तृतीय दिवस [संख्या ३

गुरुवार, दिनांक १५ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ५ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, कृषि एवं पंचायत–विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री गोविन्दसहाय।

विद्युत वितरण, गंगापुर

२. **श्रीगोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

गंगापुर कस्बे में खम्भे तथा तार लगाने का काम पूरा हो चुकने पर भी अब तक बिजली क्यों नहीं दी गई है तथा भविष्य में कब तक दे दी जावेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : यद्यपि गंगापुर में खम्भे व तार लगाये जा चुके हैं तथापि सवाई माधोपुर गंगापुर ३३ के. वी. लाइन व सवाई माधोपुर सब-स्टेशन का कार्य सम्पूर्ण न होने के कारण गंगापुर को बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी है। गंगापुर में अब बिजली सम्भवत: जुलाई-अगस्त, ६२ तक पहुंच जायेगी।

श्री गोविन्दसहाय : क्या यह सही है कि गंगापुर कस्बे को बिजली सितम्बर–अक्टूबर, ६१ तक देने की योजना थी ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : हो सकती है या थी ? क्या माननीय मंत्रीजी ने

(श्री भैरोंसिंह)

पिछले सत्र में इस प्रकार का आश्वासन दिया था ?

श्री हरिश्चन्द्र : हो सकता है, मैंने दिया हो। मुझे याद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : लाइन न लगाने का जो कारण बताया कि सब-स्टेशन का कार्य पूरा न होना था, तो यह क्यों अधूरा रहा जब कि ऑब्जेक्ट था कि वह पूरा हो जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : स्टील न मिलने के कारण।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

पीने के पानी की समस्या का समाधान

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या बीकानेर जिला परिषद् ने तृतीय योजना काल में जिले के २० स्थानों पर Exploratory Tube Well Organisation, Govt. of India. की सहायता से Boring कराने का प्रस्ताव रखा है ?

(२) क्या सरकार लूणकरणसर तहसील में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल boring करवाने की ओर कदम उठाने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी हां। २० स्थानों पर नहीं; किन्तु कुछ स्थानों पर बोरिंग कराने का प्रस्ताव है।

(२) यह भारत सरकार के भूगर्भ शास्त्रियों के विवरण (रिपोर्ट) पर निर्भर करेगा कि इस क्षेत्र में बोरिंग करना विवेकपूर्ण होगा।

श्री भीमसेन : क्या भारत सरकार का ऑर्गेनाइज़ेशन इस बारे में सर्वे कर रहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सहाय।

प्रधान, पंचायत समिति, सपोटरा द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये तकावी वितरण की जांच

४. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सरकार को विदित है कि पंचायत समिति, सपोटरा के प्रधान ने अपने परिवार के सदस्यों को अवैधानिक रूप से तकावी दी थी और उसकी जांच भी की गई थी ?

(२) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पंचायत मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : ऐसी शिकायत आयी थी। प्रारम्भिक जांच से प्रधान के रिश्तेदारों को तकावी स्वीकृत होना पाया गया।

(२) प्राथमिक रिपोर्ट में अंकित स्वीकृतियों के औचित्य की जांच करवाई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रारम्भिक रिपोर्ट में इस प्रकार के कारण पर्याप्त नहीं थे कि उस प्रधान को उस पद से हटाया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक दम हटाने का सवाल नहीं आता। कानूनी तरीके के अनुसार कार्यवाही की जानी है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या कानून में ऐसा तरीका नहीं है कि प्रारम्भिक रिपोर्ट में ही ऐसी बात पाई जाय तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कार्यवाही की जानी है वह की जायेगी। दुबारा जांच करवाई जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : जो जांच की है उसके आधार पर ही तो आप कह रहे हैं। जो एलीगेशन्स लगाये गये हैं वे सब भेज दिये गये थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो एलीगेशन्स लगाये गये थे उनमें से कुछ ही तथ्य पाये गये।

श्री भैरोंसिंह : जो तथ्य पाये गये तो हटाने का नोटिस दिया जा सकता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब ही दुबारा जांच कराने की आवश्यकता पड़ी है। मैं अभी इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि यह बता सकूं। जो सारा प्रोसीजर है जांच आदि का उसी के अनुसार काम होता है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो रूल्स में दिया हुआ है। आपने कहा कि तथ्य सही पाये गये, रिश्तेदारों को तकावी दी गई, उसमें यह है। तो क्या इस एक ही बेसिस पर हटाया नहीं जा सकता ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर हो जांच दुबारा हो रही है और जो आवश्यकता होगी उस अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार आवश्यकता महसूस नहीं करती कि जांच फिर कराये उस वक्त भी प्रधान के उसी पद पर बने रहने से वहां के रेकॉर्ड में हेरफेर किया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : तो क्या आपने बिना जांच के ही यह फरमा दिया कि कुछ सही तथ्य पाये गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कुछ प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी की। पंचायत ऑफिसर से इन्क्वायरी कराई उसमें कुछ तथ्य पाये गये।

श्री बृजेन्द्रपाल (करोली) : जांच कब की गई ?

(विराम)

महरावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): पूरी जांच की जावेगी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जांच ६. ५. ६१ को करवायी गई।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : तकावी देने का....

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न पहले पूछा जा चुका है उसका जवाब पहले हो जाय कि पूरी जांच की जावेगी या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दुबारा जांच करवा रहे हैं।

Page No. 4

श्री भैरोंसिंह : प्रारम्भिक रिपोर्ट के बाद दुबारा जांच के आदेश दिये तो उसमें डिटेल्स में क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वे डिटेल्स नहीं हैं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : प्रधान को मोअत्तिल करने की बात भी १२ महीने से सोची नहीं गयी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : दो-तीन महीने इलेक्शन्स आ गये थे। इधर आदमी लगे हुए थे। पूरा क्रम डेट्स का मेरे पास नहीं है।

श्री भीमसेन : प्रधान ने स्वयम् ने दी है या कमेटी ने दी है तकावी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जो प्रोसीजर होता है उसको पूरा किया होगा या नहीं, यह दुबारा जांच कराने पर पता चलेगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : दुबारा जांच कब तक होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : डेट कहना तो मुश्किल है।

श्री सतीशकुमार (बानसूर) : अब तक जांच न होने का कारण भी तो होना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जल वितरण की दरें

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में जल वितरण की दरें क्या हैं ? अलग अलग जिले की लिस्ट सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या सरकार ने इन दरों में बढ़ोतरी की है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(३) समय पर पैसा न चुकाने पर सरकार कन्ज़्यूमर से कितने प्रतिशत का ब्याज लेती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) मीटर रेट तथा फ्लेट रेट दोनों की अलग अलग लिस्टें संलग्न हैं।

(२) सिर्फ बीकानेर में फ्लेट रेट में बढ़ोतरी की गई है, जो कि लेबर तथा मेटीरियल की महंगाई के कारण तथा समस्त राजस्थान में फ्लेट रेट को एकसा करने की दृष्टि से की गई है।

(३) (क) जयपुर में प्रत्येक महीने की २५ तारीख तक १ रु. प्रति एक हजार गैलन चार्ज किया जाता है। यदि २५ तारीख के बाद दूसरे महीने की १० तारीख तक पैसा जमा करा दिया जावे तो २५ प्रतिशत पैनल्टी चार्ज की जाती है। यदि अगले महीने की १० तारीख तक भी पैसा न जमा कराया जावे तो ५० प्रतिशत पैनल्टी चार्ज की जाती है।

(ख) बीकानेर में अगर बिल के प्राप्त होने पर बिल प्राप्ति की तारीख से १५ दिन के अन्दर पैसा जमा न कराया जावे तो १२॥ प्रतिशत ब्याज चार्ज किया जाता है।

Page No. 5

(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)

(ग) दूसरी जगहों के लिये अगर बिल का पैसा निश्चित समय पर न चुकाया जावे तो क्या पैनल्टी या ब्याज चार्ज किया जावे, यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

श्री मुरलीधर व्यास : आपने प्रश्न (१) के उत्तर में बताया है कि फ्लेट रेट्स सब जगह एक हैं, लेकिन बीकानेर में ये रेट्स क्यों बढ़ाये गये हैं ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सारे राजस्थान में छः प्रतिशत रेट है। जहां रेट बढ़ाई गई है वह केवल मेटीरियल की मंहगाई के कारण और लेबर की महंगाई के कारण कुछ स्थानों पर बढ़ाई गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सारे राजस्थान में बढ़ाई गई है या केवल बीकानेर के लिये ही।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : समान दरें निर्धारित की हैं, समस्त राजस्थान को एक सा करने की दृष्टि से की गई हैं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो समान दरें निर्धारित की हैं उससे किसी स्थान पर दरों में कमी भी हुई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : किसी भी जगह की दरें कम नहीं हुई हैं। ये तो प्रोडक्शन वेल्यू पर दरें निश्चित की जाती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की थी कि जहां तक फ्लेट रेट का सवाल है सभी स्थानों के लिये समान दरें होंगी, तो फिर कुछ स्थानों के लिये रेट बढ़ा कर क्यों रखी गई हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : फ्लेट रेट तो सभी जगह के समान हैं। प्रति हजार गैलन पर कुछ स्थानों के लिये अलग हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो आपने ब्याज की दरें निर्धारित की हैं २५ प्रतिशत पैनल्टी के हिसाब से तो इससे किसी व्यक्ति का बिल पचास रुपये माहवार आया, अगर वह ड्यू डेट को बिल की रकम जमा नहीं करा सका तो उससे क्या पच्चीस प्रतिशत पैनल्टी ली जायेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो वही कह रहे हैं जो आपको लिख कर दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह तो ठीक है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि दूसरे विभागों में कहीं भी इतनी ज्यादा पैनल्टी नहीं ली जाती है; तो फिर इस प्रकार का नियम पानी के बिलों के भुगतान न करने पर किस प्रकार से कर दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर पैनल्टी नहीं ली जाती है तो बिल की रकम वसूल नहीं होती है, इस वास्ते पैनल्टी रखना जरूरी है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : Does the Government Charge interest ?

श्री मुरलीधर व्यास : सरकार की तरफ से अगर किसी को तनख्वाह पांच तारीख तक नहीं मिले तो क्या उस पर पैनल्टी लगाते हैं ? फिर आखिरकार यह जो नियम आपने

Page No. 6

(श्री मुरलीधर व्यास)

लागू किया है वह केवल पानी के लिए ही अन्य विभागों पर इस प्रकार का नियम है नहीं तो फिर केवल पानी के लिए यह नियम आपने किस दृष्टिकोण से लागू किया है ? क्या आप इसको ठीक समझते हैं ?

श्री हरिचन्द्र : आखिर आप चाहते क्या हैं ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह चाहता हूं कि जब राजस्थान के किसी विभाग में इतनी पैनल्टी नहीं है तो इस पर इतनी पैनल्टी क्यों लगा रखी है ?

श्री हरिचन्द्र : बिजली के बिलों पर भी है। बिजली के बिल यदि ठीक समय पर नहीं चुकाते हैं तो इसी प्रकार की पैनल्टी है।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोल) : अध्यक्ष महोदय क्वेश्चन अवर जो है वह केवल इन-फोर्मेशन सीक करने के लिए है, अपनी ओपीनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह जो माननीय सदस्य रेट्स के बारे में कह रहे हैं उसके लिए और भी समय आयेगा उस समय इस पर विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री रामसहाय (लालसोट) : यह जो फ्लेट रेट के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि सब जगह समान है लेकिन जहां पानी की सप्लाई के घंटे कम हैं वहां पर भी वे ही रेट्स हैं और जहां वाटर एबन्डन मात्रा में सप्लाई होता है वहां पर भी वही फ्लेट रेट है ?

श्री हरिश्चन्द्र : फ्लेट रेट सभी जगह समान है।

श्री रामसहाय : जयपुर में जहां वाटर सप्लाई चौबीसों घंटे होती है वहां भी वही रेट्स हैं और भरतपुर जहां चौबीस घंटों में सिर्फ चार घंटे वाटर सप्लाई होती है वहां भी वे ही रेट्स हैं, क्या सरकार इसको उचित समझती है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो पॉलिसी का सवाल है, आप क्वेश्चन पूछिये।

श्री भैरोंसिंह : पैनल्टी इम्पोज़ करने में जहां बीकानेर, जयपुर आदि में रेट्स के अन्दर अन्तर हैं क्या सरकार सभी जगह के लिए एक नियम नहीं बना सकती ?

श्री हरिश्चन्द्र : पैनल्टी की दरें सभी जगह एक हैं। फ्लेट रेट उन जगहों के लिए किया गया है जहां के लिए मीटर अवेलेबल नहीं हैं; वहां फ्लेट रेट लगाया गया है। यदि कोई फेमिली कनेक्शन लेना चाहे तो वह फ्लेट रेट पर ले सकती हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : ये जो रेट्स बढ़ाये गये हैं वे केवल उनके लिए हैं जो नये कनेक्शन लेते हैं या जिन्होंने अपने घर में पहले जहां दो नल थे वहां चार नल लगा लिये उन पर भी लागू किए गए हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बहस न करें।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां पानी का कन्ज़म्पशन पहले जितना ही है और केवल घर में दो—चार नल और लगा देने से आप रेट बढ़ा देते हैं, यह कहां तक उचित है ?

Page No. 7

श्री अध्यक्ष : फ्लेट रेट से आप अन लिमिटेड कन्ज़म्प्शन कर सकते हैं, उनसे तो उतना ही वसूल किया जायगा। यह इसलिए किया गया है जैसा कि मंत्री महोदय ने फर–माया कि मीटर्स प्राप्त नहीं हैं, इसलिए यह किया गया है ताकि जनता पानी के कनेक्शन से वंचित न रहे।

श्री मुरलीधर व्यास : वह तो ठीक है, लेकिन फ्लेट रेट को अधिक बढ़ाया गया है, यह किस हिसाब से बढ़ाया है और वह बढ़ाना कहां तक ठीक है ? या तो आप मीटर दीजिए नहीं तो रेट उतनी ही रखिए जितनी पहले से है।

श्री हरिश्चन्द्र : मीटर नहीं होने के कारण तो फ्लेट रेट लगाया है। जहां फ्लेट रेट लगाते हैं वहां अन लिमिटेड कन्ज़म्प्शन कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : कई स्थानों पर, जहां फ्लेट रेट लगाया गया है वहां पानी का खर्चा कम होता है, लेकिन फ्लेट रेट के कारण उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : फ्लेट रेट का मतलब ही फ्लेट रेट है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा निवेदन यह है कि जितना पानी का खर्चा आना चाहिए उतना ही आता है। इस फ्लेट रेट से पानी का कन्ज़म्प्शन तो कम होता है लेकिन पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा भी तो खर्च कर सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं तो यह आश्वासन चाहता हूं कि जो २५ प्रतिशत व्याज की दर लगायी गई है उसको राज्य सरकार कहां तक ठीक समझती है जब कि राजस्थान के किसी डिपार्टमेंट में इतनी दर नहीं है ? क्या मन्त्री महोदय इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): इसके साथ यह भी बात है कि जहां पानी की सप्लाई केवल चार घंटा ही होती है और जहां पानी की सप्लाई २४ घंटा होती है दोनों के लिये समान फ्लेट रेट किस प्रकार से रखे हैं, इस बारे में भी आप पुनर्विचार करने का आश्वासन देंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या जो नल का कनेक्शन नहीं मांगते उनके भी नल लगाया जाता है या उनके खुद के मांगने पर नल लगाया जाता है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस बारे में जबरदस्ती नहीं की जाती है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है या किसी के लिये अपवाद भी है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब पर समान रूप से लागू है।

श्री हरिदेव जोशी : क्या रूलर्स के लिये विशेष सुविधा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री हरिदेव जोशी : यह प्रश्न इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। जब सब के लिये यह

(श्री हरिदेव जोशी)

नियम समान रूप से लागू है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि रूलर्स को क्या विशेष सुविधा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : सब पर नियम तो समान रूप से लागू हैं, किन्तु कॉवेनेन्ट के अन्दर यदि किसी को छूट दे रखी है तो उसका रेस्पेक्ट करना सरकार का फर्ज है ।

श्री हरिदेव जोशी : एरियर्स की वसूली भी न करना कॉवेनेन्ट में है क्या ?

श्री हरिश्चन्द्र : Mr. Speaker, Sir, this is a separate question which is not connected with this question.

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह बताया कि राजस्थान में सब लोगों के लिये एक रेट है; तो क्या प्रिन्सेज़ के लिये भी ये ही रेट्स हैं ? क्या उनके और पब्लिक के साथ रेट्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अगर कॉवेनेन्ट में कोई जिक्र नहीं है किसी पर्टिक्युलर प्रिन्स के लिये तो ये ही रेट्स उस पर भी लागू होती हैं । पर अगर कोविनेन्ट में जिक्र है तो उसके माफिक जो प्रिविलेज उनको दिया जाता है सरकार उसको ओनर करती है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह निवेदन करदूं कि कॉवेनेन्ट में नहीं होते हुए भी इन्टरेस्ट तक नहीं लिया जा रहा है किसी किसी प्रिन्स से ।

श्री हरिश्चन्द्र : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : क्या आपके पास में यह सूचना है कि कुछ प्रिन्सेज़ के एरियर्स काफी इकट्ठे हो गये हैं और वे उसे पे भी नहीं कर रहे हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मेरे पास यह सूचना नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : क्या आपके पास यह भी सूचना है कि पूरे वाटर वर्क्स के कितने एरियर्स हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र : यह तो अलग प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, मैं अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता । अलग से ये प्रश्न पूछेंगे तो मैं जानकारी करके उत्तर दे सकता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं, अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर ठीक तौर से जो जानकारी मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है, सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अकोर्डिंग टू रूल्स इस सवाल पर हाफ एन अवर डिस्कशन अलाऊ किया जावे ।

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को दुहरा कर पूछ सकते हैं और आपकी जानकारी में ऐसा कोई निश्चित मामला है कि जिनसे ठीक तरह से वसूली नहीं की जा रही है तो आप वह निश्चित प्रश्न पूछ सकते हैं और ये उसकी जांच करवा सकते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय यह डेफिनिट वे में इन्फोर्मेशन दें कि ये रूल्स हैं और जिनको कि सरकार ने शाया किया है वे राजस्थान के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं या नहीं, पर वे यह इन्फोर्मेशन नहीं दे सके हैं, पहली बात ।

(श्री हरिदेव जोशी)

दूसरी चीज यह है कि वे यह भी नहीं बतला सके हैं कि एक्स प्रिन्सेज के साथ में और दूसरी जनता के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है ।

तीसरी चीज, वे यह भी नहीं बता सके हैं कि अमुक कैटेगरी के लोगों का इतना एरियर बकाया है या नहीं है । तब ऐसी सूरत में यह सवाल का जवाब काफी अधूरा रह जाता है ।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : यह कटौती का प्रस्ताव हो रहा है या सवाल हो रहा है ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह प्रश्न हो रहा है, आपको जानकारी होनी चाहिये ।

श्री मानसिंह महार : इतनी डिटेल में हमे भी ले जाने की कृपा करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि विभाग पैनल्टी वसूल करता है और व्याज वसूल करता है । जो कुछ भी वसूल करता है वह अगर कोई नहीं देता है तो आप उसका कनेक्शन काट देते हैं; उसी तरह जिन एक्स रूलर्स ने पे नहीं किया है और जिनमें काफी एरियर बकाया है, क्या उनमें से भी किसी का कनेक्शन आपने काटा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैं अभी इसका उत्तर नहीं दे सकता; आप अलग से प्रश्न करें, मैं इसकी जानकारी करके उत्तर दे सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न नहीं हैं । आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं । इसकी जानकारी इसी समय देने का प्रश्न नहीं होता । अगर कोई विशेष कैटेगरी है तो इसको आप और तरह से पूछ सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : तो माननीय मन्त्री महोदय को साफ कहना चाहिये कि यह सब पर लागू नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : वे तो कह रहे हैं सब पर लागू है ।

श्री हरिश्चन्द्र : ये रूल्स सब पर लागू होते हैं । पर अगर किसी के साथ कोवेनेन्ट किया हुआ हो और उसमें कोई ऐसी चीज रखी है तो वह प्रिविलेज सरकार मानती है और उसको पूरा करती है ।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल का उत्तर 'अगर-मगर' में नहीं होकर डेफिनिट होना चाहिये कि अमुक के साथ में अमुक चीज है और अमुक कैटेगरी के साथ में अमुक चीज है ।

श्री मानसिंह महार : मन्त्री लोग सवाल का जवाब बहुत टालते हैं। 'अगर, मगर' में जवाब उनको नहीं देना चाहिये । पर यह हमारे पर भी लागू है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मन्त्री महोदय क्या यह बताने को कृपा करेंगे कि जो पैनल्टी जनता पर लगाई गई है वह राजाओं पर भी लगाई जावेगी उसी रूप में ?

श्री हरिदेव जोशी : This House is entitled to know which is the privileged class ?

कौनसी कैटेगरी के साथ रियायत हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : This is a subject of a separate question.

श्री हरिदेव जोशी : No, Sir, you will kindly excuse me......

श्री मुरलीधर व्यास : यह सप्लीमेन्टरी है और सप्लीमेन्टरी का जवाब भी उसी रूप में मिलना चाहिए।

श्री हरिदेव जोशी : और मंत्री महोदय को वैल प्रिपेअर्ड आना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : यह तो सब के लिए कहा है कि सब पर लागू है। अब सप्लीमेन्टरी यह है कि राजाओं पर लागू है या नहीं है। इसका जवाब पूछा है, तो यह जवाब तो मिलना ही चाहिए।

श्री हरिश्चन्द्र : सवाल का जवाब नहीं दिया है, यह बात नहीं है। अगर कहीं कॉवे-नेन्ट के अन्दर इस तरह की बात रखी गई है तो उस प्रिविलेज का पालन करना सरकार का फर्ज हो जाता है।

श्री हरिदेव जोशी : पर उसमें सभी के साथ यह है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मन्त्री महोदय ऐसा कोई उदाहरण दे सकेंगे कि जिस प्रकार से साधारण नाग-रिक के साथ पेमेन्ट की अवहेलना करने पर जो पैनल्टी की कार्यवाही की गई उसी प्रकार से किसी भी एक्स रूलर के साथ राजस्थान में इस प्रकार की कार्यवाही की गई हो ?

श्री हरिश्चन्द्र : इसके लिए अलग से प्रश्न किया जावे। मैं जानकारी करके बता सकूंगा। इस वक्त मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित सप्लीमेंटरी नहीं है। और सारी जानकारी एक साथ ही दे दें, यह सम्भव भी नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दो दो लाख की बकाया है, हम जानते हैं; पर फिर भी उनका कनेक्शन चालू है और जनता में किसी के साथ मामूली रकम भी बकाया हो तो पैनल्टी लेते हैं और कनेक्शन काट देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आप जानते हैं तो पूछ लीजिए कि अमुक के दो लाख बकाया हैं। आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये न।

श्री हरिश्चन्द्र : आप अलग से प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : आप, गवर्नर की तरफ से कहता हूं....

श्री अध्यक्ष : No more Questions Order ! Order please !!

(विराम)

प्रश्न समाप्त हुए।

(११. ३० म. पू.)

सभापति तालिका में मनोनीत सदस्य

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम ६(ए)के अन्तर्गत मैंने निम्न व्यक्तियों को सभापति पद के लिये मनोनीत किया है :—

(श्री अध्यक्ष)

(१) राव श्री नारायणसिंह-मसूदा ।

(२) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

द्वितीय विधान सभा के विघटन से पूर्व प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन

सचिव, राजस्थान विधान सभा : मैं निम्नांकित प्रतिवेदन जो गत विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को सभा के विघटन होने से पूर्व प्रस्तुत किये जा चुके थे तथा जिनके राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २०५ के आधीन मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश भी दे दिये गये थे, सदन की मेज पर रखता हूँ :

(१) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का का २४ वां प्रतिवेदन जो जन सम्पर्क विभाग के सम्बन्ध में है ।

(२) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २५ वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति, १९५९-६० द्वारा प्रस्तुत खनिज एवं भूगर्भ विभाग से सम्बन्धित १५ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है ।

(३) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २६ वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति—१९५९-६० द्वारा प्रस्तुत वन विभाग से सम्बन्धित १३ वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है ।

(४) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २७ वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति—१९५८-५९ द्वारा प्रस्तुत पुलिस विभाग विषयक १०वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है ।

(५) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—१९६१-६२ का षष्टम् प्रतिवेदन ।

(६) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, १९६१-६२ का पांचवां प्रतिवेदन ।

सदन की मेज पर रखा गया राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्यपाल महोदय द्वारा, विधान सभा में १४ मार्च, १९६२ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति मैं सदन की मेज पर रखता हूँ ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(११. ४५ म. पू.)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव की प्रस्तुति एवं उस पर वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद । श्री नारायणसिंह मसूदा ।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूँ :

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं ।"

अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हम एक तीसरे आम चुनाव के दौर से गुजरे हैं और

(राव श्री नारायण सिंह)

इस आम चुनाव के साथ कई नये अनुभवों के साथ हम यहां आकर बैठे हैं । राज्यपाल महोदय ने भी बहुत ही सही ढंग से कहा है इस विषय में कि तीसरे आम चुनाव हाल में ही सम्पन्न हुए हैं जो कि इस देश में लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं और परम्पराओं की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना थी । समूचे जन समूह को जो बहुमूल्य अनुभव तथा शिक्षण प्राप्त हुआ है वह सामाजिक निर्णय के इस महान् प्रयोग का प्रमुख पहलू है ।

बिल्कुल यह सही बात राज्यपाल महोदय ने व्यक्त की है । यह सत्य है कि न केवल जनता को ही इन आम चुनावों से नये अनुभव और नये प्रयोग का ज्ञान हुआ है, बल्कि जो चुन कर आये हैं, जो चुने गये हैं उनको भी कई प्रकार के नये अनुभव और नई बातें मालूम पड़ी हैं ।

जन-जागृति का वास्तव में यह एक सुदृढ़ प्रमाण हमारे सामने उपस्थित हुआ है कि जो हम कहते थे कि अब भारतवर्ष का एक एक व्यक्ति, एक एक पुरुष और स्त्री इस भारतीय संविधान का मालिक है, यह जनतन्त्र की प्राप्ति के बाद पूरी तरह से जनता के सामने व्यक्त होता है । जो जनता अभी तक सुषुप्त प्रायसी रहती थी वह ५ साल के अर्से के बाद कम से कम सब ही अपने नुमाइन्दों से पूरी तरह लेखा-जोखा पूछतो है और वे नुमाइन्दे किसी जगह भी हों उनको उसका जवाब देना पड़ता है । जनता को कम से कम आज यह मालूम है कि चाहे वह भारत का प्रधान मन्त्री हो, चाहे कोई भी हो उसको ५ वर्ष के बाद अपना लेखा-जोखा हमारे सामने पेश करना होगा और जब वे उसको मान्य करते हैं तब ही वे आगे बढ़ पायेंगे ।

पहले आम चुनाव हमारे यहां हुए थे उस समय जनता एक हैरानी में थी । जनता को यह परिचय नहीं था कि ये आम चुनाव क्या हैं और किसलिये हो रहे हैं । कई गांवों में तो इस तरह की चर्चा चलती थी कि कहीं दुराज्य हो गया है या क्या होने वाला है और अगर इधर वोट दे देंगे अथवा उधर वोट दे देंगे तो उसकी क्या दशा होगी, सरकार के विरुद्ध वोट दे देंगे तो क्या होगा ? कहीं वह पाकिस्तान तो नहीं भेज दिए जायेंगे, इत्यादि इत्यादि । और ऐसा भी अनुभव हुआ कि चुनावों की पेटियों पर 'धूप-ध्यान' करके भी लोग अपने वोटों की पर्चियां रख कर चले गए । इस तरह की अवस्था उस समय जनता की थी । लेकिन दूसरे आम चुनाव जब हुए तब जनता में कुछ जागृति हुई और कुछ परिचय मिला इस जनतन्त्र का । इस परिचय के बावजूद भी जनता हर प्रकार की बातों से पूरी तरह वाक-फियत नहीं रखती थी । वह हर प्रकार की समस्या को नहीं समझ पाई थी कि पंचवर्षीय योजना क्या है । उसको इस बात का पूरा पूरा ज्ञान नहीं हो पाया था । पहली पंचवर्षीय योजना का लोगों को अनुभव केवल यह था कि शायद अकाल पीड़ितों के लिए कार्य शुरु हो गये हैं । इस अर्थ परिचय से और इस अर्ध जागृति से उन्होंने कुछ कार्य किये लेकिन जो पुराने तत्व थे उनकी अपील उसके लिए जोरदार थी, इस कारण वे जातिवाद और कहीं क्षेत्रवाद में फंस गये । आज जब कि तीसरे आम चुनाव हमारे सामने से गुजरे हैं जनता के अन्दर एक विशेष प्रकार की जागृति

(राव श्री नारायणसिंह)

थी, जनता अपनी समस्याओं को अधिक समझने लगी थी और खुशकिस्मती से हमारे इस राज्य में तीसरे आम चुनावों के पहले ही प्रजातन्त्र की बुनियाद ठेठ गांव और गांवों के घर घर में पहुंचा दी गयी थी। चाहे कोई सड़क पर घूमने वाला या मजदूर हो या खेत खोदने वाला किसान; उस तक भी वह रोशनी पहुँच चुकी थी और वह समझ गया था कि प्रजातन्त्र क्या है और उस प्रजातन्त्र में उसका दायित्व क्या है। उस सब चीज की मालूमात को लेकर जनता आगे बढ़ी और जनता के अन्दर कुछ बातें पूछने का हौसला भी हुआ और जो जो माननीय सदस्य चुनाव लड़ कर आये हैं उनको परिचय है कि जनता इस बार केवल कर्त्तव्य-विमूढ़ ही नहीं थी, बल्कि वह समझ सकती थी और उनसे पूरा लेखा-जोखा पूछ सकती थी। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसी बातें जरूर हमारी नजर में आईं, हमारे ध्यान में आईं कि जिससे मालूम होता था कि जनता के विचार कुछ दूसरी ओर चले गए और कुछ पुराने तत्वों, कुछ परम्परागत तत्वों की तरफ जनता का समर्थन हमें दिखा। वास्तव में इस समर्थन से यदि हम ऊपरी तरीके से विचार करें तो हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि जनता आगे बढ़ने के बजाय पीछे हट रही है। घड़ी में १२ या १ बजाने के बजाय ११ या १० बजाना चाहते हैं। अगर यह विश्व के इतिहास की साक्षी लेकर देखें और यहां की जो वास्तविक भूमिका है उसी का विश्लेषण करें तो हमें स्पष्टतया मालूम पड़ सकता है कि जनता जागृत थी, जनता ने कुछ संकेत हमारे सामने रखे थे और जनता ने यह भी सीख लिया था कि किन्हीं बातों की ढिलाई के लिए, किन्हीं बातों की कमी के लिए वह अपना रोष जिस जगह व्यक्त करने का स्थान मिला व्यक्त कर सकती थी। लेकिन आज हमें इस खतरे से घबराने की जरूरत नहीं है कि जनता का मस्तिष्क पीछे जा रहा है या आगे जा रहा है। यदि हम पुराने तत्वों को टटोलें, अपनी पुरानी परम्परागत बातों की तरफ नजर घुमायें तो वास्तव में किन्हीं खास मुद्दों के लिए नाराजगी व्यक्त की गई हो, ऐसी बात नहीं है, बल्कि उन तत्वों की तरफ विश्वास या प्रेम प्रकट किया है वह उनकी एक अमानुषिक मात्र अवस्था कही जा सकती है।

आम चुनावों के बाद जो नतीजा हमारे सामने आता है उससे भी अन्दाजा लग सकता है कि जितना भी वोटिंग हुआ है वह स्वयं राज्यपाल महोदय ने बताया कि ५२ प्रतिशत से ऊपर लगभग जनता बाहर निकलकर वोट दे पाई और अपना निर्णय लेने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर कर पाई। उसमें से कांग्रेस पार्टी को ४० प्रतिशत, स्वतन्त्र को १७.२ प्रतिशत और निर्दलीय व्यक्तियों को २०.२ प्रतिशत मत मिले। इससे हमारे सामने एक चीज स्पष्ट आती है कि अधिकतर जनता का विश्वास किस तरफ था या है और जहां जनता ने निर्दलीय व्यक्तियों को इतने मत दिये कि उनके आंकड़े २०.२ प्रतिशत आये तो वहां भी यह बिल्कुल स्पष्ट व्यक्त होता है कि वह इस या उस पार्टी के प्रोग्रामों के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं रखती थी और इसी कारण व्यक्ति विशेष की तरफ वह खिंची और ठीक यही मानस है कि जो कभी कभी जनता को जातिवाद अथवा क्षेत्रवाद की तरफ खींच

Page No. 14

(राव श्री नारायणसिंह)

लेता है। वास्तव में जब कभी क्रान्ति आती है देश में और पुरानी चीजें हटती हैं; जैसे कहा है, "Old order changeth yielding place to new." पुराने आॅर्डर जब चेन्ज होते हैं तो वह तभी होते हैं जब जनता उस पुराने आॅर्डर से या उन पुराने तत्वों से हैरान हो जाती है। उसी समय एक क्रान्ति आती है, एक जलजला आता है और वह जनता को राहत पहुंचाता है। लेकिन उस वक्त हमारे विश्व का इतिहास साक्षी देगा; अमेरिका, फ्रांस इत्यादि जहां भी प्रजातन्त्र कायम हुआ वहां की साक्षी से हम सचेत हो सकते हैं कि उस समय जनता की कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है जैसे एक व्यक्ति बहुत दिनों से भूखों मर रहा है और सहसा किसी ने उसके सामने लाकर रोटी रख दी हो। चाहे उसको उस समय ८ रोटी की भूख हो परन्तु वह २ रोटी रखते ही भूख मिटने से उसकी मरी हुई भूख जाग उठती है और वह हौसला करता है कि उसे २ रोटी ही नहीं बल्कि ६ और रोटियों की जरूरत है। आज वास्तव में इस देश में वही स्थिति है। क्रान्तिकारी पार्टी पुरानी चीजों को बदलकर आई है और अभी तक जनता केवल २ रोटी हासिल कर पाई है। लेकिन वह क्रान्तिकारी पार्टी भी अभी कुछ अनुभव प्राप्त कर रही है, कुछ ठोकरें भी खा रही है। ठोकरें खाने में कोई हर्ज नहीं है। जब मार्ग पर आगे बढ़ना होता है तो ठोकरें भी खाने को मिलती हैं और कभी लड़खड़ाना भी पड़ता है लेकिन उन लड़खड़ाने वालों को जो बैठे बैठे देख कर हँसना चाहते हैं; उनसे अधिक वह लड़खड़ाने वाला है हो जो लड़खड़ा कर भी अनुभव प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है।

ऐसी स्थिति में आज का विश्व साक्षी है कि जो क्रान्तिकारी पार्टियां आगे बढ़ती हैं उनमें भी कुछ अनुभव की और कुछ दूसरी कमियाँ होती हैं, फिर भी मुश्तैदी से २ रोटी हासिल कर आगे तीसरी रोटी के लिये साधन जुटाने का हौसला है सहज ही में कहा जा सकता है कि तीसरी रोटी जल्दी क्यों नहीं आई। लेकिन रोटी जुटानेवाला जाने या रोटी के लिये आटा लाने वाला जाने। तो इस प्रकार से कई दिक्कतों के बाद ही पूरी ६ रोटियें बाकी रहीं और कई प्रयासों से जुट पाती है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता अंततोगत्वा उत्तेजना के बाद भी सही सोचकर ही आखिरी बात सोचती है। जनता जनार्दन कही गई है। सबके मुंह से जो शब्द निकलते हैं वे जनता जनार्दन के वाक्य हैं। इस प्रकार जनता ने राजस्थान में ४०% वोट्स कांग्रेस को देकर अपना सही और आखिरी मंतव्य व्यक्त किया है।

इसके अलावा उदीयमान प्रजातंत्र में कई प्रकार के नये संकेत मिले, नये अनुभव मिले। कुछ तो पार्टीगत आपसी फूट है वह भी कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर गई जिसके कारण जितना परसेन्टेज कांग्रेस का बनना चाहिये था उतना नहीं बन पाया और कुछ ऐसी भी चीजें आई जो हमारे यहां दफ्तर की ढिलाई। अथवा दफ्तरी संगठन के दोषों की ओर इंगित करती थी। कुछ भ्रष्टाचार के भी मामले चुनाव लड़नेवालों के सामने आये। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात राजस्थान में यह थी कि विकेन्द्रीकरण जो प्रजातंत्र का हुआ उसने एक नई फिजां गाँव गाँव में पैदा करदी थी। जो गांवों में सुषुप्तप्रायसा संगठन था वह दो जागरूक दलों में बंटा और उस तरह से

Page No. 15

(राव श्री नारायणसिंह)

सोचने, समझने लगा। लेकिन सोचने और समझने में फिर भी संजीदगी की कमी रही। दो पार्टियें गांव गांव में बनीं, लेकिन कुछ मुद्दों पर बाद बहस, आपस में एग्री करना, रजामंदी लाना यह अब तक नहीं हुआ था। इस प्रजातंत्र के विकेन्द्रीकरण में यह कमी रही जिसका प्रतिबिम्ब आम चुनावों पर पड़ा और जिसके कारण कई पहलू बने, आपसी अथवा स्थानीय विद्वेष-अनुभव हमारे सामने आये। लेकिन आज जिस समय जनता भ्रष्टाचार के उपालंभ को लेकर हमारे सामने आई तो हमें यह कहने का हौसला था कि यदि आप भ्रष्टाचार को निर्मूल करना चाहते हैं तो चुनावों में भी आप ही की ओर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। इसको अगर आप निर्मूल नहीं करते हैं तो यह ठीक नहीं है। डिज़रेली के वाक्य हैं:

> "The people shall get the Government that they deserve."

आज हममें और हमारे बाहर, विधान सभा के बाहर हमें चुनने वालों में वह दृढ़ता, वह कार्यनिष्ठा, वह समझ, वह आत्मनिर्भरता और वह देश प्रेम नहीं है जो होना चाहिये जिसको लेकर हम प्रजातंत्र को हमारे पड़ोसियों की तरह सफल बनाने के लिये कटिबद्ध हो सकें। 'हमारे पड़ोसियों की तरह से' मेरा मतलब उन-पड़ोसियों से नहीं है जहां डिक्टेटरशिप छा चुकी है, लेकिन पड़ोसियों से मेरा मतलब उनसे है जिनसे प्रभावित होकर और प्रेरित होकर हमने हमारे कॉन्स्टीट्यूशन को बनाया है। इस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है।

लेकिन मैं कहूंगा कि विकेन्द्रीकरण हमारे देश का एक जबर्दस्त कदम जरूर था जिससे प्रजातंत्र न केवल विधान सभा या पार्लियामेन्ट में ही बना रह जाता था बल्कि वह आम जनता के सामने, गाँव के पटेल के स्थान पर आया और सड़क के मजदूरों के पास आया और उसको यह मौका दिया कि वह अपने स्थानीय मामलों में निर्णय लेने के बारे में सोच सके और विकास कार्यों में, निर्णय के बारे में अपनी अनुमति बना सके और गांव की भलाई के लिये कुछ कह सके तो कुछ अच्छाई के लिये भी मार्फत प्रस्ताव अपनी राय हमें यहां भी पहुँचा सके। आज से पहले वह जमाना था जिस जमाने में यह कहा जाता था, 'कोई नृप होय हमें का हानि।' ऊपर से कुछ भी कहा जाय उसका विरोध करने की बात नहीं थी, उसके लिये अपनी जबान नहीं खोल सकते थे, लेकिन अब जबान खुली है, पूरी तरह से, ऐसी स्थिति हमने आज पैदा की है तो हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमने वास्तव में प्रजातंत्र को नीचे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है।

मैं अभी अभी कह चुका हूं, प्रशासन की ढिलाई की ओर इंगित किया था। वास्तव में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ने के बाद प्रशासन के संबंध में सुधार होगा, इससे हमें संतोष मिलता है। मैं पिछली एसेम्बली में कई बार प्रशासन के विषय में सुझाव दे चुका हूं, कई बातें कह चुका हूं और आज मुझे संतोष मिलता है यह जान कर कि उसमें सुव्यवस्था और सुधार लाने के लिये और प्रशिक्षण के लिये एक हाई पॉवर कमेटी बनी हुई थी जिसकी सिफारिश से कई बातें कार्यान्वित हुई हैं जो गवर्नर महोदय के अभिभाषण के पैरा २६ में इंगित हैं। इसके अलावा जो उन्होंने इस पैरा में विशेषकर प्रशिक्षण का संकेत दिया है

Page No. 16

(राव श्री नारायणसिंह)

उसे मैं बहुत महत्व का समझता हूं। समस्त सेवा के प्रशिक्षण के बारे में हाई पॉवर कमेटी की सिफारिश के अनुसार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्कूलें बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा जोधपुर में जो फाउंडेशन कोर्सेज़ चालू किये गये हैं और नियमित रूप से रिफ्रेशर कोर्सेज चालू करने का जो विचार है उससे मैं समझता हूं प्रशासन में जो ढिलाई है, सुव्यवस्था और समन्वय की कमियें हैं वे इससे दूर हो सकती हैं और प्रशासनिक जो पुराने ढंग का ढांचा ढला था, ब्रिटिश काल के ढाँचे का प्रशासन था, जिस पर केवल सुरक्षा और अमन चैन रखने की ही जिम्मेदारी थी, उस प्रशासन के मुकाबले में आज के प्रशासन को कई प्रकार की व्यवस्था जुटानी पड़ती है कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जनता के सहयोग की बात सोचनी पड़ती है। उन की तैयारी के लिये इस प्रकार का प्रशिक्षण उपयुक्त होगा और इस प्रशिक्षण के बाद अच्छी तरह से वे काम कर पायेंगे, इसका मुझे विश्वास है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा तौर तरीके में जो प्रशासन की ढिलाइयां हैं उनकी तरफ राज्यपाल महोदय ने माकूल संदेश दिया है और उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि कार्य का उच्च स्तर बनाये रखने, 'विलम्ब' दूर करने व सरकारी दफ्तरों में कार्य-कुशलता को बढ़ाने की समस्याओं की ओर सरकार निरंतर ध्यान देती रही है। इससे आगे उन्होंने यह कहा है कि इसी उद्देश्य से सचिवालय में आर्गेनाइज़ेशन एंड मैथड्स का एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने यह भी आगे कहा है कि एक विशेष समिति का गठन किया जा रहा है जो इन सब पेचीदगियों को हल कर सकेगी और प्रशासन में वह दृढ़ता और तत्परता ला सकेगी जो विकास योजना के लिये उनके साथ कदम मिला कर चल सकेगी।

तो आज जो यह कदम उठाया गया है वह वास्तव में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम कह सकते हैं कि जो खराबियां हैं वे खराबियां हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन उसको कहते हुए हम केवल यह कह कर ही संतोष मान लें अथवा केवल कहने के लिये ही हम यह कह जाएं कि वह अनुचित है, वह अन्याय है। वास्तव में हमें वस्तुस्थितियों को सोचना पड़ेगा, हमको परिस्थितियों को सोचना पड़ेगा। बाहर के देशों में जहां से हमने अपने संविधान की प्रेरणा ली है वहां २०० वर्षों से प्रजातन्त्र कायम है और प्रजातन्त्र की व्यवस्थाओं के साथ प्रशासन किस प्रकार का व्यवहार रखे, यह सब वहां जमी जमाई बातें हैं, फ्रान्स और इंग्लैंड तथा और भी कई देशों में। लेकिन हमारा प्रजातन्त्र तो केवल १५ वर्ष का बालक है और वह १५ वर्ष का बालक लड़खड़ता-लड़खड़ाता अपनी सारी दुर्व्यवस्थाओं को सम्हालना चाहता है, उनको सुधारना चाहता है। कहने को तो हम कुछ भी कहें, लेकिन कल ही कुछ भी कर सकेंगे, यह सोचने की बात है।

आज भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा बात की जाती है और इसके बारे में पहले ही कह चुका हूं कि यदि हम भूमिका में से भ्रष्टाचार को नहीं निकालते हैं, यदि देश के अन्दर उस भ्रष्टाचार का कोई छिपा महत्व रह सकता है, अगर चुनने के मामले में भ्रष्टाचार की

(राव श्री नारायणसिंह)

आशा कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई छूमन्तर की गोली होगी जिससे उसको एक दम दूर कर दिया जायगा। वही तहसीलदार, वही गिरदावर, वही पटवारी, वही पुलिस का ऑफिसर, वही बड़े से बड़ा महकमे वाला, वही छोटे से छोटा महकमे वाला, उसी सारी भूमिका में पले हुए, उस भूमिका के ऊपर उठ कर जनता की कोई व्यवस्था को एक दम सम्हाल सकेंगे ? कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं। वे भी आखिर मनुष्य हैं और सम्हलते ही सम्हल सकेंगे।

इसके अलावा आज प्रशासन के सामने विकास योजनाओं के साथ कई प्रकार की पेचीदगियां हैं। उन पेचीदगियों के समझने में अर्सा लगेगा।

सबसे खुशी की बात आज इस प्रशासन के लिए कहते हुए गवर्नर महोदय के द्वारा पे स्केल्स के विषय में जो कहा गया है उसके ऊपर हमें हर्षित होना चाहिए। आज पे स्केल्स के बारे में जो अन्तर था उसके बारे में एक कमेटी बनी है और उन पेस्केल्स के सही प्रकार से बनाने की ओर कदम उठाया गया है। प्रायोरिटी आदि कई बातों को सही ढंग से बिठाने को कोशिश की गई है और मंहगाई भत्ते इत्यादि का पूरा पूरा ख्याल किया गया है।

अब यहां एक बात जरूर यह रह जाती है कि जो आज तक का प्रशासन था, जैसा कि पहले कह चुका हूं वह केवल सुव्यवस्था और सुरक्षा के लिये होता था। आज तक से मेरा मतलब यह है कि आजादी प्राप्त करने से पहले। लेकिन आज प्रशासन के सामने कई तरह की जटिल समस्यायें मौजूद हैं, विकास की समस्यायें मौजूद हैं और सर्वतोमुखी विकास होने की आवश्यकता हमारे सामने मुंह बाये खड़ी हैं। हमें न केवल सुरक्षा ही रखनी है, किन्तु हमारे देश में आर्थिक सुदृढ़ता भी कायम करनी है और स्टेट एन्टरप्राइज़ का क्या स्थान होगा, पब्लिक सेक्टर का क्या स्थान होगा प्राइवेट सेक्टर के साथ इन बातों की ओर सोच समझ कर कदम उठाना है। इसके साथ आज तक हमारा जो परम्परागत प्रशासन था वह केवल आइ० ए० एस० अथवा आइ० सी० एस० की उपाधि से सन्तुष्ट था। उसी से काम नहीं चलेगा। हमें कॉमर्शियल सर्विसेज़ खोलनी पड़ेंगी। स्टेट कॉमर्शियल सर्विसेज़ खोलनी पड़ेंगी जिनके अन्दर पारंगत होकर हमारे ऑफिसर्स आयेंगे जोकि स्टेट एन्टरप्राइज़ और पब्लिक सेक्टर को सम्हाल सकेंगे।

अर्थ साधनों की उपलब्धि की समस्या हमारे सामने बहुत बड़े रूप में आज हमेशा ही रहती है। कई प्रकार के साधन हम उपलब्ध करना चाहते हैं हमारे बजट को संतुलित करने के लिए, लेकिन उनमें जो बातें महत्वपूर्ण स्थान रख सकती हैं उनमें से स्टेट एन्टरप्राइज़ एक बड़ा भारी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पब्लिक सेक्टर का बड़ा भारी स्थान है। अगर हम स्टेट एन्टरप्राइज़ में वह तत्परता ला सकें प्रशासन के और दूसरे तरीकों से जिससे कि वह एन्टरप्राइज़ वह व्यापार व्यापार के ढंग से चल सके और कम्पीटिशन को सामने रख कर चल

Page No. 18

(राव श्री नारायणसिंह)

सकें। मोनोपोली सिस्टम को ही सामने रख कर वह कदम नहीं बढ़ावें तब वह तत्परता हमारे स्टेट एन्टरप्राइज़ में आ सकती है और उससे हमारे साधनों में काफी इजाफा हो सकता है। तो उसके लिये अलग एक प्रशासन का ढांचा होना चाहिए। आई० सी० एस० के केडर की तरह, आई० ए० एस० के केडर की तरह, आई० पी० एस० के केडर की तरह एक अलग केडर होना चाहिए कॉमर्शियल सर्विसेज़ का जो इन बातों का इन्तजाम करने की कुशलता के साथ काम कर सके; जो इन बातों को समझ सके। इस कल्याणकारी राज्य में जब कि हम समाजवादी समाज का ढांचा निर्माण करना चाहते हैं यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारा पब्लिक सेक्टर इस प्रकार का बने। चाहे प्राइवेट सेक्टर को उससे एतराज हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर यह कहे कि हमारा स्थान न्यून हो रहा है; फिर भी पब्लिक सेक्टर को आम जनता पर केवल इस प्रकार से थोप सकेंगे कि आम जनता का विश्वास प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर पर अधिक हो तभी वह पब्लिक सेक्टर आगे बढ़ सकेगा।

गवर्नर महोदय ने खाद्यान्न की आत्म-निर्भरता तथा उत्पादन कार्यक्रमों को जो राज्य सरकार प्राथमिकता दे रही है उसकी ओर संकेत किया है। जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनसे हमें इसमें शंका नहीं है कि आत्म-निर्भरता की ओर हमने खुले दिल से बहुत मजबूती से कदम उठाया है। उसमें कुछ ठोकरें लगी हों लेकिन उन ठोकरों के बावजूद हमारे पैर अच्छी तरह से रुपे रहे हैं।

(१२.० म.)

आत्मनिर्भरता का जो नक्शा हमारे सामने आया है और राज्यपाल महोदय के ही वाक्यों में, उसके मुताबिक अब उत्पादन ३७.४५ लाख टन से बढ़ाकर ४५.५२ लाख टन हो गया है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आखीर तक हमारे खाद्यान्नों का आंकड़ा आया है और इसके साथ साथ सिंचाई क्षेत्र में इजाफा हुआ है; वह १३.३५ लाख एकड़ ५१–५२ में था उससे लेकर २५.७१ लाख एकड़ १९५८–५९ का सिंचाई के क्षेत्र का हमारे सामने मापदण्ड आया है। यह कोई कम बात नहीं है। यही नहीं हमने खाद्यान्नों का एक्सपोर्ट भी किया है। खाद्यान्नों का बहिर्गमन ५६–५७ से लेकर ५९–६० तक ६४.६२ लाख मन हमारे यहां से हो पाया है। उस स्थिति में हम खाद्यानों को इस राज्य के बाहर भेज सके हैं। राजस्थान तो वैसे ही रेगिस्तान की अवस्था में था और बाहर के देशों में जो उत्पादन होता था उसको खाकर निर्भर रहता था। लेकिन आज १५ वर्ष की आजादी के बाद यदि हमने कुछ आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और आंकड़ों के हिसाब से यदि हमने कुछ निर्यात की तरफ ६४.६२ लाख मन तक भेजने की ओर कदम बढ़ाया है तो वह हमारी एक बड़ी भारी प्रगति की द्योतक है। यह प्रगति कोई कम नहीं है। भाखरा, चम्बल व राजस्थान नहर हमारे सामने हैं। और हमारे सामने बन रही हैं और राजस्थान नहर के विषय में तो बड़े बड़े अनुमान हैं। आज राजस्थान नहर के बन जाने से राज-स्थान यह भी एक समय डींग हांक सकेगा कि न केवल वह अपना ही पेट भरेगा बल्कि वह सारे देश के लिए एक प्रकार से खाद्यान्न

(राव श्री नारायणसिंह)

का भंडार बन जायगा और इस विषय में जो हमारे सामने आंकड़े आये हैं वे इस प्रकार हैं कि राजस्थान केनाल से इर्रिगेशन पोटेन्शियलिटी जो बढ़ेगी वह ३३.२६ लाख एकड़ होगी। वह ३६.२४ लाख एकड़ होगा और भाखरा केनाल से ५.७० लाख एकड़ होगा और चम्बल केनाल से ५.३० लाख एकड़ का हिसाब बनता है। इस हिसाब से वास्तव में हम खाद्यान्न के विषय में तो काफी प्रगतिशील हैं ही और पूरी आशा हमें हैं कि यह राजस्थान केनाल और यह भाखरा इत्यादि सारी की सारी दूसरी योजनायें जब कार्यान्वित हो जायेगी तब वास्तव में ही राजस्थान हमारे इस सारे भारत देश का एक अन्न भण्डार कहलाने योग्य हो जायेगा। अब यहां कुछ शिकायतें ऐसी आती हैं कि हमारी कीमतें, कन्ज़्यूमर इन्डेक्स कुछ हिला और वह ऊपर की दिशा में चढ़ने लगा, उसका ग्राफ ऊपर बढ़ने लगा। उसके विषय में यदि हम इस बात को भूल जाते हैं कि योजना के कार्यान्वियन में साधनों के जुटाने में जो दिक्कतें आती हैं उनको अलग रख कर अगर हमारे राजस्थान की जनसंख्या का हिसाब लगायें तो वह करीब डेढ़ करोड़ से बढ़ कर दो करोड़ से ऊपर जा रही है। उसका भी हमें अकाउन्ट लेना पड़ेगा, उसका हिसाब भी लगाना पड़ेगा। आज जो हमारे यहां रोटी खाने वाले मुख हैं; जब वे इतने बढ़ रहे हैं तो वह भी देखना होगा रोटी या अन्न की पैदावार के रिश्ते में और मान लीजिये उदाहरणार्थ कि १०० एकड़ कहीं उपज बढ़ती है और १२० एकड़ जितने खाद्यान्न उत्पादन की मांग जितनी आबादी बढ़ जाती है तो वहां की प्राइसेज़ ऊपर जायेंगी ही, वहां कीमतें ऊपर जायंगी ही, यह एक मामूली अर्थशास्त्र है। इसलिए इसकी शिकायत करने वाले केवल शिकायत करने के लिए शिकायत करते हैं, वे शायद इन प्राइसेज़ का क्या ट्रेन्ड हो सकता है, क्या इकोनोमिक ट्रेन्ड हो सकता है, उस पर गहरा विचार नहीं करते हैं। या तो वे करते नहीं हैं या करना चाहते नहीं हैं। जब देश विकासोन्मुख है और तत्परता से विकासोन्मुख है, जब वह स्ट्रक्चरल या आमूलचूल प्लानिंग से अभिभूत है, जब कई आर्थिक परम्परायें संशोधित हो रही है और जब हम फंक्शनल नहीं, स्ट्रक्चरल प्लानिंग में जुटे हुये हैं और इसी कोशिश में हैं। इसके साथ ही साथ हमारे सामने है इस प्रगति से बढ़ती हुई आबादी का सामना करते तो किस प्रकार प्राइसेज़ को स्थिर कर सकते हैं।

आज भी छपना अकाल प्रसिद्ध है। उस समय जो प्राइसेज़ थीं उनसे आज दस गुना, बीस गुना भाव ज्यादा होंगे तो भी संवत् १९५६ के अकाल में जितने आदमी मर गये थे, उतने आज नहीं मरे हैं क्योंकि आज कई प्रकार के साधन हैं जिनसे कि उनके पास रोटी पहुंच सके, उनके पास दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं पहुंच सकें, वे भाव अगर पीछे आवें तभी स्वराज्य आवेगा या रामराज्य आवेगा, यह कहना वास्तविक तथ्यों की तरफ से आंख-मिचौनी करना होगा। वास्तव में सारे विश्व में आज बढ़ती हुई आबादी के साथ, आर्थिक परम्पराओं के बदलने के साथ, सामाजिक परम्पराओं के बदलने के साथ सारे विश्व में ऐसे असरात हैं जिससे विश्व में जो प्राइसेज़ आज से दस साल, बीस साल पहले थीं वे आज नहीं

(राव श्री नारायणसिंह)

हैं। जो आज कन्ज़्यूमर इन्डेक्स रहे हैं, वह वे नहीं रहे। जो दूसरे इन्डाइसेज़ रहे हैं वे नहीं रहे। लेकिन अगर उन इन्डाइसेज़ (indices) और उन प्राइसेज़ को देख कर असंतोष मान लेंगे तो गलत होगा। हमें यह देखना होगा कि इन बढ़ते हुए इन्डाइसेज़ का कारण क्या है? और उनके साथ हम बराबर होड़ लगा रहे हैं प्रगति की, उत्पादन को या नहीं कि जिससे इन इन्डाइसेज़ का संतुलन ठीक तौर पर बैठा सकें? हमारे यहां खाद्यान्न के भाव दुरुस्त करने के लिए प्रयास नहीं किये गए, ऐसी बात नहीं; जो प्राइसेज़ इन्डेक्स १९५८-५९ में था वह ११९.६ का था। हमारे राज्य में कई रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स अपनाये गये, कई अन्न कोठार बनाये गये। कोऑपरेटिव कोठार बनाए गए। उनके द्वारा १९५९--६० में वह इन्डेक्स ११७.७ पर लाकर दिखाया जा सका है।

तो ऐसी चीज नहीं है कि आज केवल प्राइसेज़ बढ़ रही हैं। उन प्राइसेज़ में संतुलन बैठाने के लिए ऐसे रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स लिये जाते हैं, ऐसी अर्थ व्यवस्थायें बिठाई जाती हैं और उन प्राइसेज़ के बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने की ओर भी पूरा पूरा हमारा ध्यान दिया जाता है और इस विषय में गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाषण में सुस्पष्ट रूप से आंकड़े दिये हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज हमारे यहां जहां निजी उत्पादन ३-३ प्रतिशत सालाना बढ़ा है वहां हमारे सारे भारत का जो पर्सेंटेज है इस विषय में, निजी उत्पादन के विषय में, वह ३.१ पर्सेन्ट का है। हमें इससे संतोष मानना चाहिए कि हमारे सामने कई प्रकार की उलझनें होते हुए, जो कि देश के लिए सामान्य हैं, हमने २ परसेन्ट अधिक निजी उत्पादन किया है। इसके साथ साथ प्रति व्यक्ति आय १९५८-५९ के प्राइस लेवल के ऊपर १९५५-५६ साल से १९५९-६० तक ९ रु० प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो इस बढ़ोतरी को भी हमें मद्दे नजर रखना चाहिए जब हम कन्ज़्यूमर इन्डाइसेज़ और प्राइसेज़ की बात करें।

इसके साथ इस भाषण में टैक्सेशन के विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि अगर टैक्सेशन का स्तर, टैक्सेशन के आंकड़े देखे जायं दूसरे राज्यों के मुकाबले के अलावा तो जब कि हमने १२ परसेन्ट तक की टैक्सेशन लिमिट सोची थी उसमें नये करों का सारा जोड़ लगाकर भी द्वितीय पंच वर्षीय योजना के आखिर तक राजस्थान का परसेंटेज बैठता है। इसके मुकाबले में बम्बई और दूसरे प्रान्तों में जो टैक्सेशन का लेवल है वह और ज्यादा है। इस समय मैं आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन विकास के प्रति, विकास के खाते में जो प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है उसमें राजस्थान का नम्बर छठवां अथवा सातवां रहता है और टैक्सेशन के अन्दर आठवां या नवां नम्बर सब राज्यों के मुकाबले में रहेगा। तो यह बिल्कुल सिद्ध होता है कि कम टैक्स लगाते हुए और खर्च, विकास के लिए जिस प्रकार इस पिछड़े हुए प्रांत में करना चाहिए, वह काफी किया गया है। अब इससे ज्यादा करने की बात होगी तो वह पैसा आयेगा कहां से? हमारा जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का प्लान था उसके अन्दर ३४९ करोड़ या ऐसा ही कुछ फिगर था जो याद नहीं, उससे अधिक

(राव श्री नारायणसिंह)

खर्च करने का हमने निश्चय किया था। वह हमने यहां से प्लान फ्रेम बनाया था लेकिन जब वह प्लानिंग कमीशन इत्यादि के सामने गया और वहां उसकी छान–बीन हुई तो उसको २५० करोड़ अथवा उसके लगभग घटाया गया। तो ऐसी स्थिति जब है जिसमें फोरिन एक्सचेंज की प्रोब्लम हमारे सामने आ जाती है, उत्पादन की प्रोब्लम हमारे सामने आ जाती है और दूसरी तरह की अनुभव की कमियां भी; ये सब समस्यायें जब हमारे सामने आती हैं और जब हम उनको सुलझाने में उलझे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में अगर हमने जो लेखा लगाया, उसके बराबर नहीं मिले और उसका पौन हो मिले तो अगर यह स्थिति के होते हुए भी हम विकास की तरफ ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसके फिगर्स मैं अभी समया-भाव से नहीं बताना चाहता। हमारा टैक्सेशन लेवल जब विकास के खर्च से प्रति व्यक्ति कम उतरता है तो हमें सचमुच यह मानना चाहिए कि हम काफी तत्परता और मुस्तैदी से इस राज्य के प्रति व्यक्ति की आय के स्तर को और साधनों के स्तर को और आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश में तन्मय हैं।

खाद्यान्न के बाद बिजली और इन्डस्ट्रीज़ आते हैं। बिजली वास्तव में आज के विकास के युग में सर्वांगीण रूप से; चाहे कृषि में लें, चाहे व्यापार में लें, चाहे उद्योग में लें, किसी भी क्षेत्र में किसी भी आर्थिक विकास के क्षेत्र में लें, एक रीढ़ की हड्डी है, एक प्राण संचार करने वाली वस्तु है और उसको उपलब्ध करने में भी जो हमारी सरकार ने प्रयास किये हैं चम्बल योजना के मार्फत और भाखरा के मार्फत, उससे साढ़े तीन लाख किलोवाट से अधिक बिजली हमें उपलब्ध होगी और इस हाइड्रो-इलेक्ट्रिक बिजली का संचार इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के कई हिस्सों में हो जायेगा; कोटा से चल कर, राणा प्रताप सागर से चलकर; भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और इधर भाखरा की योजनाओं से चलकर जयपुर के उत्तर प्रान्त में खेतड़ी की धातु माइन्स में और गंगानगर, बीकानेर इत्यादि स्थानों में संचरित हो जायगी। तब हमें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि इस सीमित अवस्था में हमने बिजली इतनी उपलब्ध कराई है लेकिन इसमें एक बात अवश्य जरूरी है कि जब हम बिजली अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास में जो मौलिक डेटा होना चाहिये उसमें थोड़ी कमी अखरती है और वह डेटा हमारे पास में पॉवर का पूरा होना चाहिये, सर्वे होनी चाहिये कि गावों में कितनी बिजली चाहिये, कृषि के लिये कितनी बिजली चाहिये और उसके अलावा शहर में कितनी बिजली की आवश्यकता है। इसका अगर हम पूर्व सर्वेक्षण कर पावें तो हम योजना-बद्ध प्रक्रिया से बिजली का प्रसार सब जगह प्रायोरिटी देते हुए कर सकेंगे।

हमें इस बात की खुशी है कि इस सम्बन्ध में कहते हुए राज्यपाल महोदय ने सतपुड़ा पर्वत पर एक थरमल पॉवर स्टेशन बनाने की, जो मध्य प्रदेश के साथ लगाये जाने का प्रोग्राम है, सूचना दी। मैं समझता हूँ कि यह ३॥ लाख किलोवाट अधिक हमें बिजली उपलब्ध करा देगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर के अलावा जो बिजली हमारे पास साध्य है वह थरमल पॉवर द्वारा प्राप्त है

(राव श्री नारायणसिंह)

वह है ही और इसके अलावा भी जो कोशिश हो रही है कि बिजली जहां नहों है वहां पहुंचाई जाए ।

इसके साथ साथ इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की बात बिलकुल प्रगतिशीलता की एक जरूरी बात है इसके लिये जो सूचना हमारे सामने राज्यपाल महोदय ने रखी है उसको दोहराने की कोई बात नहीं । बिजली मिलेगी और उससे इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन एक्सपेन्शन में काफी मदद मिलेगी । इसके साथ कोटा, उदयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा भवानीमंडी, जोधपुर में जो जो कारखानों की सूचना दी है उससे हमें उत्साहित होना चाहिये कि हम इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ेंगे । लेकिन इसके साथ साथ में यह भी कहना उचित समझूंगा कि यह भी आवश्यक होगा कि हम जो इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन का काम बढ़ावें उसमें सबसे पहले काम सही ढंग से यह सोच लेना चाहिये कि प्राइवेट सेक्टर को हमें इस प्रकार कितनी इमदाद दे देनी है और पब्लिक सेक्टर को किस प्रकार से प्रोत्साहित करना है । इस विषय में कुछ तो मैं कह चुका हूँ और यह महत्व की बात इसके साथ रह जाती है कि जहां प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहते हैं वहां प्राइवेट सेक्टर को आर्थिक सहायता का ही ख्याल नहीं करना है, वह सहायता बेतोल तो नहीं, उद्योग क्षमता के अनुपात में तो है और लेबर की समस्या तो वहां उलझती नहीं जा रही है, यह भी सतत् देखते रहना है जब लेबर और केपिटल दोनों के संघर्ष का रुख बनता है तो हमारे उत्पादन में बहुत ही बड़ा घाटा पड़ता है और हम देखते हैं कि कितनेही लोग बेकार और Industrial कपीसिटी में मौजूद हैं । इसलिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे यहां ट्रेड यूनियन है उनके रूल्स laws हैं उनको हर तरह से समय के तकाजे का ढांचा देना है । लेबर लॉज़ में जो अड़चनें और रुकावटें लेबर और कैपिटलिस्ट के रिश्ते और बर्ताव में आती हैं वे दूर हो सकें और जो श्रमजीवी श्रम करते हैं अपना श्रम दान और योग देते हैं उसमें पूंजीपति पूंजी बढ़ाने के लोभ में छद्म चोरी न कर सकें बढ़ाने में योग देते हैं उनको दोनोंको अपना अपना उचित प्रीमीयम अथवा लाभ मिल सके ऐसे ढांचे पर इन लॉज को ढाला जाना चाहिये । हमारे यहां लेबर ट्रिब्यूनल बनी हुई है । लेकिन जिस तरह से रेवेन्यू कोर्ट्स है उसी प्रकार से लेबर ट्रिब्यूनल्स को ऊपरी ढांचों के साथ जगह जगह labour courts बनाना भी आवश्यक है । लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिये जिससे लेबर और कैपिटलिस्ट संयुक्त होकर हमारे उत्पादन को बढ़ाने में पूरा परा योग-दान कर सकें ।

अब इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की बात कहते हुए मैं एक बात खनिज की ओर कह देना उचित समझता हूँ कि यह इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के साथ साथ जुड़ा हुआ है और खनिज उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे यहां राजस्थान में सारे देश के मुकाबले में बहुत काफी बड़ा भंडार है । ऐसी स्थिति में हमें इस बात की पूरी पूरी आवश्यकता है कि हम इस विषय में पूरे मुस्तैद हो जावें कि इसका विकास किस तरह हो । यह भी भाव जब

(राव श्री नारायण सिंह)

गवर्नर महोदय के भाषण में व्यक्त मिलता है उसका पूरी तरह से स्वागत करना उचित ही है। इसके अलावा जो कई प्रकार के खनिज हैं, उनका प्रयोग, उनका अनुसंधान करना आवश्यक है और मुझे खुशी है कि इस विषय में राज्य सरकार ने कई प्रकार के खनिजों का अनुसंधान करने के लिये कदम उठाया है लेकिन फिर भी हमें खनिज उत्पादन विकास में पूरी पूरी तत्परता रखनी होगी। इन्डस्ट्रियल एस्टेट्स को और ऐसे स्थानों को बिजली पहुंचाने की प्रायोरिटी देने के साथ साथ और भी कई बातों में उनको सहूलियतें देनी होंगी जिससे हम राजस्थान में इस दिशा में जल्दी पनप सकें। इस विषय में यदि मैं यह कह दूं कि अजमेर और ब्यावर के पास इस प्रकार के खनिज हैं जिनके बारे में मैं पहले भी एसेम्बली में निवेदन कर चुका हूँ उनका विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है और सुधार नहीं हुआ है, उनकी भी पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इस संबन्ध में मैं पहले कह चुका हूँ अपने भाषण में कि ब्यावर में इस प्रकार के खनिज आस पास में मौजूद हैं जिससे कई प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ चल सकती हैं और इसके साथ ही साथ जो न जलने वाली bricks होती है उसका नाम मैं भूलता हूँ, fire Proof उनका काम भी चालू हो सकता है।

इसके साथ ही अजमेर में इस प्रकार की मांग भी उठी थी सेरेमिक इन्डस्ट्रीज़ की और इसके लिये बिड़ला जैसी पार्टियों के लोग तत्पर हुए थे। मैं समझता हूँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया जायेगा। आखिरी बात इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की जो है और उसके बारे में मैं यह पहले भी कुछ कह चुका हूँ, जो इन्डस्ट्रीज़ डल पड़ी हैं, बन्द पड़ी हैं, जो फालतू पड़ी केपेसिटीज़ हैं उन्हें तो फिर से चालू करना चाहिये। जितना आगे आज टैक्स्टाइल प्रोडक्शन में होना चाहिये वह नहीं हो पाता है। कई टेक्स्टाइल मिलें बन्द पड़ी हैं, दुर्भाग्य से विजयनगर उनमें से एक है। मैं समझता हूँ, इस प्रकार की इन्डस्ट्रीज़ बन्द पड़ी रखने के बजाय ऐसी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिये कि या तो वे ही इन्डस्ट्रीज़ वाले चला सकें या दूसरी नई इन्डस्ट्री चालू हो। नहीं तो नवजात इन्डस्ट्रीज़ जो खड़ी हो रही हैं वे शैशवावस्था में ही खत्म हो जायंगी।

अब सहकारिता के सम्बन्ध में गवर्नर महोदय ने आंकड़े दिये हैं कि १९५१-५२ में सहकारी समितियों की संख्या ४,९०८ थीं, वहां ६०-६१ में १७,९७४ समितियां बनीं। हो सकता है, उनमें से कई सहकारी समितियां चल नहीं पाई हों, उनमें से कई आर्थिक संकट, व्यवस्था संकट से खत्म हो गई हों और इन १७ हजार में से अगर इस तरह की ७ हजार को निकाल भी दिया जाय तो भी १० हजार तो कम से कम हुई ही हैं और इस पर राज्यपाल महोदय ने इनसे जो गांवों की आबादी कवर हुई है उसके आंकड़े दिये हैं, ५१-५२ में जहां १.५ प्रतिशत आबादी कवर होती थी सहकारिता से, वहां आज २४ प्रतिशत कवर होती है। इन आंकड़ों को देख कर तो हमें प्रोत्साहित होना ही पड़ता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में जो हम

(राव श्री नारायणसिंह)

सहकारी क्षेत्र कायम करना चाहते हैं, जो को-ऑपरेटिव सेक्टर कायम करना चाहते हैं मानना होगा कि उसकी भूमिका में अच्छी प्रगति हो रही है ; पर इसके बारे में तनिक मात्र यह भी संकेत करना आवश्यक समझता हूं कि इस बढ़ती हुई सहकारिता के साथ ही साथ हम सहकारिता के जो कानून हैं उनमें आवश्यक संशोधन नहीं करेंगे तो हमारा आउट ऑफ डेट वह कानून ही शायद बढ़ते हुए कदम को रोक लेगा। प्रगति के साथ ही साथ इन कानूनों को भी अपना कदम बढ़ाना चाहिये और इन कानूनों में आवश्यक परिवर्तन होने चाहिये। यह बात भी आवश्यक है कि सहकारी समितियों की इतनी संख्या बढ़ गई पर सहकारिता की भावना गांवों में कितनी बनी, इसका भी सुचारू अंकन आवश्यक है। किस प्रकार की व्यावहारिक दिक्कतें सहकारिता में आती हैं; सहकारिता कहां और कैसे शुरू हो इन विषयों पर लिटरेचर छपा है पर वह इन विषयों पर पूरा प्रकाश डालने में कम रहता नजर आता है। यदि वास्तविक दिक्कत जनता की तरफ से सहकारिता के बढ़ाने में आ रही है तो वह क्यों आ रही है, इसकी पूर्ति कोरे आंकड़े देने से नहीं होती। इस प्रकार सही ढंग से विश्लेषण में हम अब भी खामी पाते हैं। तो आज सहकारी अधिकारी को हर स्तर पर ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिये कि सहकारिता की भावना को लोगों में कायम करने के लिये क्या कदम उठाये जाय; उसका उन्हें ठीक ज्ञान हो। सहकारी सेक्रेटरी, इन्सपेक्टर आदि रहते हैं उनको प्रशिक्षण देने के बारे में, सहकारी समितियों को कर्ज दिलाने के बारे में जो ब्याज, जो राशि मिलती है उसके बारे में पूरा पूरा ध्यान हमको देना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि यदि हमें सहकारिता को आगे बढ़ाना है तो मेरे स्वयं के छोटे से अनुभव के अनुसार सिंचाई की छोटी छोटी योजनाएं जहां बिजली उपलब्ध हो वहां इस प्रकार करनी चाहिये सिंचाई के माने में कि १०० एकड़ जमीन के बीच एक कुआ खोदें तो खोदने वाले धणी इसके लिये उत्साहित हों कि सहकारिता से वह कुआ खुदे, खेतों की सिंचाई सहकारिता से हो। एकदम सामूहिक बृहद् फार्मिंग करने को कोई तैयार नहीं है। इसलिये यदि इन छोटी छोटी चीजों से हम सहकारिता को प्रोत्साहन देते हैं तो फार्मिंग में भी सहकारिता की प्रगति पूरी पूरी हो सकेगी। उन्हें पम्प देने में, बीज देने में, कृषि क्षेत्रों में कुआ खुदवाने में उन्हें इस प्रकार की सेवा सहकारिता के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है। छोटे छोटे दायरे में, १००-१०० एकड़ के दायरे में कुए खुदा कर उसे ही केन्द्र बिंदु बनाया जाय तो यह ज्यादा प्रभावशील हो सकेगा। मार्केटिंग सोसाइटी की भी काफी प्रगति हो सकती है; उनकी दिक्कतों को यदि दूर किया जाय। इसके अलावा सहकारिता में सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वह यह है कि अगर सहकारिता की भावना लोगों में कायम करना है तो जो रोजमर्रा के काम हैं, जिनसे जनता का सीधा सम्बन्ध है उनमें सहकारिता की स्थापना आवश्यक है; जैसे जंगलों के ठेके हैं, खानों के ठेके हैं, इनमें सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाय। राज्य सरकार को इस ओर कदम बढ़ाना चाहिये। चाहे जैसी हालत में जंगलों और खानों के विषय में

(राव श्री नारायणसिंह)

सहकारिता कायम हो, ये काम सहकारी संस्थाओं को करने दिये जायं और इनको ये ठेके रियायतों पर दिये जांय । हो सकता है कि इस प्रकार आय में राज्य सरकार को कुछ नुकसान हो, पर आज हम जन-कल्याणकारी राज्य, समाजवादी समाज को स्थापना करना चाहते हैं तो वहां हमें केवल आमदनी का ध्यान नहीं रखना चाहिये । इसी संदर्भ में इर्रिगेशन रिटर्न्स के बारे में हुई बहस मुझे याद आती है । उस समय और कई बार मैंने इस सम्बन्ध में कई दफा कहा कि आज इर्रिगेशन के रिटर्न्स इस आशय से ही न लिये जायं कि सरकार को उनसे आमदनी कितनी मिलती है पर इस माप दण्ड के लिये जायं कि किस सिंचाई योजना के पीछे सोइल कन्जर्वेशन का कितना लाभ होगा, पानी का भूगर्भ स्तर कितना बढ़ेगा, आम उपज में कितना इजाफा होगा, इत्यादि–यानी डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सारे लाभका अंकन आदि बातें मैं सहकारिता के सम्बन्ध में चाहता हूं । जहां हमें सरकारी सैक्टर बनाने हैं वहां हम इस बात के लिए जावें कि राजस्थान सरकार की उस सेक्टर में आय का क्या हाल रहा फाइनेन्स डिपार्टमेंट की नजर से, ऑडिटर जनरल की नजर से वह गलत हो सकता है पर सिद्धांत के आधार पर सहकारिता को प्रोत्साहन उस नजर से नहीं मिलता है । हमारी आमदनी में दो-तीन साल के लिए घाटा होता है तो उसको हमें सहन करना चाहिए ; तभी हम सहकारिता सेक्टर बना सकेंगे । सीधे रूप में जनता से सम्पर्क रखने वाले कार्य हैं उनमें इसको प्रोत्साहन देना चाहिए, निर्माण कार्यों से बढ़ावा देना चाहिए । यदि रूल्स में खामी हो तो उनमें संशोधन करना चाहिए ।

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में काफी विषयों पर प्रकाश डाल चुका हूं । शिक्षा के सम्बन्ध में भी गवर्नर महोदय ने सूचनाएं दी है । इस सम्बन्ध में मैं अपना उत्साह जाहिर करूंगा । उन्होंने घोषित किया है कि ५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की आयु के १४.८ परसेंट बच्चे स्कूलों में जाते थे, ६०-६१ में यह प्रतिशत ४५.७ है । यों तृतीय पंच–वर्षीय योजना की समाप्ति पर इस आयु के ६८.४ प्रतिशत बच्चे भर्ती किये जाने की आशा है ।

इसके अलावा ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए भी ५ प्रतिशत से बढ़ कर १३.६ प्रतिशत तक बढ़ने का संकेत दिया है और आशा प्रकट की है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक २४.३ प्रतिशत तक बढ़ जावेगा ।

एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज जयपुर में खोलने की सूचना मिली है और उसके साथ साथ एक कृषि विश्व विद्यालय उदयपुर में खोलने का निश्चय कर लिया गया है । थोड़ा सा क्षेत्रीय आभास हम सब में आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि अजमेर में भी कोई विश्व विद्यालय खोलने की योजना की घोषणा होती तो अच्छा होता । लेकिन आज राजस्थान में किस प्रकार से इस ओर प्रगति हो रही है उसको देखते हुए मैं आशा करता हूँ कि अजमेर में भी वह होगा । अजमेर का गवर्नमेन्ट कॉलेज १२५ साल का है, डाइमन्ड जुबिली या जो कुछ हो वह भी वह मना चुका है । उसके बाद भी यदि वह कॉलेज ही रहे तो खैर । लेकिन अजमेर की

(राव श्री नारायणसिंह)

शिक्षा के स्तर को देखते हुए, शिक्षा के प्रसार को देखते हुए और इतने पुराने कॉलेजों को देखते हुए वहां भी किसी न किसी प्रकार की टैक्निकल अथवा और प्रकार की युनिवर्सिटी का साधन बनना चाहिये।

इसके अलावा जो स्कूलों का प्रसार हो रहा है, यदि मैं आंकड़े पढ़ने लगूं तो बहुत लम्बा समय लगेगा, प्रगति सन्तोषजनक हो रही है। कई जगह हायर सेकन्डरी स्कूल खुल रहे हैं और इतना तक देखने में आया है कि तीन-तीन मील के दायरे पर हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं। इस सब को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि मिडिल स्कूल, हायर सेकन्डरी स्कूल का जो सिलसिला बैठेगा वह राजस्थान में उत्तम होगा। हमें इसके साथ यह भी खयाल करने की आवश्यकता है कि प्रथम तो हम हायर सेकन्डरी स्कूल्स किस वक्त खोलते हैं ; मांग और मांग की प्रायोरिटी का ख्याल करते हैं या नहीं ? विभागीय नियम हैं प्रीरिक्वीज़िट कन्डीशन्स लेड डाउन कर दी गई हैं कि इतने बेसिक स्कूल हों, इतने मिडिल स्कूल हों तो हायर सेकन्डरी स्कूल हो, इतनी जन-संख्या कवर हो, इतने आठवीं कक्षा में बच्चे हों तो वहां खोलेंगे। इसमें हमें यह भी देखने की आवश्यकता है कि किस जगह किस विषय की मांग है। एक ही विषय सब जगह न हो। कहीं साइन्स, कहीं कॉमर्स, कहीं आर्ट्स, एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जावे। गवर्नमेन्ट की सेन्ट्रल स्कूल बनाने की स्कीम है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं और सराहना करता हूं। यह सेन्ट्रल स्कूल कई हायर सेकन्डरी स्कूलों के बीच में अनेक प्रकार के विषयों को लेकर होगा। आशा है राजस्थान सरकार इस बात के लिए तत्परता रखेगी कि वह स्कीम जल्दी से जल्दी कार्यान्वित हो। इसके साथ साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जहां जहां हायर सेकन्डरी स्कूल्स खोलने का विचार रखना है वहां इन्जीनियरिंग, जूनियर पोलि-टैक्निक और, एग्रीकल्चर से सम्बन्धित विषयों का स्कूल खोलने की प्रवृति होनी चाहिये। एक हायर सेकन्डरी स्कूल कहीं खोलते हैं तो दो पोलिटैक्निक, दो एग्रीकल्चर की स्कूलें उस एरिया या डिस्ट्रिक्ट में खोलें। इस प्रकार का नक्शा करना पड़ेगा, इस प्रकार का अनुपात बिठाना पड़ेगा। जहां संविधान से इस पर हम कटिबद्ध हुए हैं कि सारे राजस्थान को अनिवार्य शिक्षा जल्द से जल्द दी जावे और उस दृष्टि से हमें शिक्षा पर काफी खर्चा भी करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो पिछड़ी जातियां हैं जो विकट स्थान हैं वहां किस प्रकार से होगा, महिला शिक्षा को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जावेगा ; यह भी देखना आवश्यक होगा।

उसके साथ साथ यह भी देखना आवश्यक है कि हमारी जो बंधी हुई रकम है इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए उसमें तकनीकी शिक्षा के लिए अधिकतर कदम उठाये जावें। आज हमें डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, स्कूलों के अध्यापकों की जरूरत है। स्कूलें होते हुए भी हमारे पास अध्या-पकों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है,

(राव श्री नारायणसिंह)

कई डिस्पेन्सरीज़ खुलते हुए भी नर्सेज़ की भी कमी है। इस कमी को पूरा करना है। यह कमी कोई जान बूझ कर कमी नहीं हुई है। जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि हमें नई व्यवस्था को बिठाना है, साधनों के संकोच का भी ध्यान रखना है। उनको रखते हुए हम योजनाबद्ध पद्धति से ऐसे केन्द्र डॉक्टर्स, नर्सेज़ के लिए खोलने के लिए तत्पर हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना में उसका लम्बा-चौड़ा प्लान है। लेकिन इस निश्चय के साथ यह कोशिश भी करनी चाहिये कि शिक्षा की दूसरी मदों से कुछ खर्चा हटाकर तकनीकी शिक्षा की ओर ज्यादा लगाया जाय तो अच्छा होगा। मेडिकल कॉलेज के बारे में सूचना आई कि दो-तीन कॉलेज खुलेंगे तो मैं समझता हूं कि अजमेर जैसे दूसरे स्थान को भी अपना हिस्सा मिलेगा।

अन्त ही अन्त में शिक्षा के विषय में जो राज्यपाल महोदय ने स्कोलर शिप के बारे में कहा है कि अनेक प्रकार की स्कालरशिप्स दी जावेंगी, अच्छे लड़कों को बाहर भेजने के लिए भी उनको स्कोलरशिप दी जावेगी, बाहर वालों को भी यहां विशेष शिक्षा हेतु लाने के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा और इस प्रकार क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित नहीं होने दिया जावेगा जिससे राष्ट्रीय एकता कायम करने से हमारा कदम हल्का न पड़े; इन सबका मैं स्वागत करता हूं। अन्ततोगत्वा मैं यह कहूँगा कि प्रशासन की ढिलाई को यदि शोध कर दूर कर सकें। यदि हम भ्रष्टाचार के नुक्कड़ को रोध सकेंगे, उस पर काबू पा सकेंगे; यदि हम सर्विसेज़ में आत्म विश्वास कायम कर सकें; इन्डस्ट्रीज़ और लेबर का रिश्ता स्थिर कर उनको उत्पादन में पूर्णतया सक्षम बना सकेंगे; एक ही गाड़ी के दो पहियों की तरह उन्हें बना सकेंगे यदि हम लोग उन लगी इन्डस्ट्रीज़ को उनकी पूरी केपीसिटी तक चालू करने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेबर और प्रोटेक्शन की पोटेन्शियलिटी को बढ़ा सकते हैं और शिक्षा और सहकारिता के विस्तार की ओर हम समीचीन और सुचारु दृष्टि से कदम उठा सकते हैं। यदि हम रेवेन्यू और पुलिस को सुदृढ़ बना कर वहां की शिकायतों को दूर कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारी प्रगति जिस रफ्तार से हो रही है उसमें और भी निश्चित तेजी आने वाली है।

अन्त में मैं एक शब्द जो हमारी रेवेन्यू पोलिसी है उसके विषय में जोड़ना चाहूँगा। बिचोलिये साफ हो गये, काश्तकार को राहत मिली, खुदकाश्त करने वालों को प्रोत्साहन मिला और जमीन के पूरे उपयोग के लिए कानून बने। उसके साथ साथ यह भी हमें हृदय में बिठाना होगा, हृदय में बिठाना होगा व्यावहारिकता से अनुबद्ध कि जो भूमि संबन्धी सुधारों की शृंखलाएं हैं इतनी गहरी न दाब दी जांय कि जो कृषक वर्ग की गहराई में चुभ जाय और आम कृषक उत्तेजित हो उठें। इन बातों से हमें पूरी तरह आगाह रहना चाहिये। मैं इस संबन्ध में आपके सामने उदाहरण के तौर पर रखना चाहूँगा कि हमारा जो एक भूमि सुधार का कानून है उसकी धारा जो ६२ है लैण्ड रेवेन्यु संशोधन जिसके कारण कई दिक्कतें आई हैं उसके शोधनार्थ जहां तक मेरी जानकारी में है पूरा कदम उठाया जा रहा है उससे

(राव श्री नारायणसिंह)

जो दिक्कतें आज तक आई हैं वे दूर हो जायेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

इसके अलावा आबादी जमीन को डिक्लेअर करने के बारे में भी मेरा निवेदन है कि शहरी क्षेत्र में जो आबादी के लिये जमीन है उसके लिये पहले से ही कानून प्रभावशील है और कुछ जगहों पर तो जबरदस्ती भी जमीन बनायी है। यह मानी हुई बात है कि जहां टेक्निकली अबादी की जमीन डिक्लेयर नहीं हुई है और अगर उनकी दिक्कतों को रखा जाय तो वे एक प्रकार से अड़चन के रूप में महसूस होती हैं। मैं समझता हूं, अब इन बातों की ओर पूरा पूरा ध्यान देकर ठीक किया जायगा।

इसके साथ साथ जो हमारे प्रान्त में राजस्व संबन्धी रिफोर्म्स हुए हैं, उनमें मेरे ख्याल से हमारा राजस्थान अग्रणी ही रहा होगा। अब केवल आवश्यकता यह देखने की है कि उन रिफोर्म्स का इम्प्लीमेन्टेशन किस मुस्तैदी से और किस प्रकार से होता है और जो छोटी-मोटी त्रुटियां रह गई हैं वे किस प्रकार से दूर हो सकती हैं, इस ओर ध्यान देना है। इसके साथ साथ खेवटदारी और बिस्वेदारी प्रथा का उन्मूलन हमने किया, लेकिन हमें यह देखना है कि इस वर्ग में साधारण काश्तकार भी हैं जिनके पास दो एकड़ से लेकर चार एकड़ तक जमीन काश्त के लिये है जिनकी हैसियत केवल अपने काश्तकार की हैसियत से अलग नहीं है। इनको जहां बिचौलिया कहा जाता है वह किस प्रकार उचित है। इनको राहत पहुंचाई जानी अत्यावश्यक है। उक्त कानून का दायरा हमें ढाई हजार की आमदनी से नीचे नहीं उतारना चाहिये। इन छोटी मोटी बातों का ज्ञान तब होता है जब कानून बन जाता है। हम आशा करते हैं कि इसमें जो कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां रह गई हैं उनका अवश्य सुधार होगा।

इसी प्रकार से जो कुछ प्रगति सभी क्षेत्रों में सर्वतोमुखी हम कर पाये हैं इन दो पंचवर्षीय योजना काल में अगर उनको केवल आंकड़ों, की दृष्टि से ही नहीं, सही मायने में देखा जाय, जनता की जागृति के मायने में देखा जाय तो भी हमें पता चलेगा कि आज गांव गांव का विकास हो रहा है, जगह जगह सड़कें, स्कूलें इत्यादि बन रही हैं, आज स्कूलों को खुलवाने की तरफ लोगों की प्रवृत्तियां बढ़ रही है। सिंचाई योजनायें खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ रहा है, इन सब पर गहराई से विचार करते हुए जो कुछ भी त्रुटियां हमें नजर आती हों उनको संशोधित करते हुए हम बढ़ते देखे जांय तो हमें राजस्थान सर्वतोमुखी विकास नजर आना चाहिये और इससे सर्व साधरण को कुछ हद तक सन्तोष हुआ है, यह निर्विवाद तथ्य माना जाना चाहिये। यह बात सही है कि हमें इन सुधारों को लागू करने में दिक्कतें आई हैं, फिर भी जो कुछ और जहां सुधार करने की गुंजाइश है उसके लिये विरोधी पक्ष को उतावल एवं चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। आज हमने इस प्रकार के कदम उठाये हैं और हम आगे भी निरन्तर इस प्रकार के कदम उठाते रहेंगे जो कुछ हम लोगों ने प्रयास किया है, उसी से प्रभावित होकर जनता ने जागरुकता से अपने मताधिकार का उपयोग किया है: उन्होंने अन्धे होकर वोट नहीं दिया है। इसके साथ जो कुछ भी छोटी मोटी प्रतिक्रिया हुई वह केवल राजस्थान में ही है, यह बात नहीं, सारे विश्व में

(राव श्री नारायणसिंह)

इस प्रकार की बातें होती हैं। यह तो एक स्वाभाविक दौर है और वह दूर होगा; उसके साथ ज्यों ज्यों जनता शिक्षित हो तथ्यातथ्य पहिचानेगी हम प्रगति की ओर निरन्तर बढ़ें इसमें उन्हें सन्देह नहीं रहेगा। यह कहते हुए एक बार मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ सूचनायें हमें राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में मिली हैं; जिन प्रगतियों की ओर संकेत मिले हैं, जिन ढिलाइयों की ओर मार्ग-दर्शन मिला, इरादा है और जिन बातों के लिये आग्रह किये गये हैं उन सब के बारे में ध्यान रखते हुए उन सब बातों के लिये हम उनके प्रति आभार ही प्रगट करेंगे और कृतज्ञता का प्रस्ताव पारित कर भेजें, इसमें सन्देह नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह बहस आगे बढ़े इससे पहले एक बात मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है इस पर बहस करने के लिये चार दिन का समय निर्धारित किया गया है। उसमें वह भी समय शामिल है जिसमें मुख्य मंत्री व उनके साथी इस बहस का उत्तर देंगे। इसलिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस बहस के संचालन में एक तरह का सहयोग दें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके। यह स्वाभाविक है कि सभी पार्टीज के माननीय सदस्य और निर्दलीय माननीय सदस्य ज्यादा से ज्यादा बहस में भाग ले सकें। वह ज्यादा संभव तभी है जब कि माननीय सदस्य संक्षेप में अपने विचारों को रखें; ताकि अन्य सदस्यों को भी अपने विचार रखने का अवसर और समय मिल सके। एक तरीका समय निर्धारण का हो सकता है, जो समय उपलब्ध है एक समान तरीके से सभी पार्टियों को दिया जा सकता है अनुपात के अनुसार बांट दिया जाय और जो निर्दलीय माननीय सदस्य हैं और जो छोटे दल हैं उनका भी उसमें ख्याल रखा जाय। मैं यह आवश्यक नहीं समझता कि भाषणों पर समय का प्रतिबन्ध लगा दिया जाय। मेरे ख्याल से ऐसा करने की आवश्यकता न पड़े। इसलिये मैंने यह निवेदन किया है। जो माननीय सदस्य ज्यादा समय लेते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे अपनी पार्टी के समय में से समय ले रहे हैं। अगर वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी के सदस्य ज्यादा से ज्यादा तादाद में बोलें तो वे अपने समय का ध्यान रखें। मैं यह आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्यों का सहयोग इसमें मिलता रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस में भाग ले सकें।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि सब एक मत से मेरे मत का समर्थन करें।

माननीय अध्यक्ष, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है तीसरे चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र में और उसके अन्दर जो सरकार की रीति-नीति और इस कार्यकाल में जो सरकार ने काम किया है और जो हमारे प्रान्त की प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है उस सम्बन्ध में जानकारी दी है उसको देखते हुए यह स्पष्ट दिखाई देता है, वास्तव में इन दस सालों में विशेष रूप से राजस्थान की उन्नति हुई है। इसलिये यह अभिभाषण धन्यवाद के लायक है।

(श्री मोतीलाल चौधरी)

माननीय अध्यक्ष, मैं हाउस के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सन् ५२ के अन्दर प्रथम चुनाव के बाद इस सदन में जब आये थे उस समय राजस्थान की स्थिति क्या थी और आज क्या है ?

(१२. ४५ म. प.)

सन् ५२ में चुनाव जीत कर आने पर कांग्रेस की गवर्नमेन्ट बनी थी उस समय आज की तरह से ही एक मेम्बर अधिक था । ८१ और ७६ से सरकार बनी थी। पर तब की हालतों में और आज को हालतों में रात-दिन का फर्क हमें मिलेगा । उस समय लॉ और ऑर्डर की हालत विकट थी । डकैत पार्टियां बहुत थीं, जागीरों के जुल्मों से हालत बिगड़ी हुई थी, किसान को हक नहीं था जमीन पर, गांवों में लोगों के बच्चों की पढ़ाई के पूरे स्कूल नहीं थे, विकास की कोई योजनाएं नहीं थीं। आज ६२ में पार्टी की ताकत में कोई अन्तर नहीं। आज भी एक वोट का फर्क है, पर परिस्थितियों में बहुत अन्तर है । इस बार हमारे मतदाता बहुत जागरूक थे । पिछली बार की तरह रिएक्शनरीज़ इस बार अधिक नहीं आये। आज प्रोगेसिव पार्टियों की संख्या ज्यादा मिलती है विरोधी पक्ष में। कांग्रेस के मुकाबले में ऑपोज़िशन में आज जो आये हैं उनमें रिएक्शनरीज़ की संख्या कम है और जो हैं भी उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव के नजदीक आने को तैयार होंगे।

माननीय अध्यक्ष, मैं जो हालात का जिक्र कर रहा था उसमें पहले चुनाव के वक्त धन्यवाद प्रस्ताव के समय विरोधी पार्टी की तरफ से एक आवाज थी कि राजस्थान में लॉ और ऑर्डर मेन्टेन हो और यह भी प्रस्ताव आया था कि जीवन और न्याय रक्षा के लिये काम करने की जरूरत है, दूसरे कार्यक्रम गौण कर सकते हैं। पर आज वह स्थिति नहीं है । राज्यपाल महोदय ने तो इसका जिक्र दो-तीन लाइनों में ही समाप्त कर दिया है । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पैरा ३३ में जिक्र आया है कि १०७ डाकू पकड़े गये, ५ गोली से मारे गये और २ ने आत्म समर्पण किया, जब कि पिछली बार छः सौ, सात सौ डाकुओं का हजूम था और एक भी डकैत पकड़ा नहीं गया था। राजनैतिक डकैत थे। तो आज हम जब उस वक्त की और आज की स्थिति को कम्पेयर करते हैं तो बहुत अन्तर मालूम होता है ।

आज लॉ ऑर्डर की स्थिति ठीक है, गांव का किसान अपनी जमीन का मालिक बन चुका है। आज से पहले इसका कोई लॉ नहीं था। रेवेन्यू और टीनेन्सी लॉज पहले नहीं थे। वे बने और इसके अलावा सेटलमेन्ट भी कई जगह हुआ नहीं था । किसानों को अपने अनेक हकों की जानकारी नहीं थी, आज जानकारी है। इतना ही नहीं; पहले कुछ राज्यों के अलावा कई पुराने राज्यों में हालत यह थी कि राजघराने का हुक्म ही लॉ था। उनकी इच्छाओं के माफिक लॉ चलता था। आज यह स्थिति बदल गई है । आज किसान अपने खेत का मालिक है, इन्डस्ट्री में काम करने वाले मजदूर को प्रोटेक्शन है । जनता जागरूक हो गई है और जनता ने जिस जागरूकता के साथ इन चुनावों में भाग लिया है वह उनकी वास्तविक जागरूकता का द्योतक है। सरकार ने इसकी व्यवस्था को

(श्री मोतीलाल चौधरी)

थी और निष्पक्ष चुनाव कराये ।

माननीय अध्यक्ष, अब जब हम अपने देश का विकास देखते हैं और उसका संविधान देखते हैं और उस विधान में समाजवादी समाज रचना करने का निश्चय देखते हैं तो हमें यह सोचना है कि इस समाजवादी समाज के निर्माण में किन किन बातों की जरूरत पड़ती है । मेरे खयाल से हमें तीन मूल बातें लेकर चलना पड़ता है । राज्य की शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था है और तीसरी राज्य और समाज दोनों की आर्थिक व्यवस्था । इन तीन बातों के आधार पर राज्य चलता है और राज्य की जनता की उन्नति भी इन बातों पर निर्भर करती है ।

इस दृष्टिकोण से हम अपने पिछले दस सालों का लेखा-जोखा देखें तो हमारी पिछले दस सालों की प्रगति किसी से छिपी नहीं है । खिलाफ पार्टी में भी जो हैं वे भी मंजूर करेंगे कि जब हम राजस्थान से बाहर जाते हैं तो हम अपनी तारीफ सुनते हैं कि राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले लोकतान्त्रित विकेन्द्रीकरण की दिशा में कदम रखा है । हाउस में भले ही कितनी ही टीका करते हों; पर बाहर जब इस तरह से बातें सुनते हैं और राजस्थान की तरक्की की तारीफ सुनते हैं तो वे भी अपना सिर ऊंचा करते हैं । राजस्थान पहला राज्य है जिसने हिन्दुस्तान में सबसे पहले पंचायती राज्य कायम किया है । यही नहीं; जिस क्रम से हम चल रहे हैं उससे पंचायत राज्य, पांच पावड़िए हमने पूरे किए हैं । ग्रामराज्य, पंचायत राज्य, जिला पंचायत राज्य और असेम्बली में अपने प्रतिनिधि भेज कर राज्य सरकार बनाते हैं और इसी तरह पार्लियामेन्ट में अपने नुमाइन्दे भेजते हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दस साल पहले राजस्थान इस दिशा में सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता था । शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, जागीरी सिस्टम था । इन दस सालों में सारी व्यवस्था हमने ठीक की । राजस्थान इस मामले में अपने शैशव काल में ही था कि वह अग्रणी बन गया, सब राज्यों में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण करके । आज राजस्थान में यहां के निवासी करीब ७५ परसेन्ट लोग जो गांवों में रहते हैं जागीरदारों के नीचे नहीं हैं । नीति से अपना खुद का शासन चलाने के लिये और न्याय करने के लिये स्वयं जनता में से ही लोग पंच-सरपंच बन कर बैठे हैं । हिन्दुस्तान के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के इतिहास में उसके फ्यूडल सिस्टम से अगर राजस्थान के फ्यूडल सिस्टम का मिलान करें तो राजस्थान का फ्यूडल सिस्टम सबसे जघन्य और क्रूर था । उस स्थिति को कांग्रेस शासन ने बदला । हमारी स्टेट में—जोधपुर स्टेट में तो यहां तक था कि एक जागीरदार के पास में जुडिशियल पावर के साथ साथ जागीरी पावर और रेवेन्यू पावर भी थे । हालां कि यहां के फ्यूडल सिस्टम का इतिहास लिखा नहीं गया पर जहां का लिखा हुआ मिलता है उसके मुकाबले में यहां का फ्यूडल सिस्टम जघन्य और क्रूर था । पर दस साल के शासन में कांग्रेस ने इसे समाप्त कर दिया । बिस्वेदारी और जमींदारी भी समाप्त करदी । इस फ्यूडल सिस्टम से मुक्ति मिली । आर्थिक और सामाजिक

(श्री मोतीलाल चौधरी)

रूप से ही नहीं, राजनैतिक रूप से भी। गांवों के लोग अपने में से चुन कर पंच व्यवस्था कायम करने में सफल हुए हैं और मेरे ख्याल से महात्मा गांधी का ग्राम राज्य स्थापना का सपना सबसे पहले पूरा करने की दिशा में कर्मठ कदम राजस्थान ने उठाया है और इसके लिये राजस्थान सरकार हिन्दुस्तान में सबसे अग्रणी है और इसलिए वह धन्यवाद की पात्र है। इसीलिए इसकी सब जगह पूछ है और दुनिया के बड़े बड़े लोग यहां की विकेन्द्रीकरण की प्रणाली को देखने के लिये आते रहते हैं।

इसके बाद, अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमने देहातों में विकेन्द्रीकरण किया सत्ता का, उसी तरह अरबन एरिया में नगरपालिकाओं को भी स्वायत्त शासन देना है। इस हाउस में हमने इस पर विचार किया था और माननीय मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था कि नगरपालिकाओं के अन्दर भी सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तीसरी बार चुन कर आने पर कांग्रेस सरकार इस ओर कदम उठावेगी और २५ परसेन्ट लोग जो नगरों में रहते हैं उनकी शासन व्यवस्था उनके हाथों में सौंप दी जावेगी, जैसी कि हमने गांवों में की है। इससे गावों की उन्नति जैसी हुई है वैसी यहां भी उन्नति हमें करनी चाहिये।

साथ ही मैंने जैसा अर्ज किया था शासन व्यवस्था चलाने के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का हमने आधार लिया और उसके पांच पावड़िये पूरे किये, पर एक चीज जो मुझे और कहनी है वह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिये हमारे जो यूनिट्स हैं उनमें काफी खामियां रह गई हैं। कई यूनिट्स छोटे रह गये हैं, कई बड़े बन गये हैं। सरकार ने एक कदम बड़ा अच्छा लिया डिविजनों को समाप्त करने का। यह बेकार था, पोस्टल सिस्टम सा था। इसे समाप्त करके अच्छा ही किया। यह रीआर्गेनाइज़ेशन की दिशा में बहुत बड़ा कदम था और इसके लिये सरकार बधाई की पात्र है। अब जो हमारे २६ जिले हैं उनके छोटे-बड़े खण्डों को देखते हुए खर्चे की दृष्टि से भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सेज़ की दृष्टि से, काम करने वालों की एफीशियेन्सी और उनके प्रोमोशन आदि की दृष्टि से भी सुव्यवस्थित रूप से राज्य व्यवस्था चलाने के लिये भी उनमें परिवर्तन करना जरूरी है। मैं उदाहरण दूं और अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इसे ठीक करें। मान लीजिये सिरोही जिला है। इसकी जनसंख्या तीन लाख है और जयपुर की १७ लाख है, भरतपुर की ११ लाख है और कोटा की ८ लाख है। कोटा और नागोर की बराबर है, नागोर की भी ८ लाख है। पर कोटा और नागोर की तहसीलों को मिलावें। नागोर में ८ हैं और कोटा में १६। अगर एरिया मिलावें तो कोटा का ४ हजार स्क्वायर माइल है तो नागोर का ६ हजार स्क्वायर माइल।

इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो मेरे ख्याल से हाउस की जो एस्टीमेट्स कमेटी थी उसने रिपोर्ट दी है और एस्टीमेट्स कमेटी ने निर्णय दिया था और सरकार को मूव किया था कि

(श्री मोतीलाल चौधरी)

एक्सपेन्डीचर को कम करने की दृष्टि से नहीं बल्कि उसको और अच्छा करने की दृष्टि से कई बातों में तालमेल होना जरूरी है। आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिरोही और जयपुर का ग्रेड एक है, प्रमोशन की दृष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि सिरोही का कलेक्टर केवल ३ तहसीलों को देखता है और जयपुर के कलेक्टर को १६ तहसीलों को देखना होता है। इसी प्रकार से आप चूरू को देखिये, बूंदी को देखिये; सब के अन्दर आपको काफी अन्तर नजर आयेगा। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने डिविज़न्स तोड़े हैं और तोड़ने के बाद जो बधाइयां उनको इसके लिए मिली हैं, शासन का खर्चा कम हुआ है और हमारे अधिकारियों के अन्दर एफीशियेन्सी भी आई है तो मैं चाहूंगा कि हमारी शासन व्यवस्था की जो युनिट्स हैं उनमें एकता होनी चाहिए। इसके अलावा आप पंचायत समितियों को भी देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई एक लाख की आबादी की है तो कोई १। लाख की है और कोई चालीस हजार की ही है। इस दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो वहां पर ठीक ढंग से आने-जाने की व्यवस्था और दूसरी चीजें, सब को देखते हुए ठीक तरह से करना चाहिए जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में खर्चा कम पड़े और काम करने में सुविधा हो।

इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो मैं कह रहा था वह यह है कि शासन व्यवस्था के बाद जो बात आती है वह समाज व्यवस्था है और समाज व्यवस्था के बाद जो तीसरी बात आती है वह आर्थिक व्यवस्था है। किसी भी राज्य की जनता की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो मूल बात है वह यह है कि दुनिया के चाहे आप किसी भी कोने में चले जाइये ५ बातें मिलती हैं और पांच बातें हैं; कृषि, पशुधन, जंगलात, माइनिंग। ये चार चीजें हैं कि जिनके मार्फत कच्चा माल पैदा होता है और लेबर से प्रोडक्शन होता है और जो पांचवीं चीज किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करती है वह है इन्डस्ट्री। इन्डस्ट्री भी छोटी, बड़ी और मीडियम होती हैं। इन पांच चीजों के अलावा और कोई जरिया नहीं है कि जिससे हम आर्थिक स्थिति सुधार सकें। जिस राज्य में इन पांच चीजों की उन्नति होगी वह राज्य सब से ज्यादा उन्नतिशील राज्य होगा।

हमारे राजस्थान के अन्दर जितने भी साधन थे, हमारे पास जितना भी ट्रेण्ड स्टाफ था उसको देखते हुए और जो कम सुविधायें हमको उपलब्ध थीं उनको देखते हुए भी हमारे राज्य ने जो प्रगति की है वह सराहनीय है। यह उन्नति राजस्थान के अन्दर जो हुई है उसको देखते हुए अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं और यह बल्कि कोई अत्योक्ति न होगी कि इस तरह के पिछड़े हुए राज्य में जितनी प्रगति हुई है उतनी दुनिया के अन्दर किसी भी मुल्क ने नहीं की होगी। लोग हमारे राज्य को दूसरी दुनिया के राज्यों से कम्पेयर करेंगे, डेनमार्क से करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बताऊं कि डेनमार्क के लोग और

Page No. 34

(श्री मोतीलाल चौधरी)

दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं सेन्ट परसेन्ट शिक्षित हैं, परन्तु जिन हालात के अन्दर हमने उन्नति की है वह सराहनीय है। हमारे यहां सारे के सारे लोग अनपढ़ हैं। आपने देखा होगा कि पंच, सरपंच आज भी गांवों के अन्दर पढ़े-लिखे नहीं मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि जिन हालात का हमारा किसान है वह अनपढ़ होते हुए भी जिन परिस्थितियों के अन्दर रहते हुए हमने प्रगति की है वह सराहनीय है। इतने अनपढ़ किसान होते हुए भी हमने इस तरह की उन्नति की है जो किसी भी राज्य ने नहीं की। आज, इतना ही नहीं बल्कि उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के जरिये से लेकर उनके प्रोडक्शन को सेल करने के जरिये तक की जो व्यवस्था की है वह इतनी जल्दी कदम उठाया है वह भी एक नमूना है।

अभी प्रस्तावक महोदय बोल रहे थे सहकारिता के ऊपर। उस समय कह रहे थे कि सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, उसके अन्दर पहले से ज्यादा एफीशियेन्सी आई है, यह सब कुछ उन्होंने अपने भाषण में प्रकट किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन के सामने यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर सहकारिता में जितनी प्रगति हुई है और खास करके किसानों से सम्बन्धित सहकारी समितियों में वह सराहनीय है। हां, उद्योगों से संबंधित जो भी सहकारी समितियां थीं उनमें हम अग्रणी ही नहीं हुए, लेकिन किसानों से सम्बन्धित जितनी भी क्रय-विक्रय सोसाइटीज़ हैं वहां पर किसान लोग अनपढ़ होते हुए भी हम जिस तरह से बढ़े हैं और हमारे जो उसकी ओर बढ़ने की स्पीड है वह दुनिया में किसी भी स्टेट के आंकड़े उठाकर देख लें तो इतनी स्पीड किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगी.........

श्री मानसिंह महार (आमेर) : हियर! हियर !! 'दुनिया' में !!!

श्री मोतीलाल चौधरी : इसका उदाहरण माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस प्रकार से दूंगा कि हमारे सामुदायिक विकास मंत्री जो भारत सरकार के हैं उन्होंने एक सेन्टेन्स में कहा था, जिस गति से आप बढ़ रहे हैं सहकारिता में वह शायद हिन्दुस्तान में कोई भी देश नहीं बढ़ रहा है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको पूरा करने में राजस्थान सरकार सफल होगी, ऐसी आशा करता हूं। यह उस समय का सेन्टेन्स है जब कि ३ साल पहले हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के कोऑपरेटिव मिनिस्टर मिस्टर डे. राजस्थान में आये थे। उन्होंने अपने अध्ययन के बाद यह एडमिट किया था कि हम बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और जिन हालात में हम हैं उनमें हमने औरों के मुकाबले में ज्यादा प्रगति की है। अगर कोई उदाहरण बॉम्बे, मद्रास या आन्ध्र का दे तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां १९३५ में असेम्बली बनी थी और वहीं पर कोऑपरेटिव का मूवमेन्ट १९०५ में हुआ था और यहां हमारे राजस्थान के अन्दर १९५२ में हम एक्ट पास करते हैं। उसके बाद में ही यहां हुआ है, जो कुछ यहां हुआ है और उसके बाद में ही प्रगति हुई है। हो सकता है कुछ समय पहले सप्लाई स्टोर्स खुल गये

(श्री मोतीलाल चौधरी)

हों, लेकिन किसानों को ऋण देने की व्यवस्था और बैंकों के खुलने की व्यवस्था उस समय तक नहीं हुई थी जिस समय तक कि हमने पहले पहल कोऑपरेटिव का एक्ट पास नहीं किया था। जो प्रगति हमारी हुई है वह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहूंगा। उससे स्पष्ट होगा कि हम किस गति से आगे बढ़े हैं। १९५१-५२ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की टोटल संख्या ४,६०० थी, वह अब १९६०-६१ में १७,९७४ हो गई। पहले मेम्बरशिप १९५१-५२ में १ लाख थी वह अब ६ लाख हो गई है। शेयर केपीटल १९५१-५२ में ५१ लाख का था और अब १९६०-६१ में ४६० लाख हो गया। इसी तरह से लोन एडवाइज़ किया था १९५१-५२ में १६४ लाख और १९६०-६१ में १४ हजार लाख किया है। उस समय बैंक थे ६ और आज २६ बैंक हैं। लैण्ड मोर्टगेज बैंक उस समय थे नहीं, आज लैण्ड मोर्टगेज बैंक २२ हैं। उस समय एपेक्स बैंक की स्थिति मुश्किल से खड़े होने लायक थी, आज एपेक्स बैंक मजबूती से खड़ा हुआ है। इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक नहीं था। इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव आर्गेनाइज़ेशन नहीं था, नॉन ऑफिशियल बॉडीज़ के लेनदेन की व्यवस्था नहीं थी। जो बम्बई स्टेट के अन्दर इतनी प्रगति होने की बात कही जाती है, आज डिस्ट्रिक्ट वाइज़ संगठन वहां है लेकिन वह राजस्थान के संगठनों से लोकतन्त्रीय दृष्टिकोण से डेमोक्रेटिक दृष्टिकोण से कमजोर है। वहां कोऑपरेटिव मूवमेंट संख्या की दृष्टि से अच्छा है, धन की दृष्टि से, अच्छा है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप कमजोर है।

मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा हाउस से यह निवेदन कर रहा था कि जो उन्नति हमने किसान के लिये की है, कृषि के दृष्टिकोण से उसको खेत दिया है। खेत देने के बाद तकावी दी है और तकावी देने के बाद कूआ बनाने के लिये बड़ी राहत दी है, सब्सिडी दी है। उसके बाद खाद अच्छा दिया है। माननीय अध्यक्ष, इतना ही नहीं; किसान को एडवाइज़र भी दिया है कि किस तरह से तकावी का उपयोग किया जाना चाहिए, किस तरह से खाद का उपयोग करना चाहिए। डीसेन्ट्रेलाइज़ करने के बादमें ग्राम सेवक के रूप में उस एरिया के किसानों को और ग्राम पंचायतों को राहत दी है। वह उनको बताता है कि इस तरह इसे खाद और बीज काम में लाओ और उसी तरह से किस तरह से वे अपना माल अच्छी तरह से बेच सकते हैं मार्केट में, इसके लिए हमने कानून बनाया है, रेग्युलेशन ऑफ मार्केटिंग एक्ट बनाया है ताकि वे उचित कीमत पर अपना सामान मार्केट में बेच सकें और मार्केटिंग एक्ट के बाद हमने वेअर हाउसिंग कायम करके उनको राहत दी है ताकि वे अपना माल कम कीमत पर नहीं बेच दें।

इसी तरह से हमने पशुपालकों को सहयोग दिया है। माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार ने थर्ड प्लान के अन्दर जो व्यवस्था की है पशुधन के लिये वह बहुत ही अच्छी है। मेरे ख्याल से प्रथम योजना से छे गुना रुपया थर्ड प्लान में रखा है। उस समय पशुधन की पूरी व्यवस्था नहीं थी। डेमोक्रेटिक सेटअप से पहले और

(श्री मोतीलाल चौधरी)

द्वितीय योजना से पहले राजस्थान को किसी भी स्टेट में पशुपालकों को तकावी देने की व उनके इलाज की व्यवस्था पूरी नहीं थी; सिर्फ केपिटल हैडक्वार्टर्स को छोड़ कर कहीं भी नहीं थी। आज हम लोग किस तरह से राहत दे रहे हैं वह, माननीय अध्यक्ष, इससे स्पष्ट होगा कि वेटरनरी हॉस्पिटल १९५०-५१ के अन्दर ५० थे और आज १०८ हॉस्पिटलस हैं। ५०—५१ में आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन सैन्टर्स नहीं थे आज २० हैं। मोबाइल डिस्पेन्सरीज थीं आज १५ हैं। उसके बाद उस समय न शीप ब्रीडिंग सेन्टर्स थे, न वूलग्रेडिंग सेन्टर्स थे, न रिन्डरपेस्ट कन्ट्रोल सैन्टर्स थे। आज आदमियों के इलाज करने की जितनी व्यवस्था है उतनी ही पशुओं के इलाज की व्यवस्था है। वेटेरनरी के डॉक्टर्स और कम्पाउन्डर्स की जो कमी थी उसको वेटरनरी का कॉलेज और ट्रेनिंग सेन्टर्स खोल कर राहत देने की व्यवस्था की है।

उसी तरह से माइनिंग और इन्डस्ट्री में हम आये हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ खास खास आंकड़े ही दे दें। सारे आँकड़ों को रिपीट करने की मेरे खयाल से आवश्यकता नहीं है। आप किताब का नाम बता दें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): प्लानिंग रिपोर्ट सब की देखी हुई है।

श्री मोतीलाल चौधरी : मेरे इस बात के कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक विकास के मूल में ५ बातें हैं : पशुपालन, कृषि, वन संयोजन, माइनिंग और इन्डस्ट्रीज इन ५ मूल बातों के लिये राजस्थान गवर्नमेंट ने पिछले ५ सालों में कोऑपरेटिव सक्टर, प्राइवेट सक्टर और पब्लिक सक्टर के मार्फत प्रयत्न किये हैं आर्थिक योजनाओं के रूप में। लेकिन इन तीन मूल बातों को आर्थिक विकास के लिये, देश की जनता के हित के लिए जो लेने वाले हैं वह किस तरह से प्राइवेट सक्टर या पब्लिक सैक्टर या पब्लिक सैक्टर का बराबर बेलेन्स रख कर ले सकते हैं? तभी हमारा आर्थिक विकास हो सकता है और इन ५ चीजों की उन्नति होगी। इन ५ चीजों के लिये फर्स्ट, सकण्ड और थर्ड फाइव इयर प्लान के अन्दर जो व्यवस्था की है वह बहुत ही सराहनीय है। उसके कारण सारे देश का, न केवल राजस्थान का ही इतना विकास किया है और अब भी काफी विकास करने की गुन्जायश हैं।

मैं इसके बाद में इतना ही कह दूं कि समाजवाद लाने के लिये हमारी जो ५ आर्थिक व्यवस्थाएं हैं इनके मार्फत देश और राज्य की आर्थिक व्यवस्था हो सकती है और एक सन्तुलित आर्थिक व्यवस्था समाजवाद के मार्फत ही ला सकते हैं। इसको हमारी गवर्नमेंट ने भी माना है और प्लानिंग कमीशन ने भी माना है कि प्राइवेट सक्टर और पब्लिक सक्टर को सन्तुलित करने के लिए कोऑपरेटिव सैक्टर को अधिक स्थान देना पड़ेगा। आज हमने कोऑपरेटिव सक्टर में पिछले समय के अन्दर उस समय की दृष्टि को देखते हुए कहूँगा कि काफी किया है। लेकिन फिर भी यह महसूस होता है कि पब्लिक सक्टर प्राइवेट सक्टर के एक्सप्लॉइटेशन को

(श्री मोतीलाल चौधरी)

कन्ट्रोल नहीं कर पाया है। मैं यह महसूस करता हूँ कि प्राइवेट सक्टर को काफी कपिटल लोन और लाइसेन्स भी दिये हैं, लेकिन बड़ी-बडी इन्डस्ट्रीज़ जिनके मार्फत देश का डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि उसका देश के आर्थिक विकास पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है उनको कैपिटलिस्टों के हाथ में देने से उसका आर्थिक सन्तुलन खो जायगा। प्राइ-वेट सेक्टर और पब्लिक सैक्टर को कोऑपरेटिव सैक्टर कन्ट्रोल नहीं करेगा तो आर्थिक असन्तुलन आ सकता है। मैं तो यह समझता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आर्थिक विषमता कुछ आई है उसके कारण से [राजस्थान में जहां अच्छा इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है जिन जिन बातों के लिये, वहां पर कुछ प्रतिक्रिया-वादियों की शक्ति बढ़ीं। मैं कोटा का उदाहरण देता हूं। कोटा के अन्दर हमने इन पिछले ५ सालों में काफी इन्डस्ट्रियल डेलप-मेंट किया है। उस कोटा में हमने पब्लिक सेक्टर में भी काम किया है, लेकिन वहां पर कोऑपरेटिव सेक्टर में इन्डस्ट्रीज का प्लान नहीं किया है। नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ा और केपिटलिस्ट सेक्टर वहां आया। उस आने के कारण पब्लिक के अन्दर, आम जनता के अन्दर रिएक्शन पैदा किया है। मैं तो इसको इस तरह से मानकर चलता हूं कि अगर हमने संतुलन खो दिया तो आगे जाकर नुकसान पहुंच सकता है राजस्थान की जनता के प्रति और समाजवाद लाने में काफी रुकावट हो सकती है। मैं माननीय अध्यक्ष, जब बोले रहा था पिछले बजट अधिवेशन के अन्दर इन्डस्ट्रीज़ के बारे में तो मैंने कहा था कि केपिटलिस्टों को जरूर सहूलियत दें, लेकिन केपिटलिस्टों के हाथ में इतनी सत्ता न दें कि जिससे सन्तुलन को खो दें और जिस समाज-वाद को लाने का हम स्वप्न देख रहे हैं वह अधूरा रह जाय। केपिटलिस्टस समाजवाद के पक्ष में नहीं हैं, यह मैं मान कर चलता हूं। केपिटेलिस्टों को संतुलन बिगाड़ने की स्थिति में नहीं लायें। जहां भी यह संतुलन बिगड़ा है वहां केपिटलिस्ट सेक्टर बढ़ा है जिससे समाजवाद के अन्दर रुकावट आई है।

फ्यूडेलिज़म और केपिटलिज्म राजस्थान में साथ साथ चल रहे हैं। फ्यूडेलिज़म को हमने राजस्थान में कानून से हटाया है। आप विचार अपने रख सकते हैं कि कानून के दृष्टिकोण से वह हटा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं। फ्यूडेलिज्म केपिटलिज़म के साथ साथ जुड़ गया है और फ्यूडेलिस्ट्स केपिटलिस्ट्स बन गये हैं। केपिटलिस्ट सेक्टर को यदि राज-स्थान में हम कन्ट्रोल में नहीं लायेंगे, पब्लिक सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर से उसको बेलेन्स नहीं करेंगे तो हो सकता है कि एक समय आयेगा और फिर हमको कानून पास करना पड़े उस केपिटेलिज्म को तोड़ने के लिए। आज जहां इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम तैयारी कर रहे हैं उसका स्वागत करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट राजस्थान में जरूर हो, लेकिन उसका बेलेन्सिंग सैक्टर भी जरूर होना चाहिए। जो भी इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट हो उसमें कीमत को स्थिर रखने के लिए और बेलेन्स रखने के लिए उसी तरह की इन्डस्ट्री पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट

(श्री मोतीलाल चौधरी)

सेक्टर में स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, मैं २—३ बातें और कहूंगा कि अगर राजस्थान में समाजवादी अर्थ व्यवस्था कायम रखनी है तो दोनों के संतुलित होने के बाद, लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण होने के बाद, प्रशासन को अच्छी तरह से हैन्डल करने के बाद ही कर सकते हैं। लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन होने के बाद आर्थिक दृष्टिकोण से फर्स्ट, सैकन्ड और थर्ड प्लान में व्यवस्था होने के बाद जो व्यवस्था हुई है उनके अन्दर जो कल्याणकारी कार्य उन्होंने किये हैं उनके द्वारा समाज में जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है उस दृष्टिकोण से जो कुछ भी काम हमने किये हैं उनके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हुआ निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में तीन, चार बातें हैं : शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के मकानों की व्यवस्था और उनके अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके आचरण और पहिनने की पोशाक के लिये जो कपड़ा मिला है और साधन मिले हैं और साथ ही साथ उनको जो प्रोटेक्शन मिला है वह सराहनीय है। हर दृष्टि से समय समय पर उनको बड़ी राहत मिली है जिसका उदाहरण १० साल पहले जो हालत थी शिड्यूल्ड कास्ट, अनटचेबल्स, डाउन ट्रोडन पीपल थे उनके लिये सोशियल लॉ पास करके उनको प्रोटेक्शन दिया है, उनकी हिम्मत बढ़ाई है, उनका डेवलपमेन्ट किया है, उसके कारण वे आज पूर्ण बराबरी के दर्जे पर आ पहुंचे हैं। आज से १० साल पहले जो उनकी हालत थी उसके बारे में यदि मैं यह कहूं कि बकरों की प्राइस पर इन्सान बिकते थे दरोगों के रूप में तो अनुचित नहीं होगा। उस समय ऐसी जो प्रथा थी उसको हमने बंद किया है। गिरे हुए लोगों के लिये सुचारू व्यवस्था की है। शिक्षा, टेक्निकल ट्रेनिंग, बोर्डिंग हाउस और उनके रहने की व्यवस्था की है, खेती की व्यवस्था की है। जो सराहनीय है।

सहजिया नाम की एक कोम कोटा साइड में है वह ५ साल पहले बहुत ही गिरी हुई हालत में थी और वे लोग यह नहीं मानते थे कि वे मनुष्य हैं। उन लोगों की हालत सुधारने के लिये उनको जमीन दी है, तकावी दी है, उनको बसाया गया है। इसके अलावा कई अन्य कोमें हैं; जैसे मीणा, बावरी, नायक, ढोली आदि जिनके डेवलपमेन्ट के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत उनके विकास का काम किया है, कानून बनाये हैं और उनके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था की है जिससे उनको राहत मिले, यह सराहनीय है। उनकी जन संख्या एक चौथाई होगी, इससे भी ज्यादा हो सकती है, ४० प्रतिशत तक पहुंचेगी। इन गरीबों को जो राहत और सहयोग दिया है उसका आशीर्वाद सरकार को मिला है और उसी कारण से आज फिर कांग्रेस गवर्नमेन्ट पॉवर में आ गई है।

अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान, रहन-सहन आदि की दृष्टि से जो आंकड़े हैं वे प्रस्तावक महोदय द्वारा आपके सामने रखे गये हैं। मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा और केवल इतना ही कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि सन् ५२ में हम इस हालत में थे कि हमारे यहां पूरे कॉलेज नहीं थे। मेडिकल कॉलेज एक ही था, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, टेक्निकल शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, पूरे हाई

(श्री मोतीलाल चौधरी)

स्कूल्स, मिडल स्कूल्स नहीं थे, लड़कियों के लिये स्कूल्स नहीं थे; लेकिन आज कोई ऐसा गांव नहीं है जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हो। टेक्निकल दृष्टिकोण से, मेडिकल शिक्षा, वेटरनेरी, एग्रीकल्चर आदि हर तरह की शिक्षा के लिये राजस्थान में कॉलेजेज़ हैं। इतना ही नहीं; खुशी की बात यह है कि राजस्थान ने एक बहुत बड़ा कदम डेवलपमेन्ट के लिये उठाया है। साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो काश्तकार हैं वे वोकेशनल ट्रेनिंग से वंचित नहीं रह जावें। इसकी व्यवस्था करने के लिये जो किसान हैं वे स्कूलों में पढ़ कर खेती करते नहीं हैं। उनको समुचित ट्रेनिंग दे सकें टेक्निकल विषयों की, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। साथ में जो मजदूर हैं और माइन्स और इन्डस्ट्रीज़ में काम करने वाले हैं उनके ट्रेनिंग की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय ने सदन में दिया है उसके उपलक्ष में उन्हें धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसका समर्थन करता हुआ हाउस से निवेदन करूंगा कि उसे पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है और उसका समर्थन भी हो चुका है। इस प्रस्ताव के संशोधन में चार प्रस्ताव मेरे पास आये हैं। सर्व श्री रामानंद, वाई. एन. हान्डा, कुमारानंद और श्योपतसिंह। इन प्रस्तावों के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। ये समय पर नहीं आये और जिस तरीके से आने चाहिये थे उस तरीके से नहीं भेजे गये, लेकिन इस बात को यदि ध्यान में नहीं भी रखें, फिर भी कुछ और आपत्तियां हैं जिनको मैं आपके सामने कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये बहुत लंबे संशोधन हैं। तीन लाइन के प्रस्ताव के लिये तीन पेज का संशोधन तो एक आया। इस बात की ओर भी यदि न जायं, तो भी कई ऐसी चीजें हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं जिनको इस प्रकार के संशोधन में नहीं ला सकते। केवल एक प्रस्ताव है श्री श्योपतसिंह का जो संक्षेप में है और मैं समझता हूं उसको स्वीकार किया जा सकता है। अन्य को अस्वीकार करते हुए एक को स्वीकार किया जा सकता है, श्री श्योपतसिंह का। वे बोलें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अध्यक्ष महोदय, अब तक की व्यवस्था के अनुसार कहीं भी गवर्नर को थेन्क्स गिविंग मोशन पर यदि कोई अमेन्डमेन्ट पेश किया जाता है तो उन माननीय सदस्य को बोलने का मौका मिले उस समय वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं उससे पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलते हैं। खास कर स्वतंत्रपार्टी जो है वह रिकॉग्नाइज्ड ऑपोज़िशन है और उसके नेता को बोलने का मौका दिया जाना चाहिये। इस प्रकार की परम्परा पहले रही है और लोक सभा में भी है।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : सही माने में संशोधन प्रस्तुत हो जाय उसके बाद ही....

श्री अध्यक्ष : सामान्य तौर से मुख्य विरोधी दल से संशोधन प्रस्ताव आता है और उससे दोनों ही बातें पूरी हो जाती हैं।

श्री भैरोंसिंह : संशोधन मूव होता है, उस समय बोलने का मौका आता है। पहले संशोधन देकर राइट क्लेम नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : यदि माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री माणकचंद सुराणा (कोलायत) : Under rule 16.....

माननीय महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि रूल १६ जो है, इसमें है :

"Amendments may be moved to such motion of thanks in such form as may be considered appropriate by the speaker". उसके अनुसार कोई भी अमेन्डमेन्ट मूव किया जा सकता है।

यदि जनाब ने किसी अमेन्डमेन्ट को एडमिट किया है, जैसा कि श्री श्योपतसिंह के संशोधन को एडमिट किया है तो मैं समझता हूं उसके बाद रूल आउट करने का प्रश्न नहीं है। इस पर उन्हें बोलने की इजाजत मिलनी चाहिए। लीडर ऑफ अपोज़िशन भी अमेन्डमेन्ट भेज सकते थे। यदि उन्होंने नहीं भेजा है तो इसका फायदा वे नहीं उठा सकते। इसलिए जिन्होंने अमेन्डमेन्ट पेश किया है उनको बोलने की इजाजत मिलनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक संशोधन स्वीकार करने का प्रश्न आता है, वे संशोधन मूव कर सकते हैं। लेकिन किस ऑर्डर में माननीय सदस्य भाषण देंगे; यह कार्य अध्यक्ष महोदय का है और यही उनकी व्यवस्था शायद है और यही परम्परा है। इसमें रूल कहां बाधक होता है ?

अध्यक्ष : इस संशोधन को रूल आउट करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि इसे अभी पेश किया जाय या लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं उनके बोलने के बाद पेश किया जाय ?

श्री दुर्गालाल बारदार (हवामहल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, रूल १५ यह कहता है :

on such day or days or part of any day the House shall be at liberty to discuss the matters referred to in a such Address on a Motion of Thanks moved by a member and seconded by another member".

जहां तक प्रस्ताव का आना, उसका समर्थन और उस पर डिस्कशन करने का सवाल है उसमें रूल १५ बाधक नहीं है। रूल १६ तरमीम के लिए आज्ञा प्रदान करता है और वह आपके डिस्क्रिशन पर डिपेन्ड करता है। जो कन्वेन्शन है, प्रस्ताव आया, उसका समर्थन हुआ और विपक्षी दल के नेता के बोलने की बारी आई, जहां तक रूल १५ और १६ का ताल्लुक है, यह इम्पेडिमेन्ट नहीं करता, यह डिस्क्रिशन आपको है।

"Amendment may be moved to such motion of Thanks in such form as may be considered appropriate by the Speaker".

अमेन्डमेन्ट्स में बाधा डालने का सवाल नहीं है। यहां की जो कन्वेन्शन है उसको मेन्टेन करते आ रहे हैं, उसको मेन्टेन करने का सवाल है। मेरी समझ में रूल १५ और

(श्री दुर्गालाल बारदार)

१६ बाधा नहीं करते He must be given a chance to say something in respect of that.

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : I think, Sir, your discretion is unfattered in matters of this nature. Whatever your ruling shall be it will be carried out.

श्री अध्यक्ष : I merely stated one of the ways of proceeding with the debate. Since it is thought proper that the Leader of Opposition should have the priority I concede to it,

श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कई बातों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। मैं अनुभव करता हूं कि जो प्रकाश डाला गया है उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार के शासन के अन्दर जो कमियां, जो त्रुटियां आज हम दस, बारह साल से अनुभव करते आ रहे हैं वे करीब करीब वैसी ही प्रतीत हो रही हैं। कई ऐसी बातें हैं कि जिनके सम्बन्ध में मुझे यह कहना पड़ता है, अपना पुनीत कर्तव्य समझ कर कहना पड़ता है, एक विरोधो पक्ष के नाते यह कहना पड़ता है, जनतंत्र को सुदृढ़ करने के हेतु यह कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार के शासन में रेड-टेपिज्म यानो ढिलाई, देरी और कई तरह की ऐसी प्रशासनिक बातें आ गई हैं कि जिनके द्वारा विरोधी पक्ष और जनता का विश्वास शासन के इन्साफ के अन्दर धीरे धीरे कम होता जा रहा है।

मैं मानता हूं कि बहुत सी बातें राजस्थान सरकार ने जो की हैं। अच्छी हैं। मैं उसके साथ यह भी कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी का भी शासन होता तो शायद जो बातें कांग्रेस ने की हैं उससे अधिक अच्छे ढंग से, सस्ते ढंग से की जातीं। लेकिन जनतंत्र के सिद्धान्त के अनुसार, जनता जनार्दन के शासन के सिद्धान्त के अनुसार जिसको बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार बनती है और उसी नाते कांग्रेस की सरकार ने जो आज हमको दिया, राजस्थान को दिया, वह मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा हमारा शासनारूढ़ दल संतोष करके बैठे कि उन्होंने राजस्थान को सुशासन दिया, सुव्यवस्था दी, एक ऐसा शासन दिया कि जनता के अन्दर स्थिरता उत्पन्न हो सके। मैं यह समझता हूं कि इसका मूल कारण एक सबल विरोधी दल का अभाव है। जनता के शासन के अन्दर यह एक हमेशा का सिद्धान्त बना आया है कि जहां पर सत्ता होती है वहां पर भ्रष्टाचार अनिवार्य है; लेकिन जहां निरंकुश सत्ता होती है वहां भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। लॉर्ड पामस्टन ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था :

"Power corrupts and absolute power corrupts absolutely."

आज हम वर्तमान शासन के अन्दर देख रहे हैं कि कांग्रेस—वर्तमान शासनारूढ़ दल—कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई ऐसा विरोधी दल अंकुश लगाने वाला नहीं है जो उनको ठीक रास्ते पर ला सके, जो उनको यह कह सके दबा कर कि यह आप ठीक नहीं कर रहे हैं और उसके कहने पर शासनारूढ़ दल के ऊपर यह दबाव पड़े, यह प्रभाव पड़े कि

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विरोधी पक्ष का कहना और कुछ नहीं तो आठ आना, छः आना या चार आना ही मानना परम आवश्यक है और उसके हित के अन्दर है, देश के हित के अन्दर है। तो विरोधी दल का यह सिद्धान्त है कि जहां पर भी शासनारूढ़ दल की कमी पावे वहां पर उनको बतावे, स्पष्ट रूप से बतावे और जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली स्थापित करने के लिए जहां उचित हो वहां शासनारूढ़ दल का एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और जिम्मेदार पार्टी के नाते सहयोग दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि हमारी प्रथम और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के पश्चात् हम यह अनुभव करते हैं कि कांग्रेस ने कोई हमको ऐसा जादुगिरी का शासन नहीं दिया कि जिसके द्वारा हम कांग्रेस या वर्तमान शासनारूढ़ दल की प्रशंसा कर सकें। मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारी योजनायें हैं वे ओवर-एम्बीशियस हैं; वे ऐसी हैं कि जिनको हम कार्य रूप में परिणत अगर करना भी चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कमियां कई और हैं। हमारे पास इतने अनुभवी व्यक्ति नहीं हैं कि जो उस योजना को सफल रूप से कार्यान्वित कर सकें। हम यह बराबर प्रयास कर रहे हैं, चाहे जितने भी वे प्रयास प्रशंसनीय क्यों न हों कि हम यह कर दें, वह कर दें, सब इकट्ठा ही यह कर दें; परन्तु मैं यह समझता हूँ कि जो कुछ भी हम कर सकते हों वह अगर सुचारु रूप से किया जायेगा तभी सफल होगा; और नहीं तो वह किया और न किया बराबर होगा।

"क्यों कीजे ऐसा जतन जाते काज न होय।
पर्वत पर खोदे कुआ (तो) कैसे निकसे तोय।।"

हम अनुभव करते हैं कि हमारी प्रथम और द्वितीय योजना की कीमत किस हद तक हमें चुकानी पड़ी है। हमारे देश के ऊपर हमने कितना कर्जा किया है। राजस्थान राज्य के अन्दर हमने कितना ऋण लिया है और यह कर्ज करने के बावजूद भी हम यह चाहते हैं कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल करें। यह एक मृग-तृष्णावत् आशा है क्योंकि न तो हमारे पास आदमी हैं, न हमारे पास ऐसी ही सुदृढ़ और सच्ची योजना है कि जिसको हम कार्यान्वित करके सफल रूप से बना सकें।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्दर प्रशासनिक सम्बन्ध के अन्दर उन्होंने विकेन्द्रीकरण के ऊपर विशेष महत्व की बात कही। विकेन्द्रीकरण सिद्धान्ततः मेरा दल मेरी पार्टी समझती है कि एक अच्छी चीज़ है, एक ठीक रास्ते पर ले जाने वाली चीज है और जड़ से ही जनतन्त्र को स्थापित करने वाली चीज है; लेकिन मुझे यह खेद है कहते हुए कि मैं देखता हूँ कि आज विकेन्द्रीकरण के अन्दर कितनी बातें ऐसी आ चुकी हैं कि जो हमको विनाश की ओर धीरे धीरे ले जा रही हैं। ऐसा विकेन्द्रीकरण किस काम का कि जनता की पवित्र कमाई हजारों और लाखों रुपयों का दुरुपयोग हो और उस दुरुपयोग होने के बावजूद भी विरोधी पक्ष, वहां की जनता अगर चिल्लाये और भ्रष्टाचार के कई ऐसे उदाहरण सरकार के सामने रखे कि यह बात हुई, इसके बारे में छान-बीन की जाय, एन्टी–करप्शन डिपार्टमेंट के पास जाया जाय, एन्टी-करप्शन

(श्री लक्ष्मणसिंह)

डिपार्टमेंट के पास तरह तरह की चिल्लाहट लोग करते हैं; विरोधी पक्ष के लोग करते हैं, जो बिल्कुल तटस्थ लोग हैं वे करते हैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते जो लोग सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट हमको इत्तला देता है, मुझे मालूम नहीं, यह हमको कहा जाता है कि फलां फलां मुकदमा शायद मन्त्री महोदय या अमुक मन्त्री महोदय के पास है; वहां से अगर वापिस लौट कर प्राप्त होगा तो हम इस सम्बन्ध में और कुछ विशेष विचार करेंगे ?

तो हमको कौनसे उन सुनहरे दिन की प्रतीक्षा में बैठे रहना है ? जब ऐसे मामलात जो हलाहल भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हों वे मामलात माननीय मंत्री महोदय के पास से वापिस आवें और बेचारे एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को प्राप्त हो और वह उस संबन्ध में उचित कदम उठा सके। यह तो मेरे खयाल से एक बड़ी अजीब और गरीब समस्या है। मैं सरकार का ध्यान पुरजोर रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट की ओर से कोई भी मन्त्री महोदय या माननीय सदस्यों के पास ऐसे मामले आवें जो उनके विचाराधीन हों तो कम से कम उनको एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट को लौटा देना चाहिये ताकि उचित कार्यवाही उस संबन्ध में हो सके।

मैं यह ठीक नहीं समझता कि मैं गावों के नाम या सर पंचों के नाम लूं, यह हमारे सिद्धान्तों के विपरीत है; परन्तु अगर मौका आया तो यह भी हम बता सकते हैं और कह सकते हैं कि कहां कहां पर कितने हजार रूपये दिये गये, कुओं की तकावी दी गई, मगर वहां पर कुए बिल्कुल गायब हैं। मेरे घुटने घुटने तक गहरे खड्डे पड़े हैं और जनता वहां पर लघशंका करती है। उसके अलावा उन कुओं में पानी गायब है।

(विराम)

तो यह कुओं की जो मिसाल है यह एक ऐसी मिसाल है कि मैं इसको अपनी समझ के अनुसार एक महत्वपूर्ण समस्या समझता हूं जिन पर जनता जनार्दन की गहरी कमाई के हजारों रूपये खर्च होते हैं और उनका दुरूपयोग होता है। कुए जहां पर नहीं खोदे जावें तो सरकार का यह परम, अहम फर्ज है, मुख्य कर्तव्य है कि इस बारे में जो ढिलाई बर्ती जा रही है उसको समाप्त करे।

मैंने यह भी देखा कि एक नकशा बना हुआ है स्कूल का, जिसमें पांच कमरे बनने चाहिये। चार ही कमरे वहां मौजूद हैं। पांच कमरों की कीमत का चुकारा हो चुका है और पांचवें कमरे के संबन्ध में यदि लोगों ने आपत्ति उठाई तो उसका आज दिन तक, चार चार वर्ष हो गये कोई हल नहीं निकला। तो हमारे राजस्थान में यह पुराने जमाने की कहावत थी। हम लोग तो कुछ भी थे, लेकिन हमारी तुलना आज के शासन से नहीं हो सकती; क्योंकि वह शासन और प्रकार का था। लेकिन यदि उस शासन की तुलना आज के शासन से की जावे तो शायद वह शासन कुछ हद तक आज के शासन से बुरा नहीं समझा जावेगा।

श्री हरिदेव जोशी (घाटोला) : कम्पेरिज़न करके देख लें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप अवश्य पूछिये, मैं इस चीज़ को पसन्द करता हूं।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

तो हमारे राजस्थान में आज सायद्री 'अन्धाधुन्ध की और घटा टोप को राज' की कहावत आज जो विकेन्द्रीकरण हुआ है उसके लिये....

श्री हरिदेव जोशी : आपके जमाने में तो कोई . .

श्री लक्ष्मणसिंह : हमारे जमाने में भी खामियें होंगी। आप तो हमारी बातों पर रोष करते हैं । आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन उस जमाने में अध्यक्ष महोदय, आटे में नमक जितना भ्रष्टाचार था लेकिन आज तो आटा और नमक बराबर है। आपको मेरे कहने पर आपत्ति प्रकट करने का अधिकार है। आप जितना कहना हो कहिये। मैं तो उसका स्वागत करता हूं। तो मैंने तो उस स्कूल को देखा है।

अध्यक्ष महोदय, एक तालाब जिस पर हजारों रूपये खर्च हुए वह तालाब बन गया, ऐसा मान कर सब कागजात और मिसलें तकमील कर दी गई। आज वहां पर जाकर कोई खड़ा हो तो वहां तालाब ही गायब है।

(विराम)

तो मेरे महरबान सदस्य, अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि हमारे जमाने में क्या होता था ? हमारे जमाने में ऐसा होता तो भूतपूर्व पोलिटिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कमीशन ऑफ इन्क्वायरी आती और उस राजा के अधिकार छीन लिये जाते और उसके एडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन होता। लेकिन आज हम यह देखते हैं। Absolute power corrupts absolutely आज........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आज आपको नहीं बुलाया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम आज आपके सहयोगी हैं। हम आपके मित्र हैं। हम जनतन्त्र को सफल बनाने के लिये सच्ची सच्ची और खरी खरी बातों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं।

(विराम)

तो मेरा नम्र निवेदन है।....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : May I have the privilege of knowing from the Hon'ble member the instanceswhich he is quoting, otherwise it will be very difficult to reply.

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष, कि विरोधी दल के नेता जो भाषण दे रहे हैं उसमें उन्होंने जो बातें रखी हैं, तालाब बना और तालाब नहीं है ; स्कूल के चार कमरे हैं पांचवां नहीं है। अगर वे उन स्थानों का नाम बता सकें तो हमें जबाब देने में कठिनाई नहीं होगी और हम आपको सहयोग देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूँ कि नाम देना आपके और हमारे लिये हितकर होता, लेकिन मैं सदन में ऐसी तुच्छ बात कहना उचित नहीं समझता।

श्री मथुरादास माथुर : फिर तो यह कहना इलेक्शन का प्लेटफॉर्म बन जाता है। अगर आप बताना न चाहें तो हमको लिख कर दे दें। हम किस तरह से सदन को कॉन्फिडेन्स में लेंगे ?

श्री लक्ष्मणसिंह : इलेक्शन समाप्त हो गये, इलेक्शन का विरोध समाप्त हो गया ; अब तो सहयोग और सिद्धान्त का

Page No. 45

(श्री लक्ष्मणसिंह)

विरोध है। सिद्धान्त और सहयोग के नाते मैं, अगर आप चाहेंगे तो लिखित रूप में जितनी भी बातें हैं नामजद उदाहरण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।

एक माननीय सदस्य : शायद नाम तो बहुत सारे होंगे। पहले जो हैं उनकी इन्क्वायरी करली जावे।

श्री लक्ष्मणसिंह : तो मैं कहने जा रहा था, अध्यक्ष महोदय, यदि इस जनता के शासन में गांधीजी की कल्पना का जो राम राज्य है उसको आप सफल बनाना चाहते हैं तो ग्राम पंचायतों को आपको कुछ न कुछ अधिकार देना चाहिये।

कर्मचारीगण को आपको स्पष्टतया कह देना चाहिये कि सरपंचों और पंचायत समितियों के अध्यक्षों को वे पुरजोर रूप से यह बात न कहें कि आपको टैक्स लगाना ही पड़ेगा ; टैक्स लगाये बिना ग्राम पंचायत और पंचायत समिति नहीं चल सकती, ग्राम पंचायतें नहीं चल सकतीं। मेरे ख्याल से यह विलेज ऑटोनोमी के सिद्धांतों के विपरीत है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करके कहूँगा कि आप ऐसा सरक्यूलर निकालें और कलेक्टर, बी. डी.-ओ. के पास भेजें और उसमें उनको कहना चाहिये कि पंचायतों और पंचायत समितियों को ऐसी सलाह न दें, उनको बाध्य न करें कि भवन कर लगावें, पशु कर लगावे, जिससे जनता जनार्दन के मन पर ठेस पहुंचे? क्योंकि मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि इस विकेन्द्रीकरण योजना में बहुत टैक्स लग चुके हैं और जहां पर लग चुके हैं वहां पर लोग परेशान हैं और वे नहीं चाहते हैं कि वे अपने पशुओं के ऊपर; जैसे भैंस पर ८ रुपया, गाय के ऊपर ६ रुपया, बैल के ऊपर ६ रुपया बकरी–भेड़ पर दो दो रुपया सालाना टैक्स दें।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, यह इस सदन की जिम्मेदारी के बाहर की बात है। वे ओटोनोमस हैं चाहें तो कर लगायें, नहीं चाहें तो नहीं लगायें। उनका विषय सदन की चर्चा के दायरे के बाहर का विषय है। वे हमारी ही तरह चुनी हुई ओटोनोमस बॉडीज़ हैं।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य का भाषण सुनने दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !! माननीय सदस्य ने तो यही कहा था कि कलेक्टर द्वारा ऐसे बाध्य किया जाता है, ऐसे बाध्य नहीं किया जाय।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई बाध्य नहीं कर सकता।

रावत श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सदस्य फिर जवाब दे सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : क्या ट्रेज़री बैंचेज़ यह परम्परा डालना चाहती है कि विरोधी दल का कोई सदस्य बोल न सके ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई बाध्य नहीं करता।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे दोस्त ने कहा है "कोई बाध्य नहीं

(श्री लक्ष्मणसिंह)

करता", तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई बाध्य नहीं करेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसमें तो मतभेद है, बाध्य तो करते हैं। यदि आप मुझे समझें कि मैं झूठ बात करता हूँ तो ठीक है।

मेरा दल इस सिद्धान्त के अन्दर विश्वास करता है कि टैक्स कम से कम लगें, इतना टैक्स हो जिसके द्वारा शासन का काम सुचारु रूप से चल सके। सिद्धान्ततः फूल है। उसका रस भ्रमर लेता है। भ्रमर भी तृप्त हो जाता है और फूल भी नहीं कुम्हलाता। इसी तरह इतना टैक्स वसूल किया जाय कि जनता जनार्दन रूपी फूल है वह भी नहीं कुम्हलाये और शासन रूपी भ्रमर है वह भी तृप्त हो जाय ऐसा टैक्स हो; न कि हड्डी चूस टैक्स; जैसा कि आज देखा जाता है। जो स्वतन्त्र देश हैं, जहां जनतन्त्र की प्रणाली प्रचलित है वहां कहीं इतने कर नहीं लागू हुए होंगे जितने हमारे स्वतन्त्र भारत के ऊपर आज १४ वर्ष के शिशु गणराज्य में इतने कर लगे हुए हैं। तो इन करों का भी मैं विरोध करता हूँ। कर जितने कम हो सकें उतने कम लगाये जांय; पर कर बहुत अधिक लगाये गये हैं और इसमें वर्तमान शासनारूढ़ दल का हाथ है।

इसके अतिरिक्त मैं आप श्रीमान् का ध्यान एक और विशेष महत्वपूर्ण विकेन्द्रीकरण प्रशासन के सम्बन्ध में जो समस्या है उस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और वह है न्याय पंचायतों का प्रशासन। आज हम देखते हैं कि न्याय पंचायतों के अन्दर ऐसे चेयरमैन हैं जोकि न्याय, कानून और लॉ का एक शब्द नहीं समझते। आज हम एक सभ्य स्वतन्त्र देश के सभ्य नागरिक हैं। अगर कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस करता है तब भी उसको सर्टिफिकेट चाहिये, एलोपैथी मेडिकल की प्रैक्टिस करता है तो उसको सर्टिफिकेट चाहिये, बगैर अनुभव के, बगैर प्रमाणपत्र के कोई अदालत में वकालत नहीं कर सकता। तो जनतन्त्र और बालिग मताधिकार एक हद तक बहुत उत्तम चीज है, उसका मैं समर्थन करता हूँ पर जहां जनतन्त्र और लोकशाही की अवहेलना की पराकाष्ठा हो जहां पर न्याय की व्यवस्था एक ऐसे मनुष्य के हाथ में दी जाय जो न्याय पर चले ही नहीं, न्याय का दुरुपयोग करे वह मेरे खयाल से हमारे आजाद देश और सभ्यता के ऊपर एक लांछन है; लानत है। जो न्याय पंचायतें हैं उनके अन्दर छोटे छोटे हिटलर बदले की भावना लेकर बैठे हुए हैं। वे इधर से उधर फैसले दे देते हैं और इससे अर्थ से अनर्थ होता है। यह मैं रात दिन अनुभव करता हूँ। तो मेरा सरकार से यह भी नम्र निवेदन है कि न्याय पंचायतों के लिये कोई न कोई योग्यता का सिद्धान्त मान कर अच्छी व्यवस्था करनी चाहिये न कि हर कोई आदमी न्याय पंचायत का चेयरमैन बन गया और उसकी इच्छा के अनुसार जो उसकी मनमानी हो वह करे।

शिक्षा एक ऐसा विषय है जो कि हमारे देश के अन्दर बहुत महत्व रखता है। शिक्षा के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे भविष्य के हित के लिये सिद्धान्त ओत-प्रोत है और वह है चरित्र निर्माण; वह है नियंत्रण की भावना, डिसिप्लिन को इन्कल्केट (inculcate) करना। अगर हमारी शिक्षा के द्वारा चरित्र-निर्माण, डिसिप्लिन, नियन्त्रण की भावना, हमारे कोई नागरिक

(श्री लक्ष्मणसिंह)

के अन्दर नहीं रख सकते चरित्र वृद्धि के द्वारा तो मेरे ख्यालसे यह शिक्षा का कोई विशेष अर्थ नहीं है। तो नियन्त्रण और चरित्र निर्माण के लिये बहुत ध्यान और सावधानी के साथ हमारी शिक्षा का केरिकुलम हो, उसका कार्यक्रम सोचना चाहिये। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे अधिकांश नागरिक गरीब हैं और जो मध्यम श्रेणी का वर्ग और गरीब वर्ग है वह दिन दिन मंहगाई और जीवनोपयोगी सामग्रियों की अनुपलब्धि की वजह से पिसा जा रहा है; उनके पास पैसा नहीं। आपको शिक्षा सस्ती बनानी चाहिये। आज खास कर कोर्स की किताबें २००) रुपयों में उपलब्ध हों और तीन-चार वर्ष के अन्दर वह कोर्स बदला जाता हो तो मेरे ख्याल से शिक्षा के अन्दर कोई स्थिरता, कन्टिन्युटी, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक जमाने में मैं मेओ कॉलेज में पढ़ा करता था। आज ईटन, हैरो, विन्चेस्टर स्कूल हैं आज उनका मैन मोटो है, "Manners maketh man".

मेनर्स का मतलब यह नहीं है कि छुरी कांटे से खाना या अपनी गर्ल फ्रेण्ड को लेकर सड़क पर चलना। मेनर्स का मतलब है चरित्र निर्माण। देश पर आपत्ति आये तो एक होकर अपने प्राण तक देश के हित पर न्योछावर करें, ऐसा चरित्र जब तक हमारी भावी सन्तान में नहीं आ जाता तब तक यह एजुकेशन कोई नेशनल बाइंडिंग फेक्टर राष्ट्रीय हित की महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं दे पा सकेंगे, जो आज के भारतवर्ष में मैं समझता हूं अनिवार्य है।

तो मैं सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि कोर्स की पुस्तकों के २००) रुपये हो गये तो उनको भी घटाने की कोशिश करनी चाहिये। सरकार अपने कोष से खर्च करे, पाठ्य पुस्तकों की कीमत कम करे, ऐसी पुस्तकें रखे कि १० वर्ष तक पाठ्य पुस्तकों के अन्दर कोई खास कारण के बिना, खास कारण हो तो और बात है, परिवर्तन-चेन्ज नहीं हो।

तो मैं यह चाहूंगा, हमारी पार्टी यह चाहेगी कि चरित्र निर्माण शिक्षा के सम्बन्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको महत्व दिया जाय, प्राथमिकता दी जाय। दूसरी बात जो अधिक से अधिक स्कूलें खोलने की है, बहुत जरूरी है, खोली जायं; पर जो खोली जायं उन पर भी अध्यापकों की योग्यता पर दृष्टि रखी जाय। कोई भी आ जाय; एम्पलॉयमेंट के सिद्धान्त पर कि नौकरी करना है, उसको ही वहां भेज दिया जाय, योग्यता को नहीं देखा जाय, इसको मैं ठीक नहीं समझता।

मैं यह भी अनुभव करता हूं कि ग्रामीण पाठशालाओं की तादाद कई तहसीलों में बहुत ज्यादा है और कई तहसीलों में बहुत कम है। यह डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, किन्तु अनजाने में एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। अगर हमको एजुकेशन के, शिक्षा के विषय में योजना-बद्ध कोई प्लान बनाना है तो सरकार को यह चाहिये कि वह घोषणा करे कि हर एक तहसील में कम से कम ग्रामीण पाठशालायें इतनी तो होंगी ही; भले ही अधिक हों। 'अधिकस्य अधिकम् फलम्' इतनी तो होंगी ही। हाई स्कूल, हायर सैकन्डरी स्कूल, दूसरे स्कूलों के सम्बन्ध में कम से कम इतना तो होगा ही और उससे अधिक हों तो ठीक है। ऐसी कोई योजना

(श्री लक्ष्मणसिंह)

सरकार नहीं बना पाती तब तक हमको भी सरकार को कहने के लिए ऐसा कोई मुद्दा प्राप्त नहीं होता कि सरकार की ओर से फलां फलां तहसील में इस प्रकार की शिक्षा के सम्बन्ध में कमी रही।

जो हमारे आदिवासी भाइयों की स्कूलें हैं, सेवा संघ के अन्तर्गत, वे भले ही से रहें; लेकिन शिक्षा जैसी पवित्र संस्था के अन्दर राजनीति नहीं आनी चाहिये। आज लगातार १२ वर्ष से मैं यह अनुभव करता हूँ कि जितने भी आदिवासी शिक्षा के स्कूल हैं, ग्रामीण पाठशालाएं हैं, उनके अध्यापक इलेक्शन के अन्दर प्रचार करते हैं, शासनारूढ़ दल के लिए हर तरह का सहयोग देते हैं और जो अनुदान प्राप्त होता है उस संस्था को उसका भी एक अर्थ का अनर्थ होता है। बारह बारह महीनों तक ग्रामीण पाठशालाओं के अध्यापकों को वेतन नहीं मिलता और जहां पर ये सेवा संघ हैं वहां पर कई तरह की बुरी बातें होती हैं जो ऐसा निकृष्ट उदाहरण उत्पन्न करती हैं कि जो मेरे ख्याल से एक घृणास्पद वस्तु है।

उसी तरह से चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं आयुर्वेद प्रणाली का विरोधी बिलकुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि आयुर्वेद प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाय, परन्तु हर एक तहसील में मैं यह समझता हूँ कि कम से कम दो अस्पताल होने चाहिये। जहां पर गांव होते हैं वहां पर पंसारी या केमिस्ट्स नहीं मिलते हैं वहां पर अस्पताल में भी चिकित्सा के लिए दवाइयों का स्टाक होना चाहिये। साधारण सर्जरी के लिए और आवश्यक सर्जरी के लिए भी कुछ न कुछ साधन उपलब्ध होने चाहिये। आप यह कहेंगे कि उस जमाने में तो कुछ नहीं किया, अत्याचार किया, रावण का राज्य फैलाया, परन्तु हमारी भी बेसिक फैक्टर के अनुसार जो छोटी बड़ी आमदनी हुआ करती थी उसके अनुसार हम हमारे यहां ध्यान रखते थे कि अमुक गांव के अन्दर चाहे वहां आज के मुकाबले में दस गुना काम हुआ हो तो एक गुना भी वह काम था; तो हमारी तो चेष्टा यह थी कि प्लान के बेसिस पर काम करें। प्लान्ड बेसिस पर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक तहसील में दो अस्पताल हों, जहां चिकित्सा की व्यवस्था हो, साधारण सरजरी की व्यवस्था होनी चाहिये, तब ही तो कल्याणकारी राज्य की सीमा तक पहुँच सकते हैं, नहीं तो क्या कल्याणकारी राज्य ?

मैं सिंचाई के सम्बन्ध में भी कुछ जानकारियां प्राप्त करना चाहूंगा और जानकारियां हैं राजस्थान की, खास कर उदयपुर डिविजन के अन्दर। जो नये बांध हैं, उनके ओरीजिनल एस्टीमेट क्या थे मेजर प्रोजेक्टस के और जब वे कार्यान्वित हो गये, प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया तब उस पर कितना खर्चा हुआ, यह भी एक स्टेटमेन्ट में यदि हमको दिया जावेगा तो सरकार के लिए इस सदन के लिए और जनता जनार्दन के लिए भी लाभप्रद होगा। जो पुराने बांध हैं, उनके द्वारा सिंचाई की जाती है उस सिंचाई पर क्या दर इरिगेशन सेस की लगाई जाती है और नये बांध हैं, जो सरकार ने अपने खर्चे से बनाये, उन पर सिंचाई की दर क्या

Page No. 49

(श्री लक्ष्मणसिंह)

लगाई जाती है, यह भी जानकारी होना मेरे ख्याल से एक अनिवार्य वस्तु है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख होना चाहिये कि हर एक ऐसे मेजर इरिगेशन प्रोजेक्टस हैं वे प्रोडक्टिव हैं या प्रोटेक्टिव हैं, या उसकी प्रोस्पेरिटी वेल्यू क्या है? अगर वह प्रोडक्टिव है; प्रेजेन्ट इर्रिगेशन बेसिस पर प्रोडक्टिव है। मैं हन्दी में तो इतनी अच्छी तरह नहीं समझा सकता। सिंचाई की जो योजना है तो इतने लाख या इतने करोड़ की लागत पर सिंचाई की इतनी आमदनी होती है? यदि जमीन की सतह का पानी ऊपर लाना हो तो प्रोटेक्टिव है तो सब सोइल वाटर लेवल रेज होने के बाद कितने कुए खोदे हैं, कितने कुए खोदने की संभावना है, गुंजाइश है, यह सब बताया जाय। तो आज जो यह प्लानिंग हो रहा है वह एक हेप हैजर्ड बेसिस पर प्लानिंग है। मेरा सुझाव है, आपको मानना है तो मानें, नहीं मानें तो आपकी इच्छा। हरएक योजना की प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोस्पेरिटी और प्रोडक्टिव वेल्यू पर भी ध्यान दिया जाय, तब ही तो उत्पादन को प्रोत्साहन किसी हद तक मिले, उसका भी ठीक तरह से निर्णय कर सकेंगे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जंगल के विषय में एक भी शब्द नहीं कहा गया। जंगल हमारे राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। ऐसी राष्ट्रीय सम्पत्ति का, आज जो मैं देख रहा हूं, दुरुपयोग हो रहा है उससे दुख होता है। यह हमारा अरावली पहाड़ है जो उत्तर से दक्षिण तक राज्य के बीच में, जिगर के हृदय के अन्दर होकर निकला है, उसका जंगल आज बिलकुल समाप्त हो चुका है। मैं पहाड़ों को देखता हूं मेरी हथेली के माफिक हो चुके हैं। ठेके भी दिये जाते हैं। लाखों रुपयों के जंगल हजारों रुपये और कौड़ियों में ठेके में दिये जाते हैं। मेरा सरकार से यह पुरजोर निवेदन है कि हमारी जो यह अखूट राष्ट्र सम्पति है उसका बचाव करें, उसकी रक्षा करें। मैं यह अनुभव करता हूं, ४० वर्षों से पूर्व दक्षिणी राजस्थान; खास कर पालनपुर और दांता की सीमा पर इतना रेता नहीं आया था जितना मैं अनुभव करता हूँ वह अब आचुका है। यह हमारा जो जंगल है Forest belt in the centre of Rajasthan., जिसने पश्चिमी रेगिस्तान से सैंकडों वर्षों तक लड़ाई लड़ी है; यह लड़ाई भी डीफोरस्टेशन की पोलिसी से समाप्त होगी और यह रेगिस्तान पूर्वी भाग में उतरेगा। दक्षिणी राजस्थान सबसे पहले इसका शिकार बनेगा। यदि आप एक राजस्थान केनाल लावेंगे, यह अच्छी चीज है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यदि हजारों वर्ग मील में रेगिस्तान फैलना शुरु हो गया तो एक राजस्थान केनाल को छोड़ कर दस राजस्थान केनाल भी जो नुकसान होगा उसका एवजाना नहीं दे सकती।

पहले कस्टम का बैरियर था, जकात थी, उसको बहुत बुरी चीज भी कहा जाता था और वह बुरी चीज थी भी। वह गई, लेकिन आज उसकी जगह तरह तरह के प्रतिबन्ध लगाये गये, जो मैं समझता हूं अवांछनीय है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र आसपुर है, वहां पर बहुत घना जंगल था जो आज बिल्कुल साफ हो चुका है। आज आग जलाने के लिए, मुर्दे जलाने के लिये वहां लकड़ी नहीं मिलती। उसके पड़ोसी तहसील के अन्दर एक आदिवासी की मृत्यु हुई

(श्री लक्ष्मणसिंह)

उसको जलाने के लिये वहां लकड़ी नहीं मिली और उसको गाड़ा गया। उसके पास का पड़ौसी क्षेत्र सलूम्बर-लसाड़िया-सराड़ा हैं जहां पर जंगल है। हमारे इन बहुमूल्य जंगलों में कन्टीन्युअल इनडिसिकमिनेट फेलिंग था वह नहीं होकर जुडिशियस फेलिंग होना चाहिये था, सोच विचार करके, कोटा बांध करके प्रायोरिटी के हिसाब से जंगलों को काटा जाना चाहिये था और जिन तहसीलों में लकड़ी की कमी है उस हिसाब से लकड़ी सप्लाई की जानी चाहिये थी। इस तरह से किया जाय तो यह जनता को राहत पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा जरिया होगा।

अध्यक्ष महोदय, जिन आदिवासियों को जंगलों से लकड़ी लाने का हक था उनको खत्म कर दिया गया है। हम समझते थे कि जो आदिवासियों और भीलों के भगवान कहे जाते हैं हमारे उदयपुर डिवीजन के बड़े नेता, जिनका नाम मैं यहां लेना नहीं चाहता, जिनको लोक नायक कहा जाता है, जिनको भील लोग अपना भगवान समझते थे, लेकिन आज उनमें यह बात नहीं रही। जिन जंगलों से लकड़ी लाने का आदिवासियों का सैंकड़ों वर्षों से अधिकार था आज उन जंगलों का समूलोच्छेदन कर दिया गया, आज जंगलों की सीमा उनके घरों तक निर्धारित कर दी है। इससे वहां के लोगों में असन्तोष हुआ या सन्तोष हुआ ? वोट मिले या नहींमिले, उसका परिणाम वहां क्या हुआ यह मुख्यमन्त्री महोदय जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : उसके प्रमाण तो एक आप साक्षात् खड़े हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं डूंगरपुर जिले के सम्बन्ध में, बांसवाड़ा जिले के सम्बन्ध में निर्वाचन क्षेत्र जो निर्धारित होते हैं उसके विषय में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में विरोधी पक्ष की भी, जो टूटी-फूटी राय हो, इस सम्बन्ध में भी ली जाय तो जनतन्त्र का हित ही होगा, अहित नहीं होगा। आज डूंगरपुर नगर सुरक्षित सीट के अन्दर है। उसके उत्तर दक्षिण में आधे आधे मील के ऊपर विशुद्ध भीलवी बस्ती है। उस क्षेत्र को सुरक्षित सीट के क्षेत्र में डालते, लेकिन इसके साथ डूंगरपुर नगर को सुरक्षित सीट के अन्तर्गत डालकर डूंगरपुर का बड़ा भारी अहित किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, इलेक्शन कमीशन स्वतन्त्र बोड़ी है। उसके बारे में यहां पर किसी प्रकार का चार्ज लगाना, यह इस सदन के बाहर की बात है।

श्री राधाकिशन गोयल(टोंक) : ओन दी एडवाइस ऑफ दी राजस्थान गवर्नमेन्ट करते हैं

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इलेक्शन आयोग कोई सारे भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति के ऊपर एक्सपर्ट नोलेज रखता हो, यह बात नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह इलेक्शन कमीशन पर एस्पर्शन है, it is an aspersion on the Election Commission.

श्री अध्यक्ष : आप कृपया सुनिये तो सही।

Page No. 51

श्री लक्ष्मणसिंह : आखिरकार इलेक्शन कमीशन को सलाह देने के लिए तो आप और हम ही होंगे। हम अगर किसी क्षेत्र को सुरक्षित सीट में रखने और न रखने को बतावें तो वे उसको ठीक कर सकते हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपसे सलाह लेने का काम नहीं है।

श्री मानसिंह मह्वार (आमेर) xxx

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (राजसमन्द) : On a point of order, Sir. The expression made by the hon. Member on the other side, × × × × is unparliamentary, and the Hon. Member should be asked to withdraw it. It is unparliamentary.

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे पार्टी के एक सदस्य की ओर से जो ऐसे शब्द कहे गये हैं तो मैं उसके लिये क्षमा चाहता हूं और इस प्रकार के ऑब्जर्वेशन को विथड्रा करने की मैं सदन से प्रार्थना करता हूं। हम इस प्रकार की अस्वस्थ परम्परा नहीं डालना चाहते।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरा सबमिशन यह था.

श्री अध्यक्ष : आप बार बार खड़े हो जाते हैं, आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर के तहत कहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Point of order, Sir ?

श्री भैरोंसिंह शर्मा (किशनपोल बाजार, जयपुर) : Under what rule, Sir ?

श्री राधाकिशन गोयल : अध्यक्ष महोदय, सारी प्रोसीडिंग्ज को डिस्टर्ब किया जा रहा है..

श्री भैरोंसिंह : First let him quote the rule, Sir ?

श्री अध्यक्ष (श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा से) आप अपनी बात कहिये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा सबमिशन यह है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करता है और किसको जनरल, इस पर यहां चर्चा करना गलत है।

श्री अध्यक्ष : वह तो आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार एक एक शब्द जो मैं कह रहा हूं वह अनधिकार चेष्टा नहीं है और मेरे अधिकार में है कि मैं इस पर भी अपने विचार रख सकूं। जो विषय सदन के समक्ष रखा गया है उस विषय के सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं, उसके उपरांत एक भी शब्द नहीं कह रहा हूं। इस पर भी जो माननीय अध्यक्ष की आज्ञा होगी उसका मैं पालन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि जब निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारित की जाय उस समय विरोधी दल के सदस्यों की भी राय ली जाय तो कोई अनुचित नहीं होगा। केवल एक तरफा कार्यवाही करने से मेरे ख्याल से जनता के साथ यह गैर इन्साफ होगा हजारों लोगों की मान्यताओं और उनकी आकांक्षाओं पर ठेस लगाना होगा।

---

xxx अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरे से पूर्व बोलने वाले महानुभाव ने यह भी कहा था कि बहुत से जिले छोटे हैं, वायेबल नोन वायेबल जो कुछ कहा ठीक है। इस बारे में हमें यह विचार करके चलना चाहिये कि एक जिले के अन्दर कम से कम कितनी तहसीलें होनी चाहियें, जहां एक जिला बहुत बड़ा है प्रशासनिक सिद्धांत से जरूरत से अधिक बड़ा है, उसको छोटा करके उसके पड़ोस में जो दूसरा जिला है उस जिले में उसकी कुछ तहसीलें मिलायी जा सकती हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिये। अगर विरोधी पक्ष को इस चीज के लिए कोन्फीडेन्स में लेना चाहेंगे तो विरोधी पक्ष इस बारे में कन्स्ट्रकटिव सजेशन्स देने के लिये तैयार है चाहे उन सजेशन्स को आप मानें या न मानें लेकिन इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि विरोधी पक्ष की बातें आप बहरे कानों नहीं सुनेंगे और बहरे कानों में नहीं डालेंगे। अगर आप हमारे सुझावों को मानेंगे तो वह केवल आपके हित में ही नहीं, दोनों के, उभय पक्ष के हित में होंगे।

जनतंत्र की स्वस्थ प्रणाली को कायम रखने के हेतु मैं यह समझता हूं कि कर्मचारियों के तबादले एक अमुक समय के पश्चात् होने चाहिए। हम कर्मचारियों को परेशान करना नहीं चाहते, वे जनता के राज्य के स्तम्भ हैं। परन्तु इसके साथ साथ यह भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से छोटे-बड़े कर्मचारी जो सात-सात, आठ-आठ सालों से एक ही तहसील और जिले में बैठे हैं उनका तबादला होना परम आवश्यक है। वे छोटे हिटलर होकर वहां पर शासनारूढ़ दल को प्रसन्न करते हैं। पता नहीं क्या करते हैं और अगर नहीं भी करते हैं तो यह सिद्धान्त की बात है। उस सिद्धान्त की बात को मान कर अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल में जनता जनार्दन का और उन कर्मचारियों का भी हित ही होगा।

यह भी मैं अनुभव करता हूं कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों के अन्दर जो कांग्रेसी उम्मीदवारों के रिश्तेदार हों उन रिश्तेदारों को भी वहां नहीं रखना चाहिये, खास करके चुनावों के समय। ऐसे उदाहरण भी मेरे पास हैं, पर मैं उनको कहना नहीं चाहता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चुनाव क्षेत्रों को साफ करने का अभी से यह प्रयास है।

श्री लक्ष्मणसिंह : नहीं, मैं तो सविसेज को स्वस्थ बनाने के सिद्धान्त से कह रहा हूं, भ्रष्टाचार को दूर करने के सिद्धान्त को लेकर कह रहा हूं और मेरे ख्याल से जनता जनार्दन के हित की जो बात है वह कहने की चेष्टा मैं अपना पवित्र कर्तव्य समझकर कहता हूं कि सरकार को अपने कर्मचारियों के तबादले, एक अमुक समय के पश्चात् कर देने चाहियें और चुनाव के समय उम्मीदवारों के रिश्तेदारों को भी उस क्षेत्र में नहीं रखना चाहिये। सरकार की अब इच्छा हो तो मेरा यह सुझाव माने, और अगर नहीं माने तो उसकी इच्छा।

एक सक्यूर्लर यह भी निकाला जावे चाहे उसका असर न हो, जैसा होम मिनिस्ट्री का सक्यूर्लर निकला कि बड़े और छोटे कर्मचारियों को चुनाव में निष्पक्ष रहना चाहिये। इसके कारण जो हमारे में बीतती है वह हम ही जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं भी जानता हूं। सन् ५७ के चुनाव में उदयपुर डिविज़न के एक निर्वाजन क्षेत्र

Page No. 53

(श्री लक्ष्मणसिंह)

में इलेक्शन पिटीशन की गई थी। सबसे पहले भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि छः महीनों में फैसला कर दिया जावे। छः महीने तो कहां, १॥ साल तक तो उसकी जमानत.ठीक रूप से, व्यवस्थित रूप से जमा हुई या नहीं हुई है, इसी में लग गया। इसका निर्णय हाईकोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट से नये जनरल इलेक्शन के एक महीने पहले निर्णय आया कि अमुक इलेक्शन अवैध करार दिया जावे। पर खैर, कोई बात नहीं है। यह तो चलता है। इस सम्बन्ध में मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी कहे बिना नहीं रह सकता। जयपुर में मालपुरा क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार की जो सिक्योरिटी थी उसको ही कोई दो घंटे तक वहां के कर्मचारी महोदय ने कहा कि मैं तो स्वीकार नहीं करता। तो यह तो एक हद है, जनतन्त्र पर एक लानत है, कालिमा का एक टीका है और मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कर्मचारी का इस बारे में जवाब लिया जावे। यह क्या बात है ? यह जनता का मखौल है और उससे जवाब लेकर उसको उचित रूप से वार्निंग दी जावे कि यह बात ठीक नहीं है, आइन्दा अगर होगा तो और कुछ नहीं होगा तो तनज्जुल और तबादला तो किया जावे।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : बर्खास्त किया जावे।

श्री लक्ष्मणसिंह : उसी में मैंने सुना कि ५०० आदमियों को इधर उधर प्रोसी-क्यूशन लॉन्च करके........

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is all hearsay. The debate is not relevant to the issue, Sir. What the Hon. Member is saying is hearsay without concrete facts, and we are not in a position to give any rejoinder.

श्री लक्ष्मण सिंह : If what I say is wrong, it should be questioned and challenged and it should be rebutted straightway. I don't hold the authority of Rajasthan, nor have I the monopoly of wisdom in all the affairs of Rajasthan.

मैं यह भी जानता हूं कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Particulars may be given.

श्री अध्यक्ष : पर्टीक्यूलर्स तो दे रहे हैं न।

श्री लक्ष्मणसिंह : When the Rajyapal was good enough to say many eulogising things about the elections, it is my particular privilege here on the floor of the House to criticise constructively the shortcomings of the general elections.

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि ट्रेजरी बेन्चेज रूल १८ की तरफ भी ध्यान रखें। यदि कोई वेग चार्जेज भी लगाया जाता है तो उनको उत्तर देने का समय मिलता है, उस वक्त वे उनका जवाब दे सकते हैं। इसलिये बार बार अपोजीशन के लीडर को इन्टरप्ट करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह कहा था कि जैसा

Page No. 54

(श्री अध्यक्ष)

कि बताया गया कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र में किसी कर्मचारी ने डिपोज़िट नहीं लिया तो इसका कॉन्क्रीट एग्ज़ाम्पल दिया जावे, ताकि उसका जवाब दिया जा सके।

श्री लक्ष्मणसिंह : किसने फेसेज़लॉन्च हुए हैं। अगर आप मालपुरा के बारे में नहीं चाहते हैं यहां सुनना तो जो कुछ भी है मैं कहना नहीं चाहता हूँ।

एक माननीय सदस्य : इसलिये जो कुछ भी है कहना नहीं चाहते हैं तो लिखकर भिजवा दें।

(श्री अध्यक्ष खड़े हुए)

श्री लक्ष्मणसिंह : यह लाजिमी नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : When ies hon. Speaker in giving the ruling, the hon. Member should not interrupt.

श्री लक्ष्मणसिंह : I apologise.

श्री मानसिंह महार : मालपुरा की ट्रेजडी के बारे में यहां नहीं कहा जावे तो ठीक होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Tragedies have been repeated in Aspur also.

श्री अध्यक्ष : बहस के दौरान में बहुत सी बातें ऐसी आई हैं........

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मैटर बन्द करता हूँ यह।

श्री अध्यक्ष : आप भाषण जारी रखिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह भी जानना चाहूँगा कि अमुक निर्वाचन क्षेत्र में तो एक ही दिन में मतदान हो गया और अमुक में तीन तीन दिन में चुनाव सम्पन्न हुए। जैसे डूंगरपुर जिले में २१ तारीख को भी मतदान हुआ, २३ को भी हुआ और २५ को भी। तो यह भी कोई सिद्धान्त पर निर्भर होना चाहिये और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्विनियेन्स के सिद्धान्त पर यह निर्भर हो तब भी अगर इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जावेगा तो मैं अत्यन्त आभारी होऊंगा। हम खास करके डूंगरपुर के जिले के नागरिकों को और अन्य जिलों के नागरिकों को अनुभव हुआ है कि विगत दस वर्षों के अन्दर जो जिले का कोटा—जो सीमेंट, टिन के पत्तर का है, जो लोहे का है, वह जिले के अन्दर नहीं आता। जिले के बाहर ही बाहर फरोख्त हो जाता है और जिले के लोग काले बाजार में जाकर अपनी जरूरत को रफा करते हैं। यह कौनसा कल्याणकारी राज्य है। यह तो एक परमिट, लाइसेंस और मोनोपोली राज्य है। इसके लिये सुव्यवस्था होनी चाहिये और डूंगरपुर की जनता को उसके हक के अनुसार सीमेंट आदि मिलना चाहिये, टिन के पत्तर मिलने चाहिये और खेती के औजार और लोहे आदि का सामान और लोहा मिलना चाहिये। जिन सज्जनों ने, जो भिछलग्गू हैं सत्तारूढ़ दल के, अगर उन्होंने यह सब अन्धाधुन्धी की है तो कम से कम उनसे जवाब तो लिया जावे। यह तो एक प्राइमाफेसी ऐसा केस है जिस पर प्रोसीक्यूशन लॉन्च हो सकता है। एन्टी सोशयल एक्ट है यह। यह बिल्कुल एक पराकाष्ठा है भ्रष्टाचार की।

श्री निरंजननाथ आचार्य : The House is under suspense, Sir.

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरी योग्यता के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। ऐसा विशेष पंडित तो नहीं हूँ। अगर हाउस को सस्पेन्स में रखता होऊं तो मैं आपका करबद्ध क्षमाप्रार्थी हूँ।

कोऑपरेटिव के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं। ठीक है। पर मेरा यह अनुभव है कि ८० प्रतिशत कोऑपरेटिव मूवमेंट असफल रहा है और जहां पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसा दिया गया है वहां सरकार ने पैसा खोया है। पैसा अनुपलब्ध है वह और एक ऐसी संस्था को आप आगे लाये हैं जिसके द्वारा शासनारूढ़ दल को भ्रष्टाचार में ओत प्रोत होकर खूब मजे लेने का मौका मिला। इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन यह करूंगा कि जहां पर भी यह कोऑपरेटिव मूवमेंट फैला हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी असफल साबित हुई है और पैसा उसका अभी तक नहीं आया है। वहां पर एक हाई पॉवर (उच्चस्तर) का आयोग मुकर्रर किया जावे, हाई पॉवर कमेटी मुकर्रर की जावे जो इस समस्या में जाकर पूरी जांच करके सरकार को अपनी रिपोर्ट दे कि भविष्य में क्या किया जावे और भविष्य में सरकार को भी योजनाबद्ध विचार करना चाहिये कि इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को प्रोत्साहन दिया जावे तो किस रूपरेखा से दिया जावे। अमुक सोसाइटी सफल होती है तो उसको दिया जावे, अगर सफल नहीं होती है या अमुक सोसाइटी फेल होती है तब भी हमको एक तरह से जिद पर आकर दस और दूसरी सोसाइटियां बनाकर कागजों पर नहीं बताना चाहिए कि हमारी इतनी सोसाइटियां हैं। यह सब पेपर वर्क है, विन्डो ड्रेसिंग है; कॉन्क्रीट और ठोस काम नहीं है।

हम सिद्धान्ततः सहकारिता जो कानून के द्वारा थोपी जाती है उसके विरोध में हैं। जो सहकारिता स्वेच्छा से, प्राकृतिक सिद्धान्तों से, प्राकृतिक नियमों से उत्पन्न होती है उसका विरोध हम नहीं करते। हमारे नेता यह समझते हैं कि कानून के जरिये से जो सहकारिता थोपी जाती है वह अहितकर है और किसानों की आजादगी को भंग करने वाली है। राजस्थान एक कृषिप्रधान देश है। हम किसानों की आजादी को अधिक से अधिक महत्व देते हैं, हम किसानों को आजाद करना हमारा पुनीत कर्तव्य समझते हैं और हम किसानों को तरह तरह के लगानों से मुक्त कराना हमारा फर्ज समझते हैं। अगर आपको देखना है तो आपने १०-१२ वर्ष तक शासन कर लिया ६ महीने तक आराम कीजिये और दूसरे दल को आने दीजिये। ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते...........

श्री निरंजननाथ आचार्य : 'Grapes are sour'

श्री लक्ष्मणसिंह : हम इस सिद्धान्त में भी अटल विश्वास रखने वाले हैं कि जिस हद तक किसानों को आजादी दी जाये उसी हद तक हम चाहेंगे कि जुडीशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव दोनों अलग अलग रहें, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतन्त्र रहे। आज कई ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं और यह अनुभव होता है कि जुडीशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव में कोई

Page No. 56

(श्री लक्ष्मणसिंह)

फर्क नहीं है। जब यह काला दिन हमारा आ जायेगा तो फिर यह विधान भी बिल्कुल समाप्त है, यह जनतंत्र भी समाप्त है। फिर तो जैसे न्याय पंचायतों की पीपुल्स ट्रिब्युनल्स, हमारे उत्तर में एक सबल देश है वहां पीपुल्स ट्रिब्यूनल्स और पीपुल्स कोर्ट्स हैं तो यहां भी कोर्ट्स हो जायेंगी, तो हमारा न तो विधान रहेगा, न जनतंत्र रहेगा, न हमारी नागरिक स्वतंत्रता रहेगी। तो ऐसी दमघोट प्रणाली अगर शासन के अन्दर आती है जिसके द्वारा एग्जीक्यूटिव और जुडीशियरी में कोई फर्क नहीं रहता क्योंकि एक दूसरे से जबतक स्वतन्त्र संस्था नहीं फंक्शन करती तब तक जनतंत्र एक जनतंत्र नहीं है, एक भ्रष्ट अधिनायकवाद है। तो मैंने सदन का काफी समय लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि जब तक विरोधी पक्ष सफल नहीं होता तब तक जनतंत्र सफल नहीं हो सकता। हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य रहेगा कि हम विरोधी पक्ष को सबल बनायें, जनतंत्र को सफल बनावें, जिसके अन्दर राजस्थान का और हमारे देश का अधिक से अधिक हित है। श्रीमान् ने मुझे इतना समय दिया उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर बधाई दूंगा कि वे चौथी बार इस सदन के नेता निर्वाचित हुए हैं।

श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने कलजो अभिभाषण दिया उस अभिभाषण में एक विशेष बात मुझे नजर आई और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि राजस्थान में पहली बार ही इस प्रकार का अभिभाषण होगा जिसमें सरकार ने प्रकट या अप्रकट रूप में अपनी गलती स्वीकार की है। श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने विकास योजनाओं को लेकर प्रकट रूप में इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे कार्यक्रम में कई प्रकार की त्रुटियां रही हैं। लेकिन साथ ही अप्रकट रूप में उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया है कि राजस्थान में इस बार के आम चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि अभिभाषण का पहला और दूसरा पृष्ठ पढ़ा जाये जिसमें चुनावों के संबंध में उल्लेख किया गया है तो उन्होंने सारी बातों का उल्लेख करते हुए कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हुए हैं। मैंने सन् १९५२ और ५७, दोनों के अभिभाषण पढ़े हैं और पढ़ने पर मुझे इस बात की जानकारी मिली है कि उनके दोनों अभिभाषणों में इस बात का संकेत है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से हुए हैं। लेकिन अब की बार इस उल्लेख का अभाव इस बात को सिद्ध करता है कि जो वास्तविक राजस्थान में चुनावों की स्थिति थी उस स्थिति को एक गलत रूप में रखने का प्रयास श्रीमान् राज्यपाल महोदय ने नहीं किया। मैं यह कह सकता हूं कि शायद उन्होंने यह महसूस किया होगा कि राजस्थान में ये चुनाव कोई राजनैतिक दलों के बीच में न होकर एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ विरोधी दल है; चुनावों के दिनों में सत्तारूढ़ दल की ओर से जिस प्रकार का प्रचार या कार्यवाही की जा रही थी उससे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति यह नतीजा निकाले बिना नहीं रह सकता कि चुनाव राजनैतिक दलों के बीच में नहीं, बल्कि सर-

(श्री भैरोंसिंह)

कार और विरोधी दल के बीच में है। अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों को बधाई दूंगा कि उन्होंने सरकार से संघर्ष लेकर बराबर की स्थिति प्राप्त कर ली।

सन् १९५२ की स्थिति के बारे में अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कुछ संकेत किया। सन् १९५७ के भी चुनावों का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन मैं आज यह कह सकता हूं कि चाहे राजस्थान की सरकार कितनी ही प्रगति के आंकड़े बताये, कितने ही इस प्रकार के स्वप्न बताये कि हमने राजस्थान के अन्दर अमुक प्रकार के काम करके जनहित के लिए एक प्रशासनिक व्यवस्था की है लेकिन १९६२ के चुनावों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान का बहुमत आज सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं है। सन् १९५७ में जिसकी अभी तारीफ की जा रही थी उस सरकार को ४५ परसेंट वोट मिले। लेकिन १९६२ में उसी सरकार को केवल ४० प्रतिशत मिले हैं, ५ प्रतिशत कांग्रेस के विरोध में गये है। हालांकि अपने देश की व्यवस्था के अनुसार आज यह नहीं कहा जा सकता कि जनता का बहुमत इस प्रकार के प्रतिशत से नहीं आंका जा सकता, बल्कि उसके आंकने का तरीका तो यह है कि जितनी सदस्य संख्या होती है उसके आधार पर होता है। उसी आधार पर कह सकता हूं कि कांग्रेस ने सदस्यों का बहुमत प्राप्त किया होगा लेकिन राजस्थान में जनमत का बहुमत प्राप्त नही किया। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हमको आज की सरकार में विश्वास नहीं है और इसके उपरान्त मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि सन् ५७ के आम चुनावों में कांग्रेस को ११९ सीटें मिली थीं और अब की बार इस चुनाव में केवल ८८ सीटें प्राप्त हुईं।

यह सही है कि प्रजातन्त्र की हत्या करके कोई माननीय सदस्य सरकार को बहुमत में बनाने के लिये अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात करे, लेकिन वास्तविक संख्या ८८ की है। जब ८८ की संख्या ११९ से गिर कर आई है तो वह इस बात का संकेत है कि आज की व्यवस्था में और इस व्यवस्था के सूत्रधार मंत्रि-मंडल और मुख्य मंत्री में राजस्थान की जनता का विश्वास नहीं है। यदि जनता का विश्वास होता तो ११९ की सदस्य संख्या ८८ पर नहीं आती और इसके उपरान्त, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के पूरे मंत्रिमंडल में बहुमत के प्रति जनता ने अविश्वास प्रकट किया है। ११ मन्त्रियों में से ६ मन्त्री और २ उप मन्त्रियों में से १ उप मन्त्री हार गये। यह इस बात का संकेत है कि आपके मंत्रिमण्डल के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त नहीं किया। आज इन परिस्थितियों में राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के नेतृत्व में कांग्रेस जनमत का विश्वास खो बैठी है। मंत्रिमण्डल के आधे से ज्यादा सदस्य और सदन में ११९ के बजाय ८८ सीटों तक संख्या कम रह जाय तो हिम्मत और विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में जनता का विश्वास नहीं है। इसलिये मैं यह भी कह सकता हूँ कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जो कि स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण की बात कहते रहते हैं वे मुख्यमन्त्री पद को त्याग कर अपने दूसरे साथी को देते। वह दूसरे साथी के लिये एक प्रकार से एग्जाम्पल क्रियेट होती कि यदि उसने जनता का इस

Page No. 58

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार से विश्वास खो दिया तो उसको भी अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : These have been repeated slogans. They are not going to quit the chair.

श्री भैरोंसिंह : I am not going to hear you, Sir.

मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है उसका कारण मैं समझ गया, अध्यक्ष महोदय, कि वे केबिनेट में जाना चाहते थे लेकिन. .

श्री निरंजननाथ आचार्य : Thank you very much.

श्री भैरोंसिंह : लेकिन राजस्थान का सौभाग्य है कि मुख्य मन्त्रीजी ने उनको लिया नहीं।

ऐसी स्थिति में स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण के लिये मैं समझता हूँ कि सदन के माननीय नेता इस पर विचार करेंगे और जो माननीय सदस्य उनकी वकालत करके केबिनेट में जाना चाहते हैं उनकी बात पर कोई गौर नहीं करेंगे।

अब मेरा दूसरा निवेदन यह है, जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि हमने ये चुनाव सरकार से लड़े। हमारे राज्यपाल महोदय ने सरकारी व्यवस्था की तारीफ की है। यह उनका कार्य है कि सरकारी व्यवस्था की तारीफ करें। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि चुनाव के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी ने जितने भी भाषण किये हैं और जिन्होंने उनको सुना है यह वे समझ कर चलेंगे कि सरकार ने सबसे पहले सब मतदाताओं को इस बात के लिये चुनौती दी है कि यदि कांग्रेस के पक्ष में वोट नहीं देते हो तो तुम्हारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, बल्कि विनाश कर देंगे . .

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is absolutely wrong.

श्री भैरोंसिंह : It is absolutely correct.

श्री अध्यक्ष:—Order ! Order !!

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कांग्रेस नेताओं के भाषणों में यह कहा गया है, यह सही है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir, whenever such refrences pertaining to the speeches made are made on the floor of the House specific reference should be made with respect to the particuular speech so that the Hon'ble Member on the other side may rightly defend the case. Surmises are not substance and fact. That is my point of order.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिल्कुल उचित कह रहे हैं कि जब तक माननीय सदस्य यह तथ्य नहीं देते कि अमुक जगह माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने क्या कहा और क्या नहीं कहा, तब तक मैं समझता हूँ उस चीज का निराकरण नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हू कि मैं

(श्री भैरोंसिंह)

जो चीज कह रहा हूं वह तथ्यों पर आधारित है। माननीय सदस्य सब से बैठे रहें, मैं प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन उन्होंने पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर दिया।

मैं जो निवेदन कर रहा हूँ कि मुख्य मंत्रीजी ने, मैं दूसरे क्षेत्रों के बारे में जिक्र नहीं करता लेकिन जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं उस क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है और उनके भाषण अखबारों में छपे हैं कि गृह मंत्रीजी के विरुद्ध मेरा चुनाव लड़ना जयपुर के लिये एक षड्यन्त्र है और षड्यन्त्र इस नाते से है कि यदि विरोधी दल का आदमी चुन कर चला गया तो आज तक जयपुर में जितना विकास हुआ है वह विकास नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहें तो आपके सारे भाषण जो अखबारों में छपे हैं मुझे माननीय सदस्य से आप इजाजत दिला दें तो मैं एक-एक अखबार का कटिंग जो कि मेरे पास हैं उनको पेश करना चाहता हूँ........

(विराम)

या वे चाहें तो स्वयं देखलें।

(२. ४४. म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति पदासीन)

ऐसी हालत में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, कि ये सारी मिसालें सदन के सामने हैं। यदि उनसे इन्कार किया जाय तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जो बातें पब्लिक में कही हैं उनको यहां कहने की हिम्मत नहीं है। यदि माननीय मुख्य मन्त्रीजी यह कहें कि केवल इन बातों से मैंने खुद ने चुनाव नहीं लड़ा है तो मैं अखबारों की बातों को छोड़ कर एक बड़ा पैम्फलेट जो उदयपुर से प्रकाशित हुआ है वह सदन के सामने रखना चाहूँगा। इसके अन्दर विकास के काम उनके जमाने में कितने हुए हैं, यह बताया गया है।

अब मैं आज की सरकार से यह पूछना चाहूँगा कि किस क्षेत्र में विकास का काम कितना होता है, यह राजनैतिक दल का काम नहीं है; चाहे वह जनसंघ हो या स्वतन्त्र दल हो। विकास का काम राजनैतिक दल अपनी जेब से नहीं करता है, अपने खजाने से नहीं करता है, अपनी पार्टी के फण्ड से नहीं करता है। वे सारे काम सरकारी होते हैं। सरकार ही सारा काम करती है। जनता के खजाने का पैसा उसमें खर्च होता है। उसके बदौलत वोट लेना चाहें, वह इस बात का संकेत है कि मैं जिस वक्त में मुख्य मन्त्री रहा हूँ इस कारण अमुक क्षेत्र में इतना काम हुआ है। यह राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी के पक्ष में उदयपुर से पैम्फलेट निकाला गया है, 'प्रगति का परिचय' और इसमें बैलों का फोटो देकर लिखा है कि बैलों को वोट दो। इस सारे में लिखा है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री जब से उदयपुर से चुन कर आये हैं तब से वहां १ अरब, १५ करोड़ रुपये का विकास का काम उन्होंने किया है। वह १.१५ करोड़ रुपया यह रहा (किताब बताकर)। जोड़ लगाना चाहें तो जोड़ लगा लें। विकास के कामों पर वोट लेना चाहें तो उसकी निगेटिव साइड यह होती है कि अगर विरोधी दल का व्यक्ति........

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अच्छी तरह से देख लें। पूरी दूसरी पंचवर्षीय योजना ही १०५ करोड़ की थी।

श्री भैरोंसिंह : ११५ करोड़ का है कुल टोटल।

एक माननीय सदस्य : कहीं यह आपने ही तो पब्लिश नहीं करवाया है ?

श्री भैरोंसिंह : मैंने पब्लिश नहीं कराया है। ११५ करोड़ का हिसाब है। मैंने टोटल लगाया है। कोई लाखों की गल्ती रह जाय तो मैं नहीं कह सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : Including the Railway Institute, I presume.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : किसका है ?

श्री भैरोंसिंह : यह कांग्रेस कार्यालय से प्रचारित हुआ है।

यदि माननीय सदस्य इससे इन्कार करें तो यह उनकी मर्जी की बात है। आम प्रचार था कि विरोधी दल का सदस्य जीत कर चला गया तो उसके साथ में उस क्षेत्र के विकास का काम नहीं होगा। भाषण यह होते थे कि यदि कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो बिजली नहीं लगेगी, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, बाकी के विकास और उद्योग के काम हैं वे सारे काम नहीं होंगे। मैं समझता हूँ कि वे इस बात से इन्कार कर सकते हैं यहां पर लेकिन हर जगह उनके भाषणों में इस बात का संकेत मिला है। वह अखबारों में हमको पढ़ने को मिला है। ये सारी धमकियां दी गई हैं। इन सारी धमकियों के बावजूद विरोधी दल ने कांग्रेस को बुरी तरह से परास्त किया और परास्त यहां तक किया है कि जो राजस्थान के मुख्य मन्त्री यह कहा करते थे कि बाकी के राजनैतिक दल उनके उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश नहीं कर पा सकते हैं राजस्थान के उन मुख्य मन्त्री के खुद के डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस को ५ सीटें मिली हैं और ८ विरोधी दलों को मिली हैं। इन बातों से नतीजा निकलता है कि जनता में आज चेतना आई है और उसको विकास के नाम से भुलावे में नहीं डाला जा सकता है। उन्होंने राजनैतिक आधार पर और नैतिक आधारों पर वोट देना शुरू किया है। एक वातावरण जो था वह अब धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगा।

मैं, इतना ही नहीं, यह भी कहना चाहूँगा कि राजस्थान के मन्त्रियों की तारीफ विकास के कामों की आड़ में ही नहीं की गई है प्रत्यक्ष में की गई है, छोटे से छोटे पत्रों में विज्ञापनों के जरिये की गई है, राजस्थान के मुख्य मन्त्री के अपने चुनाव क्षेत्र में पत्रों द्वारा की गई है। अगर नहीं की गई है तो एक स्टेटमेंट दे दें और बता दें कि चुनावों के दिनों के अन्दर उदयपुर से निकलने वाले साप्ताहिक और दैनिक पत्रों को कितना एडवटाइज़मेंट का पैसा दिया। आपको अपने आपसे इस बात से स्पष्ट स्थिति मालूम होगी कि राजस्थान में एक वर्ष में जितना विज्ञापन में पैसा खर्च हुआ है उसके बराबर २ महीनों में विज्ञापनों में पैसा खर्च हुआ मैं इसे सदन की जानकारी के लिये लाया हूँ। इस पत्र में केवल कांग्रेस का प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी की फोटो हैं, एक बार नहीं, चार चार बार। वह अखबार, शायद कांक-

(श्री भैरोंसिंह)

रोली से जो माननीय सदस्य आये हैं वे फिर खड़े हो जायेंगे; वह "विशाल राजस्थान" है जिसमें सुखाड़िया साहब का फोटो है, मन्त्री मण्डल के बाकी सदस्यों के फोटो हैं, माननीय सदस्य जो रेलमगरा से आये हैं उनका भी फोटो है। उसके बाद एक पेज का एडवर्टाइजमेन्ट है। उसके बाद राजस्थान में योजना का विकास, इस पर सुखाड़ियाजी का फोटो, फिर तीसरे पेज पर सुखाड़िया साहब का फोटो चौथे पेज पर फिर उनका फोटो है। फिर आयुर्वेद की निरंतर प्रगति, यह एडवर्टाइज़मेन्ट, खरीफ में खाद यह एडवर्टाइज़मेन्ट। एक एक पेज में एडवर्टाइज़मेन्ट। इस तरह के एडवर्टाइजमेन्ट्स से जनता के पैसों की खाद बनाई गई। इस बात की जांच की जाय कि इस समय इतने एडवर्टाइज़मेन्ट देने की क्या आवश्यकता थी? आपको जो जानकारी मिलेगी उसका उद्देश्य क्या है? शायद जनता के खजाने का पैसा........

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह): (किसी माननीय सदस्य के सदन के प्रांगण में आने पर) I would infrom the Hon'ble Members not to cross the floor of the House.

आप कन्टिन्यू रखें।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में मैं सदन से निवेदन करना चाहूँगा, सभापति महोदय, यह केवल एक अखबार में ही नहीं, बल्कि इन दो महीनों में जितने भी ऐसे समाचार-पत्र निकले हैं उनकी सूची मैंने तैयार की है और उसके आधार पर यह कहना चाहूँगा कि हमारे इलेक्शन के दिनों में जितने भी एडवर्टाइज़मेन्ट दिये हैं उनकी जांच करने के लिये एक निष्पक्ष समिति का गठन किया जाय जिसमें अधिकारी भी हों और सत्तारूढ़ दल और विरोधी दलों के सदस्य भी हों। मैंने केवल एक अखबार की जानकारी आपको दी है और दूसरा जो चरम सीमा पर पहुँचा है उसको भी देखिये। "राजस्थान क्रोनिकल" जिस; पर लिखा है उसमें रामकिशोरजी की फोटो है, फिर ऐडवर्टाइज़मेन्ट है, फिर दूसरे पेज पर यह ऐडवर्टाइज़मेन्ट है, फिर तीसरे पेज पर (पेज दिखाते हुऐ) इतना बड़ा यह ऐडवर्टाइजमेन्ट है। फिर चौथे पेज पर (पेज दिखाते हुए) इतना एडवर्टाइज़मेंट है। ८ पेज के अखबार में पूरे ४ पेज का ऐडवर्टाइजमेन्ट और इतने बड़े ऐडवर्टाइजमेन्ट, इसका अन्दाजा यह मन्त्रीजी लगा लें, मैं नहीं लगा सकता, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि हजारों रुपयों का विज्ञापन है जो केवल वोट फोर ? कांग्रेस के लिये। कांग्रेस के लिये इस प्रकार के समाचार पत्रों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ यह प्रजातन्त्र के लिये उचित नहीं है। ऐक बार नहीं, मैंने कई बार मांग की है ऐडवर्टाइज़मेन्ट की पोलिसी निर्धारित करने के लिये, लेकिन बदकिस्मती इस बात की है कि जब जब इसके लिये मांग की गई तब तब उसको सरकार द्वारा ठुकराया गया और ठुकराया इसलिये गया कि इलेक्शन के दिन शायद याद आते थे जिस दिन कि इन विज्ञापनों और नोटिसों के द्वारा समाचार-पत्रों में अपना प्रचार करायेंगे। यही कारण हो सकता है और दूसरा कारण यह हो सकता है कि इस विभाग के संचालक राजस्थान में कहना चाहिये कि एक ही किस्म के व्यक्ति हैं जिनके बारे में राजस्थान विधान सभा के अधिकांश सदस्यों ने, जन लेखा

(श्री भैरोंसिंह)

समिति ने, राजस्थान सरकार के दो दो गृह सचिवों ने; सबने मिल कर प्रयास किया कि इनको हटाया जाय और इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। २ महीने पहले जिस व्यक्ति के लिये आरोप लगाया गया था, विधान सभा में जिसकी जांच करने की मांग की गई थी, जिसकी जांच करके चार्ज शीट दे दी थी लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है; इसलिये कि उनके द्वारा विज्ञापन देकर प्रचार कराया जाता है, मन्त्रियों के फोटो छपते हैं और मौका लग गया तो खुद संचालक का भी फोटो छप गया; उनका फोटो छपा है। आखिर सरकार के सामने क्या मसला है? सरकार एक तरफ, सरकार के अधिकारी एक तरफ, जन लेखा समिति एक तरफ दो गृह सचिवों ने यह कहा कि ये झूठा हिसाब बनाने वाले हैं, वे एक तरफ फिर भी इन संचालक महोदय के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है। इस सदन में मैंने कई बार कहा, भूतपूर्व गृह मन्त्रीजी द्वारा न मानने का नतीजा है कि उन गृह मन्त्रीजी को हार खानी पड़ी है। अभी जो नये गृह मन्त्रीजी आये हैं उनसे कहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें, गलत कार्यवाही करने से चुनाव में हार हो सकती है। डाइरेक्टर जो एक अधिकारी हैं उसको बचाने के लिये इस प्रकार की परम्परा कायम नहीं करनी चाहिये जो दूसरों को प्रभावित करती है। मैं विज्ञापनों के बारे में सरकार से यह सूचना हाउस को देने के लिये निवेदन करूंगा कि गत दो महीनों में, जनवरी और फरवरी में, सारे राजस्थान में जो विज्ञापन दिये हैं उनके बारे में गृह मन्त्रीजी पूर्ण जानकारी दें कि कितने विज्ञापन दिये थे और साथ ही साथ यह बतावें कि जिन पत्रों को विज्ञापन दिये थे उनका सर्क्यूलेशन क्या है? मैं जानता हूँ कि कई पेपर्स ऐसे हैं जिनका सर्क्यूलेशन नहीं के बराबर है। वे हमारे पास यों ही आते हैं और इसलिये आते हैं कि डाक के टिकटों का हिसाब लगा कर यह बता सकें कि उनका सर्क्यूलेशन इतना है। मैं मन्त्रीजी से इसलिये जानकारी चाहूँगा कि जिनको विज्ञापन दिये हैं उनके सर्क्यूलेशन का हिसाब बतावें और आइन्दा के लिये एक विज्ञापन कमेटी नियुक्त करें जिसमें सत्ताधारी दल के साथ साथ विरोधी दलों के सदस्य भी रखे जावें और जिस तरह की नीति वह बोर्ड निर्धारित करे उसी तरह से विज्ञापन दिए जावें तभी स्वस्थ परम्परा रह सकती है। मैं कहना चाहता हूं कि जितना प्रचार अस्वस्थ होता है उतना ही असर प्रजातंत्र पर पड़ता है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी भी समझते होंगे कि पत्रों का स्टेन्डर्ड गिराया है और जितना स्वस्थ निर्माण होना चाहिये था उतना नहीं हो पाया है। इसलिये मैं इस बारे में ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा।

जहां तक इसमें विकास के कामों का जिक्र किया है, मैं, सभापति महोदय, ज्यादा तो कुछ निवेदन करना नहीं चाहता लेकिन इतना अवश्य कहता हूं कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और इसके महत्व को कोई इन्कार नहीं कर सकता। जयपुर रियासत के समय जयपुर में जिस प्रकार की व्यवस्था थी डेवलपमेन्ट साइड को लेकर, जयपुर की सुन्दरता को लेकर उसकी हालत को यदि आज देखा जाय तो आजके जमाने की तुलना उस समय से करें तो विशेष प्रकार का अन्तर आयेगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे भाखरा और चम्बल का जिक्र करते हैं, रोड माइलेज

(श्री भैरोंसिंह)

और खनिज उपलब्धियों का जिक्र करते हैं लेकिन जयपुर की कच्ची बस्तियों में जाकर शायद ही किसी मंत्री ने देखा हो कि इन बस्तियों में जो लोग निवास करते हैं वे दुनियां में नहीं रहते, ऐसा लगता है कि नर्क में रहते हैं। सरकार दावा करती है कि विकास में करोड़ों रूपये खर्च किये हैं, औसत स्थिति में सुधार हुआ है, पर केपिटा इन्कम बढ़ी है लेकिन इन बस्तियों में जो नर्क की सी हालत है उनका जिक्र नहीं करते....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ये कच्ची बस्तियें कब से बसी हैं ?

श्री भैरोंसिंह : बहुत पुराने जमाने से बसी हैं। लेकिन मैं यह कहूंगा कि उदयपुर की बहुत पुरानी गंदी बस्तियें पहले साफ हो गई हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : It is the beginning of the sympathy now.

श्री भैरोंसिंह : I am sympathetic to you also, and I will request the Hon. Chief Minister to include you in the Cabinet.

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमदर्दी के लिये कॉम्प्लीमेन्ट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह : आज जयपुर में, मैंने मालूम किया, आखिर इन बीच की बस्तियों में सुधार का काम क्यों नहीं होता। प्राइमरी स्कूल्स क्यों नहीं खुलते, डिस्पेन्सरीज़ क्यों नहीं खुलती और रात में लाइट का इन्तजाम क्यों नहीं होता ? मुझे मालूम हुआ कि इसके पीछे

(३.०० म. प.)

राजनैतिक दृष्टिकोण है और वह यह है कि जब शहर की पढ़ी-लिखी जनता से कांग्रेस के नेता वोट मांगते हैं तो वे उनको पर्स्यूएड नहीं कर सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते। वे अपनी इन्टेलीजेन्स एक्सर्साइज़ करते हैं, वोट डालने में। लेकिन इन कच्ची बस्तियों में जब लोग वोट लेने के लिए जाते हैं तो वे लोग कहते हैं कि बिजली के खम्भे लगा दो तो हम वोट दे देंगे, पानी के नल लगा दो तो हम वोट दे देंगे। उनके सामने कांग्रेस और जनसंघ का अन्तर नहीं है, वहां पर पानी के नल और बिजली के खम्भे की मांग होती है। सत्तारूढ़ दल वहां पर बिजली के खम्भे लगा देगा, पानी के नल लगा देगा, पानी और बिजली की व्यवस्था कर देगा तो उसको वोट मिल जायेंगे। लेकिन अब की यह बदकिस्मती रही हालांकि यू. आई. बी. जिसके बारे में यह कहना चाहिये कि उसका काम निष्पक्ष होना चाहिए, के चेयरमैन ने हमारे भूतपूर्व गृहमंत्री के इलेक्शन एजेन्ट से कम काम नहीं किया। किस हद तक हमारे माननीय मुख्य मंत्री का यह दावा सच हो सकता है कि इलेक्शन के दिनों में बिजली के खम्भे नहीं लगाये गये, पानी के नल नहीं लगाये गये ? आज चौदह वर्ष में पानी के नल और बिजली के खम्भे नहीं लगा सके, फिर फरवरी में ऐसी कौनसी स्थिति आ गई कि बिजली के खम्भे और पानी के नल लगाये ? क्या लोगों के ईमान को पानी के नल और बिजली के खम्भों में खरीदा जा सकता है ? मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि यह एक राजनैतिक षडयंत्र है कि गरीब लोगों को चुनाव के मौके पर इस तरह के प्रलोभन देकर खरीद लिया जाय और उनको हमेशा के लिए गरीब बनाया जाय ? इलेक्शन के दिनों में लोगों के

(श्री भैरोंसिंह)

ऊपर धमकियां पहुंचती हैं और धमकियां इस लिए पहुंचती हैं कि हम जयपुर का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जयपुर का इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमें जमीन चाहिए। अब जगह जगह लोगों को नोटिस दिये गये, लैंड एक्वीज़ीशन की कार्यवाही चालू की गई और वह कार्यवाही इसलिए चालू की गई कि यातो हमें वोटदो या फिर मकानछोड़ो, जमीन छोड़ो। लोगोंने सोचा कि इस लैंडएक्विज़ीशन से बचने का एक ही तरीका है कि कांग्रेस को वोट दें। उन्होंने कहा कि हम वोट देंगे और लैंड एक्वीजीशन का नोटिस वापिस ले लिया गया। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं हो सकती। मुझे बताओ वे कागजात। उन्होंने वे कागजात पेश किये। उन कागजात में, माननीय सभापति महोदय, एक मजे की बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। वह क्या है ? वह यह है कि राजस्थान की सरकार यह कहती चली आ रही है कि हाई कोर्ट जोधपुर चला गया है और हाई कोर्ट को जयपुर लाने के लिए किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है। ऐसा प्रश्न नहीं उठ सकता। लेकिन आज के चार दिन पहले एक नोटिस दिया और वह यू. आई. बी. ने दिया है और इन बस्तीवालों को यह कह कर दिया है कि हाई कोर्ट के विकास के लिए जमीन चाहिए। वह हाई कोर्ट बैठा है जोधपुर में, तो उसका विकास जयपुर में कैसे होगा, यह समझ में नहीं आया। क्या हाई कोर्ट इतना लम्बा हो जायेगा या टेलीफोनिक कनेक्शन हो जायेगा कि यहां तो बहस होगी और जजमेंट जोधपुर में हो जायेगा। इसलिए हाई कोर्ट के विकास को स्थल चाहिए और भोजपुरा और चक्रधरपुरा को जमीन चाहिए। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने नोटिस देखा तो उसमें लिखा था कि हाई कोर्ट के विकास के लिए जमीन चाहिए। अगर कोई माननीय सदस्य और खास तौर से कांकरोली से आने वाले माननीय सदस्य देखना चाहें तो वे देख सकते हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : ले लीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दे दीजीये, अगर ऐसा है तो।

श्री भैरोंसिंह : आ जाइये।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के नोटिस दिये जाते हैं। इतना ही नहीं कि इस प्रकार के गलत नोटिसेज़ दिये जाते हैं, बल्कि इस प्रकार के नोटिस दिये जाते हैं कि इलेक्शन के पहले नोटिस दे दिये गये और जब इलेक्शन में वोट देने का वायदा कर दिया तो नोटिस वापिस ले लिये गये। हमारे एम. एल. एज़. क्वार्टर्स के पास लालजी का अहाता है, इस बस्ती में लैंड एक्वीज़ीशन का नोटिस दे दिया गया। वह नोटिस इसलिए दिया गया कि बसेज़ के लिए शेड्स बनाने हैं। दैवयोग से बसेज के शेडस पहले से बनगये थे, जितनी जमीन चाहिए थी वह पहले ही प्राप्त कर ली गई थी लेकिन इलेक्शन में वोट प्राप्त नहीं होंगे उन्होंने इसलिए लैंड एक्वीज़ीशन का नोटिस दे दिया। लोगों ने सोचा कि इस लैंड एक्वीज़ीशन से बचने का एक ही रास्ता है और वह है कि वोट देने की हां भर लो। और उन्होंने वोट देने की हां भर ली। क्योंकि यू. आई. बी. के चेअरमैन के लिए यह पांच मिनट का काम है, इसलिए वह नोटिस वापिस

Page No. 65

(श्री भैरोंसिंह)

ले लिया गया। माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया गया तो आप यू. आई. बी. के अन्दर देख लें कि पिछले दो माह में कितने लोगों को प्लॉट दिये गये, कितने पानी के नल लगाये गये, कितने बिजली के खम्भे लगाये गये और कितनों को नोटिस दिया गया एक वातावरण बनाने के लिए। लोगों को डराने के लिए लैंड एक्वीजीशन के नोटिस दिये गये जो कि गलत हैं। जितने रूल्स बना कर भेजे हैं उनके अनुसार पहले प्लान बना कर भेजना चाहिए वह एप्रूव होना चाहिए, उसके बाद स्कीम की सेंक्शन होनी चाहिए और फिर लैंड एक्वीजीशन का नोटिस दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती है कि कोई प्लान नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट के पास लैटर भेज दिया कि लैंड एक्वायर करना है। गवर्नमेंट ने देखा कि चुनाव का मौका है, लैंड एक्वायर कर लिया जाय। उन्होंने कलेक्टर को भेज दिया और नोटिस दे दिया गया। मैं समझता हूं कि कोई स्कीम होती है तो पहले उसकी टैक्निकल एप्रूवल होती है। तो उसको जल्दी से जल्दी वापिस ले लेने की और वहां पर हाई कोर्ट औरब स शेड स के लिए झूठे रूप से लैंड लेने की आवश्यकता नहीं होती। मैं निवेदन करूंगा कि जयपुर का विकास तब ही सम्भव है जब कि ऐसे आदमी चेअरमैन न बनें। किसी राजनैतिक पार्टी के हितों का विचार करनेवाला व्यक्ति चेअरमैन नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है।

हमने पिछली बार राजस्थान की विधान सभा में कहा था कि जिसको यू. आई. बी. का चेअरमैन बनाया है, वह अयोग्य है उसके लिए और उसकी नियुक्ति डेमोक्रेसी के सिद्धान्त के खिलाफ है। क्योंकि जो पी. एस. सी. के चेयरमैन रह चुके हैं और इस प्रकार जो पी. एस. सी. के चेअरमैन रहते हैं उनके लिए एक टेम्पटेशन हो जाता है कि एक प्रकार से एम्प्लॉयमेंट आगे मिलने वाला है इस प्रकार के टेम्पटेशन से जो जुडिशियल जजमेंट होना चाहिए उसमें बाधा होती है। लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने स्वीकार नहीं किया और उनको इस नियुक्ति पर बनाये रखा। उसका इनाम उन्होंने इस चुनाव में दिया। मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए वे सरकार से मांग करें कि जो पी. एस. सी. का चेअरमैन रखा जाता है उसको इस प्रकार का टेम्पटेशन न दिया जाय और सरकार अगर री-एम्प्लॉय करना चाहे तो उस पर पाबन्दी लगाये। इस मौजूदा मसले में मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्ति ने चुनाव के दिनों में खुले रूप से कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया, जनता के खजाने से रुपया खर्च किया, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और उसको उस जगह से हटाया जाय इसके लिए अगर सबूत चाहिए तो मैं दूगा, अगर रिटन सुबूत चाहिए तो मैं दूगा अगर ओरल सुबूत चाहिए तो मै दे दूंगा। प्लॉट के अलॉटमेंट के, बिजली के खम्भे और पानी के नल लगाने के।

मुझे कल ही मालूम हुआ है जब मैं वापिस आया कि जो इलेक्शन के दिनों में बिजली के खम्भे लगाये थे वे आज उखाड़ कर ले जाना चाहते हैं। क्यों ले जाना चाहते हैं ? इसलिए कि वहां के लोगों ने वोट नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

दिया । मैंने कहा कि उखाड़ कर ले जाने से पहले मुझे इत्तला देना । मैं मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा और अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आपसे मिलकर जो व्यवस्था करनी चाहिए वह करूंगा । मैं निवेदन करूंगा कि खम्भे पड़े हैं, हसनपुरा में खम्भे पड़े हैं । उनको उठा कर ले जाने की कोशिश की जा रही है । जिस समय वहां के नागरिक सो जायं उस समय ट्रक लायें और ले जायं । अगर रात को चोरी करने का काम सरकार न करे तो मैं उसे सरकार का सराहनीय कार्य समझूंगा ।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे मसले में कुछ सरकारी कर्मचारियों का जिक्र आया है । हमारी सरकार ने कहा है है कि हमने वेतन स्तर बढ़ाया है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि जो ११५ ग्रेड्स थी, ११५ केटेगरीज़ थीं उनको घटा कर अब ३५ कर दिया है । उसकी एक किताब भी प्रकाशित कर दी है, उसको मैंने अच्छी तरह से देखा और देखने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि जिन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गईं उनको वास्तव में फायदा हुआ या नहीं ? वास्तविक फायदा जो कल माननीय राज्यपाल महोदय ने शायद अपने अभिभाषण में कहा कि पेंशन के समय तक उनको मिल जायेगा । मैं यह समझ नहीं पाया कि जिसको पैसे की जरूरत है आज उसको कहा जाय कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्हें पेंशन ज्यादा मिलेगी । यह दलील और तरक्की उनके लिये किस प्रकार उचित है ? यह या तो वे स्वयं महसूस करते हैं या फिर सरकार महसूस करती है । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कुछ कैटेगरीज़ की तनख्वाह बढ़ाई, जैसे यू. डी. सी. को ८० रुपये मिलते थे और ३५ रुपये मंहगाई के मिलते थे । उसको बढ़ा कर अब उसे ११५ रूपये मिलते हैं । इस ११५ रुपये में क्या कार्यवाही की है इन्क्रीमेंट की कि १०५ रुपये तनख्वाह और १० रुपये मंहगाई, इस प्रकार कुल ११५ रुपये हुये । जैसे थे वैसे के वैसे रह गये । तनख्वाह में मंहगाई मिला दी । उसका फायदा हो सकता है पेंशन के टाइम पर । आज उसको कुछ प्रेक्टिकल गेन नहीं है । इसी तरह एल. डी. सी. को तनख्वाह थी ६०रु. और मंहगाई ४० रु., इस प्रकार १००रु. मिलते थे । आजडी.ए. शामिल करके ६० रुपये तनख्वाह कर दी और १० रुपये मंहगाई, इस प्रकार १०० रु., दोनों बराबर हो गये । चपरासी को पहले २५, ३० रुपये मिलते थे । आपने अब उसके ४०) रूपये तनख्वाह कर दी और १० रुपये मंहगाई कर दी । उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता । लेकिन आप कहेंगे कि कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई है । मैंने उनसे भी बात चीत की है, बुकलेट को भी ध्यान से पढ़ा है । जिनकी तनख्वाह बढ़ाई है उनका इन्श्योरेन्स भी ज्यादा कटेगा और हाउस रेंट भी ज्यादा वसूल होने लगजायेगा; यानी जो आपने दिया है वह आपने लेना शुरूकर दिया है । उन्हें जैसे थे वैसेही रखदिया है । यह सही है कि कुछ वर्ग की तनख्वाह बढ़ी है, उनको फायदा हुआ है लेकिन वे मामूली हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को खास तौर पर कि पिछले साल में, बजट अधिवेशन

(श्री भैरोंसिंह)

में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने मांग की थी कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्तर बहुत कम है, उसको ठीक किया जाय। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि हमारे राजस्थान की वितीय स्थिति ठीक नहीं है इसलिये वेतन स्तर में सुधार नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहूंगा कि राजस्थान का १९६१-६२ का बजट मार्च के अन्दर पास हुआ था और कितनी आपकी आमदनी होने वाली है. इसका सारा केल्कुलेशन आपने मार्च में कर लिया था। उसके बाद कहा था कि सरकारी मुलाजिमों की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। आगे चल कर इस बजट में कौनसी इन्कम आ गई जिसको लेकर तनख्वाह बढ़ाई है? वह तनख्वाह आपने उनकी उस समय नहीं बढाई और सरकारी कर्मचारियों में असंतोष था इस बात को आपने दो महीने पहले अस्वीकार किया था। मगर दो महीने बाद आपने उसको स्वीकार करके सरकारी कर्मचारियों की सिम्पेथी प्राप्त-करनेकी कोशिश की है। यह सही है कि सरकारी कर्मचारी भूखा है, लेकिन ५) रुपये के प्रलोभन में आकर, वह सरकार के दबाव में आकर अपना राजनैतिक शोषण कराने को तैयार नहीं।

जिस प्रकार भारत सरकार ने कर्मचारियों की पे को तय करने के लिए पे कमीशन की नियुक्ति की है उसी प्रकार राजस्थानमें भी राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को पे को तय करने के लिये पे कमीशन की नियुक्ति हो। भारत सरकार ने दो दफा पे कमीशन नियुक्त किया। आज राजस्थान सरकार भी कहती है कि हमने भी इसके लिये एक कमेटी अपोइन्ट की। हम इसके लिये बराबर सरकार से मांग करते आ रहे हैं कि राजस्थान में भी पे कमीशन मुकर्रर हो। राजस्थान में एक स्थाई कमेटी इसके लिये बनाई जाए जो कोस्ट ऑफ लिविंग को, मकानों के किराये आदि को देखते हुए व मौजूदा पे स्केल को देखते हुये सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मुकर्रर करे। मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपने ये ५) रुपये बढ़ाये हैं वे क्या लिविंग इन्डेक्स को देख कर बढ़ाये हैं? लोगों की समस्याएं हैं उनको आपने किस प्रकार से जांचा है? इसलिये मैं यह कहूंगा कि यहां पर एक स्थाई पे कमीशन की जरूरत है। इसके अलावा मैं यह भी कहूंगा कि जैसा आप कहते हैं, आपने अपने भाषण में कहा है कि हमारी आय प्रति व्यक्ति बढ़ी है। आपने बताया कि १९५६, १९६० और १९६१ में इतनी बढ़ी है, आपने यह तो बताया वह ठीक है लेकिन आपने इसके साथ साथ कभी यह भी सोचा है कि उसके साथ साथ मंहगाई,प्राइस इन्डेक्स कितना बढ़ा है?

(विराम)

मैं समझता हूं कि आपने इन्डेक्स और कोस्ट ऑफ लिविंग किस हद तक बढ़ा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप देखेंगे कि गुड़ है, तेल है, चीनी है, कपड़ा है जो हमेशा काम आने वाली चीजें हैं उन सारी चीजों पर मंहगाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। इस बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए जो सहूलियतें आप उनकोदेते हैं जैसे एज्यूकेशनल फेसिलिटी, मेडीकल फेसिलिटी आदि; ये सब मिला कर भी उनके लिये पर्याप्त नहीं हैं। आज उनको जो तनख्वाह मिलती है वह उनको

(श्री भैरोंसिंह)

आवश्यकताओं को देखते हुए खर्चे की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, यह देखने की बात है। मैं यह कहता हूं कि वह पर्याप्त नहीं है। इसलिये मैं मुख्य मंत्रीजी से कहूंगा कि वे एडहोक इन्क्रीमेंट की बात को छोड़ें और कर्मचारियों के जीवन की आवश्यकताओं को और वस्तुओं की मंहगाई को ध्यान में रखते हुए इस बात को तय करें कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह क्या होनी चाहिये और वे जो सुझाव रखें उन पर ध्यान दें। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में और खास तौर से जयपुर में इन सारी बातों को देखते हुए इस बात की मांग की गई कि जयपुर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित किया जाए। इसके लिये एक मेमोरेन्डम केन्द्रीय कर्मचारी संघ ने हमें बुला कर दिया और उन्होंने अपनी समस्याओं को हमारे सामने रखा। उस समय भूतपूर्व गृह मंत्री भी वहां मौजूद थे। उन्होने यह कहा कि जयपुर नगर तो 'बी' श्रेणी का नगर होकर रहेगा। जिस समय उन्होंने आश्वासन दिया उस समय मैं यह समझा कि यह तो 'बी' श्रेणी का नगर हो गया, क्योंकि जब गृह मंत्रीजी कहते हैं तो यह तो हो ही गया। इसके अलावा हमारे यहां जब प्रधान मंत्री भाषण देकर जा रहे थे उस समय भी संयोजक केन्द्रीय कर्मचारी संघ ने अपना मेमोरेन्डम भारतवर्ष के प्रधान मंत्री के सामने पेश किया कि मंहगाई आदि को ध्यान में रखते हुए जयपुर को 'बी' श्रेणी का नगर बनाया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज शायद सरकार यह कहेगी कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट का मामला है, हम इसमें कैसे चल सकते हैं ?

मैं यह निवेदन करूंगा कि किसी नगर को अपग्रेड करने के लिये दो चीजों को देखना आवश्यक होता है :–

एक तो वहां पर मकानों की आवश्यकता; आया लोगों को मकान आसानी से मिल सकते हैं या नहीं, किराया कितना लगता है ?

दूसरी बात यह देखनी होती है कि मंहगाई का इन्डेक्स क्या है।

अगर उपरोक्त दोनों चीजों को हम देखें तो हमारे यहां मकानों की बहुत कमी है। आज आप देखेंगे कि ए. जी. ऑफिस के लोगों ने ५५) रुपये में एक कमरा, एक किचन, आदि लिया है और कुछ बड़े मकान के ७०) रुपये किराये के देकर लिया है। यह तो राजस्थान में मकानों की हालत है। राजस्थान में मकानों की पूरी कमी है। अब राजस्थान की राजधानी की जनसंख्या केवल ४ लाख और कुछ हजार है। जहां तक ५ लाख की आबादी न हो उस समय तक आप इस नगर को अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि पे स्केल व हाउसिंग फेसिलिटी व प्राइसेज़ इन्डेक्स आदि के जो फैक्टर्स हैं उनको नहीं भूल जाना चाहिये और इसके लिये इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जहां इसप्रकार के मकानों की तंगी ज्यादा हो वहां लोगों को कम्पेन्सेटरी अलाउन्स देकर उनकी कमी को पूरा करें। जयपुर में मकानों की कमी है और किराये के मकानों के लिए सरकारी कर्मचारियों की मांग है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार कोटा में आपने जनसंघ को हराने के लिए कोटा नगरपालिका के क्षेत्र में पांच पांच मील की बढ़ोतरी की और वह केवल इसलिए

(श्री भैरोंसिंह)

की कि वहां पर जनसंघ म्युनिसिपल चुनावों में जीत रहा था वह हार जावे, लेकिन खुश किस्मती से जनसंघ की जीत हुई, उसी तरह से आप आज जयपुर शहर में सांगानेर और आमेर को मिला दें तो जितनी जन संख्या हमारे जयपुर को 'बी' श्रेणी का नगर घोषित करने में आवश्यक है वह जनसंख्या मिलकर अनुकूल जनसंख्या बन जावेगी। इससे आपके सामने कोई मुसीबत नहीं होगी और भारत सरकार को भी हीलो हुज्जत करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि जयपुर को 'बी' श्रेणी का राज्य बनवाया जाए जिससे कर्मचारियों को राहत मिल सके और वे उन लोगों को राहत दिलाने का प्रयत्न करें।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि इलेक्शन के दिनों में राज्य की मशीनरी का किस प्रकार से खुल कर प्रयोग किया गया। यह मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि कल माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा था कि इलेक्शन में राज्य की मशीनरी का प्रयोग नहीं किया गया। इसके लिये मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारी राजस्थान सरकार ने ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज़ करने की स्कीम बनाई। मैं इसके सारे इतिहास को सदन के सामने नहीं रखना चाहता लेकिन यह विश्वास से कह सकता हूं कि इस नेशनलाइज़ेशन में विश्वास नहीं रखते। वे इसलिए विश्वास नहीं करते कि इससे बस ऑपरेटर, कन्डक्टर और मोटर ड्राइवर आदि हैं उनको आउट आफ एम्पलॉय मेंट फैंकते हैं। इसके अतिरिक्त बसों की प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ हैं उनको भी समाजवाद के नाम का लेकर खाने की चेष्टा की जा रही है। मैं समझता हूं कि इससे आप मध्यम श्रेणी के लोगों को नुक्सान पहुंचा रहे हैं। आपका समाजवाद का नारा आगे बढ़ने लगता है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आपने ट्रान्सपोर्ट के नेशनलाइज़ेशन में जो काम किया है उसमें जनता को कितना लाभ हुआ है, यह आप नहीं बता सकते। आपने एक करोड़ रुपयों की बसें खरीदीं। मैं समझता हूं कि इनके सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकते। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान में आपने बस सर्विसेज चालू की हैं। उसमें सरकार ने किराया बढ़ा दिया है। इसके अलावा इसमें ज्यादा समय भी लगता है। आप देखेंगे कि जयपुर से अजमेर जाने वाली प्राइवेट बस जो पैसा लेती थी उससे आप सवाया पैसा किराये का लेते हैं और जितने समय में वे पहुंचाते थे उससे ज्यादा समय में आप पहुंचाते हैं। इसके अलावा प्राइवेट बसेज़ के बन्द हो जाने से वह रकम जो वे लोग आपको टैक्स के रूप में जमा कराते थे वह आमदनी भी आपकी कम हो जावेगी। आगे क्या होगा, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जो आंकड़े मैंने निकाले हैं, टैक्स जो वे लोग पे करते हैं उसका आपको नुकसान होगा। आपने किराया बढ़ाया, मगर रास्ते में सवारियों को नहीं बैठा सकते। इसके अलावा पिछले समय आर. टी. ओ. की मीटिंग हुई थी उसमें लीगल रिमेम्ब्रेन्सर ने एलॉटमेंट ऑफ रूट्स के सम्बन्ध में प्राइवेट पार्टीज़ से प्रोमिज़ किया था कि उनको रूट्स से नहीं हटाया जावेगा, मगर उस पर भी आपने अमल नहीं किया।

(श्री भैरोंसिंह)

सभापति महोदय, दिसम्बर के महीने में जिस समय नेशनलाइज़ेशन करने की बातकही थी तो मन्त्री महोदय के पास बस ऑपरेटर्स पहुँचे और उन्होंने अपनी बात रखी तो उनको कहा गया कि तुम लोग जनवरी तक अपनी बसेज़ चलाओ। फिर इलेक्शन सामने आ गया और बस ऑपरेटर्स को कहा गया कि इस रूट का नेशलानइज़ेशन नहीं होगा, अपनी बसेज़ इस रूट पर चलाते रहो और इस प्रकार ये गाड़ियां चलती रहीं। पर ज्यों ही २७ तारीख को गृह मंत्रीजी परास्त हुए और २८ तारीख से प्राइवेट बसेज़ को बन्द कर दिया गया और सरकारी बसेज़ चलने लगीं। एक व्यक्ति के हारने से नेशनलाइज़ेशन की स्कीम चालू हो गई। उनके हारते ही दूसरे दिन बस ऑपरेटर्स को कह दिया गया कि इस रूट का नेशनलाइशज़ेन हो गया। यह नीतियों का परिवर्तन एक आदमी की हार-जीत से होता है तो वह नेशनलाइज़ेशन इस बात की ओर संकेत करता है कि राजस्थान की नेशनलाइज़ेशन पॉलिसी जिसको राजस्थान के गृह मंत्रीजी इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते थे, उन गृह मंत्रीजी को हरा कर जनता ने नेशनलाइज़ेशन को वोट दिया है।

यह सारा नेशनलाइज़ेशन का खाका है, वहां खाका इस प्रकार का है कि जिस खाके को लेकर कोई भी आदमी कह सकता है, सभापति महोदय, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, मुझे डर इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी उदयपुर में भाषण दें और फिर कहें कि मैं उदयपुर के बारे में बात कहता हूं तो भैरोंसिंह मेरा विरोध करता है। मैं उनसे कहूंगा कि जयपुर के इस रूट पर नेशनलाइज़ेशन स्कीम नहीं लगाते तो क्यों आपको ऐसा लगता था कि जैसे जयपुर पर कोई कहर पड़ रहा है? और कोई डिवीजन का नाम नहीं; जैसे वहां पर बसेज़ ही नहीं चलती; जैसे जयपुर के अलावा और किसी डिविज़न में समाजवाद नहीं चलता। समाजवाद चलता होगा, पूंजीवाद नहीं चलता। जयपुर पर मुख्य मंत्रीजी की विशेष कृपा है, इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं, पर मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समजवाद को बाँट कर सभी पर लागू करें, फिर लोगों के सामने यह चीज़ हो जाय कि मुख्य मंत्रीजी के सामने सभी डिविज़न्स बराबर हैं। मैं तो फिर निवेदन करूंगा कि नेशनलाइज़ेशन पॉलिसी को रीकन्सीडर करें। यह बसेज के नेशनलाइज़ेशन का मसला ऐसा मसला नहीं है कि इसमें नेशनलाइज़ेशन की स्कीम खटाई में पड़ती है तो राजस्थान पर कोई बहुत बड़ा कहर आ जायेगा। इसके अलावा और भी बहुत से मसले हैं जिनमें नेशनेलाइजेशन किया जा सकता है, जिनको प्राइवेट सेक्टर में नहीं लिया जा सकता, जिनको पब्लिक सेक्टर में ले सकते हैं। वैसी स्थिति में आप इस पॉलिसी को रीकन्सीडर करें।

एक प्रश्न दिया था। चुनाव के सम्बन्ध में घोषणा में कहा गया कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन अब की बार है। यह सही है कि पहली, दूसरी योजना में इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन नही है। हिन्दुस्तान में जम्मू-काश्मीर स्टेट को छोड़ कर इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन के मामलों में सबसे बैकवर्ड स्टेट राजस्थान है। अब इस ओर बढ़ने की कोशिश करना है। जैसे राज्यपाल महोदय ने कल अपने अभिभाषण में कुछ इन्डस्ट्रीज़ के नामों का उल्लेख किया,

(श्री भैरोंसिंह)

पर किन लोगों को ये इन्डस्ट्रीज़ दी गई हैं, इसका उल्लेख करते तो सब भ्रान्ति मिट जाती; पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि राजस्थान कि इन्डस्ट्रीज़ बिक गई हैं, इस कारण बिकी हैं कि किन्हीं लोगों ने उन इन्डस्ट्रीज़ को खरीद लिया है। आज मैं कह सकता हूँ, राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सदन में सही बात रखना चाहें तो बता दूं कि कलकत्ता से चुनाव फंड के लिये, अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, कितना रुपया लाए, कितना फंड लाए राजस्थान इन्डस्ट्रियेलाइज़ेशन के बारे में मैं कह सकता हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्य मन्त्री जी ने मिल कर अपने लिए नहीं, चुनाव फंड के लिए २२ लाख रुपया कलकता से लिया है और राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ को इन्डस्ट्रिय-लाइज़ेशन के नाम पर उन लोगों को बेचा है........

(विराम)

और आज कहना चाहते हैं कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन करना चाहते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप २२ लाख की बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल सही है, मैं खुद कलकत्ता जाकर आया हूँ और मैंने लोगों से पूछा है।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, वित्त): इनको चन्दा नहीं मिला वहां।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूँ कि आपके भाई साहब वहां साथ थे।

एक माननीय सदस्य : बस वालों से आपका व्रय हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता, चुनाव फंड के लिए लाए हैं।

श्री मथुरादास माथुर (गृहमन्त्री) : जो कुछ माननीय भैरोंसिंहजी ने फरमाया, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ अदब से कि कलकत्ते में २२ लाख के आंकड़े दिए हैं, गलत हैं, आप फिर से जांच कर लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। वैसे इन्डस्ट्रियलाइज़ेशन की जांच कराने के लिए उनके सारे अकाउन्ट्स को देखना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि कितना पैसा दिया। आप चाहें तो मैं एक व्यक्ति के हाथ का लिखा कागज पेश कर सकता हूँ जिसने खुद ने चन्दा दिया और सारे चन्दे का उसने उस कागज में जोड़ लगाया है; वह मेरे पास है, चाहें तो दे सकता हूँ। पाना जरूर बना, पाने के हिसाब से भुगतान हुआ। कई समाचार-पत्रों में खबर भी छपी है। जिन जिन से चन्दा लिया गया उसका कुल जोड़ लगाया गया है और वह २२ लाख का टोटल है। पिछली बार दो लाख रुपया चुनाव फंड के लिए सवाई माधोपुर फैक्टरी से लिया है, जहां आपने २५ नई फैक्टरियां दी हैं तो उनसे आपने २२ लाख लिया है। तो यह तो आपने कम ही लिया है। सवाई माधोपुर की फैक्टरी से दो लाख लिए; उस हिसाब को देखते हुए तो आपने कम लिया है, इतनी इन्डस्ट्रीज़ के लिए तो आप कहीं ज्यादा वसूल कर सकते थे।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान का इन्डस्ट्रियल डेवलप-

Page No. 72

(श्री भैरोंसिंह)

मेंट हो, अच्छी बात है, पर इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ एक बात और कही गई है कि हमारे यहां राजस्थान में लेबर और लेबर को एम्प्लॉय करने वाले मालिक हैं उनके सम्बन्ध अच्छे रहे हैं। भाषा की दृष्टि से अच्छे हैं पर वास्तविक स्थिति इससे विपरीत है। जयपुर की एन. बी. सी. एक करोड़ की थी। वह २१ करोड़ की हो गई है, पर फैक्टरी के मालिक कहते हैं कि घाटे में चलती है। एक करोड़ का २१ करोड़ क्या २२ करोड़ हो गया और वहां के मजदूरों, लेबरर्स को, एम्प्लॉईज़ को बोनस नहीं मिला, इन्श्योरेन्स तक नहीं मिला। घाटा तो तब होता जब कि एक करोड़ के बजाय ५० लाख की ही रह जाती; पर यह तो १ करोड़ से २२ करोड़ की हो गई है। इस तरह राजस्थान के अन्दर लेबरर्स के साथ अन्याय किया गया है। सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्टरी के लेबरर्स के साथ, जयपुर की एन. बी. सी, के लेबरर्स के साथ, भीलवाड़ा में मेवाड़ टैक्सटाइल मिल के लेबरर्स के साथ, ब्यावर में एडवर्ड मिल के लेबरर्स के साथ इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिंग बिल लागू करके न्याय के नाम पर अन्याय किया है। इसके कारण लेबर की स्थिति सुधरी हो, ऐसी बात नहीं है। उन लोगों के पास रहने को मकान नहीं हैं, उनकी चिकित्सा के कोई साधन नहीं हैं, उनके बच्चों की शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है।

तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान की लेबर पॉलिसी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिस पर राजस्थान सरकार दम्भ करके चल सके। वेजेज़ कमेटी की रिकमन्डेशन्स अभी तक राजस्थान में लागू नहीं हुई हैं। फैक्टरी एक्ट में २० से ज्यादा एम्प्लॉय कर लेते हैं। इन्श्योरेन्स को काट लेते हैं, प्रीमियम को काट लेते हैं, पर इन्श्योरेन्स फंड में, प्रीमियम फंड में जमा नहीं कराया जाता। तनख्वाह समय पर नहीं चुकाई जाती। शिकायतें लेबर ऑफिसर को करते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ, प्रेस के कर्मचारी हों, किसी प्रकार के कर्मचारी हों, राजस्थान का लेबर किसी प्रकार से दुखी है तो हमारी सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहूँगा कि यह लेबर का मसला है।

अन्त में, मैं ज्यादा समय न लेकर राजस्थान के नये गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। मैं आज पुलिस विभाग को नहीं लूंगा क्योंकि समय कम है, वर्ना पुलिस विभाग के बारे में कहता और किसी समय उनके बारे में कहूँगा। एक बात विरोधी दल के नेता ने जोर देकर कही और सिद्धान्त के रूप में जिसके बारे में कहा कि जुडिशियरी और एक्ज़ीक्युटिव को एक साथ नहीं रखना चाहिये और इनका सेपरेशन जितना जल्दी हो उतना अच्छा। हमारे नये गृहमन्त्रीजी को मालूम होगा कि भूतपूर्व गृहमन्त्रीजी ने सदन के दबाव में आने के पश्चात् यह स्वीकार किया था कि जुडिशियरी और एक्ज़ीक्युटिव को अलग अलग कर दिया जाय। उससे तीन वर्ष पूर्व बापना को इन्क्वायरी कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। दो साल पहले उसकी रिपोर्ट पेश हुई। उसमें यह

(श्री भैरोंसिंह)

रिकमन्डेशन थी कि जुडिशियरी और एक्ज़ीक्युटिव को जल्द से जल्द सेपरेट किया जाय। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप इन दोनों को अलग अलग नहीं करना चाहते हैं तो फिर क्या जरूरत थी आपना से इन्क्वायरी कराते ? इसमें खर्चा हुआ, लोगों ने शहादतें दीं। आप नहीं चाहते कि अलग हो तो फिर इन्क्वायरी कराने की बात नहीं आनी चाहिये थी। सभापति महोदय, मुझे यह डर लगने लग गया है कि जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट रहने देंगे। पिछला सारा नक्शा देखा है। स्वतन्त्र पार्टी के नेता ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। विरोध मुझे व्यक्तिश: भी नहीं, विरोधी पक्ष में होने से भी मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन मैं तो एक नजीर के रूप में नाम रखना चाहूँगा। एक हैं एम. एल. राजदान, एक हैं जेकब, पी० डी० रायजादा, किशनलाल धाभाई, ए. एम. कॉल, एस. एन. गुट्टू और जगन्नाथप्रसाद माथुर। मैं उनके पर्सनल कन्डक्ट और इन्टीग्रिटी के बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता; न मुझे जानकारी है और न कुछ कहना चाहता हूँ। ये रिटायर्ड सेशन्स-जजेज़ हैं। उनको रिएम्प्लॉयमेन्ट दे दिया, किसी को किसी डिपार्टमेन्ट में, किसी को किसी डिपार्टमेन्ट में। राजस्थान में यदि ७ जजेज़ को रिटायरमेन्ट के बाद एम्प्लॉयमेन्ट मिलता है तो इन्टीग्रिटी पर डाइरेक्ट असर होता है। अफसर यह समझते हैं कि यदि सरकार का हुक्म मानते हैं तो रीएम्प्लॉयमेन्ट मिल जायेगा, हुक्म नहीं मानते है तो रीएम्प्लॉयमेन्ट नहीं मिलेगा। मैं मेरे इस प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी माननीय गृह मन्त्रीजी से चाहूँगा कि उस समय में कितने व्यक्ति रिटायर हुए और उनमें से इन्हीं में क्या खासियत थी कि इनको रीएम्प्लॉय किया। यह एक सीरियस बात है जिसको लेकर मद्रास विधान सभा में हंगामा हुआ है। वहां के सेशनजज को गवर्नमेन्ट एडवोकेट नियुक्त कर दिया था, इस पर प्रिविलेज मोशन भी आये थे, हाईकोर्ट में भी यह मामला गया। मैं जोधपुर की ही मिसाल देता हूं कि मि० गुट्टू को डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट बना दिया। आप यह चाहते हैं कि राजस्थान के बार एसोसियेशन को क्रश कर दिया जाय, जो इन्टेलीजेन्शिया हमारे यहां राजस्थान में कायम हो रहा है उसको चान्स न दिया जाय; इस खतरे की आशंका के कारण ही उनके चान्सेज़ को नष्ट कर रिटायर्ड जजेज़ को जिन्होंने कभी वकालत नहीं की, डिप्टी गवर्नमेंट एडवोकेट बना दिया और ७००) रु. उनकी तनख्वाह कर दी। आप क्या उत्तर देंगे, यह मैं जानता हूं; यही कि गवर्नमेन्ट उनको एम्प्लॉय करना चाहती थी। यदि रिटायर्ड जजेज़ को इस प्रकार से रीएम्प्लॉय करना चाहते हैं तो सर्विसेज़ की इन्टीग्रिटी पर लोग शंका करते हैं। आप अब की बार गृह मंत्रीजी बनकर आये हैं। यह दुर्भाग्य हैकि विधिविभाग और गृहविभाग दोनोंही आपको मिलगये। होना तो यह चाहिये था कि गृह विभाग किसीएक को दिया जाता व विधि दूसरे को दिया जाता; विधि मंत्री किसी दूसरे को बनाया जाता। यह एक घातक समस्या है। यह बदकिस्मती है कि आपके हाथों में दोनों ही विभाग आगये। आप इसको विलिंगली ही छोड़दें, इसी में राजस्थान की भलाई है, नहीं तो सर्वनाश होगा। कांकरोली से जो माननीय सदस्य आये हैं, मंत्रिमंडल में आने के लिए आतुर हैं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको बड़ी वेदना है हमारी पार्टी की, अपने घर को सम्हालिये।

श्री भैंरोंसिंह : पार्टी तो सम्हल गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह गुट मात्र है।

श्री भैंरोंसिंह : मैं जरूर समझ रहा हूं कि उपाध्यक्ष से मंत्री बन जावेंगे।

सभापति महोदय, मैं यह आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। एक विभाग दूसरों को दे दें। यदि वे विधि विभाग रखना चाहते हैं तो पुलिस विभाग किसी को दे दें और यदि पुलिस विभाग रखना चाहते हैं तो विधि विभाग किन्हीं दूसरों को दे दें, लेकिन वह पड़ोस में न रहे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आखीर में न रखना चाहें तो आपको दे दें।

श्री भैंरोंसिंह : मैं जिस दिन ले लूंगा उस दिन आप बोलेंगे नहीं।

तो सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन सारी परिस्थितियों में राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसके लिए धन्यवाद देना तो मेरे लिए कठिन है और इस सारी कठिनाई में सत्तारूढ़ दल से और सदन से माफी चाहता हूं कि आपकी मंशा की पूर्ति में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता। मैंने कुछ बातें यहां सदन में रखी हैं और बाकी समय आने पर रखूंगा। मैंने जो बातें रखी हैं उनके सम्बन्ध में खास कर मुख्य मंत्री महोदय से और पूरे मंत्रि-मंडल से यह निवेदन करूंगा कि इलेक्शन के अन्दर जनमत को जो शक्ति है उसको पहिचानें और उसको पहिचान कर राजस्थान में प्रशासन के अन्दर सुधार लाने की चेष्टा करें। मैं मेरी ओर से व मेरे दल की ओर से भी निवेदन करूंगा कि जितनी बातें बतलाई जावेंगी उनके लिए जो अपेक्षित सहयोग होगा वह देने की चेष्टा करेंगे। यह कह कर कि विरोधी दल जो कहता है वह तो आलोचना करने और विरोध करने की दृष्टि से यों ही बातें कहता है यह न मान कर, जो भी बातें कही जायें उनकी बाहर जाकर जानकरी करें, सही तौर पर जानकारी करें और यदि आप जानकारी करना चाहेंगे तो जो इन्फोर्मेशन सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट या राजस्थान इन्टेलीजेन्स डिपार्टमेंट नहीं दे पायेगा वह हम दे देंगे। इसके लिए हम तनख्वाह नहीं चाहते, यह ड्यूटी समझ कर देंगे। यदि आप जानकारी सदन में लेना चाहेंगे तो सदन में देंगे और यदि सदन से बाहर लेना चाहेंगे तो बाहर देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : अब माननीय श्री श्योपतसिंह अपना संशोधन प्रस्ताव रखेंगे।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : मैं अपना संशोधन न रख कर पार्टी के लीडर से कहूंगा कि वे पहले बोलें। मैं बाद में बोलूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में हमने एक संशोधन प्रस्ताव भेजा था। परन्तु आपकी ओर से उस प्रस्ताव को विधि पूर्वक न मान कर इस सदन के सामने रखना

Page No. 75

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

योग्य नहीं समझा। हमने जो इसमें संशोधन रखना मुनासिब समझा वह इस दृष्टिकोण से कि इस सदन में हमारे इस विरोधी पक्ष में भी कई प्रकार के लोग हैं जिनके विभिन्न विचार हैं।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक) : May I know whether the mover of the resolution can occupy the Chair ? Whether the mover of the Resolution can preside over the debate on that very resolution ?

श्री सभापति : I think there is no bar to it. The rules do not say anything against it that the mover of motion will not preside.

श्री राधाकिशन गोयल : Will it be a healthy precedent ?

श्री सभापति : I think, in the past, the mover of the motion or persons taking part in the discussions have been the Chairmen and they have been allowed to preside.

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना): इस वक्त जब कि अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय) चेयर पर बैठे हैं उनकी हैसियत मूवर ऑफ रेजोल्यूशन से नहीं है। करेक्टर पर्सन से बदल कर अध्यक्ष से हो गया है।

श्री सभापति : जारी रखियेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: इस सदन में विरोधी पक्ष की ओर से बहुत से माननीय सदस्य चुन कर आये हैं जिनके विभिन्न विचार हैं इस सरकार के सम्बन्ध में भी और राजस्थान के भविष्य के बारे में भी उनके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम इस सरकार की नीति को क्यों दुरुस्त नहीं समझते, किन मुद्दों पर हम उनका विरोध करते हैं, कौनसा हमारा दृष्टिकोण है जिससे हम समझते हैं कि राजस्थान का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है और किन नीतियों में किस दिशा में परिवर्तन होना चाहिये। इस दृष्टिकोण को इस सदन के समक्ष रखना और उसको रजिस्टर कराने की दृष्टि से हमने उस संशोधन को रखा था। लेकिन, खैर। उसको अध्यक्ष (सभापति) महोदय, आपने उचित नहीं समझा तो मैं उसके औचित्य की बहस में इस समय नहीं पड़ना चाहता और अपने भाषण में उन विचारों को व्यक्त करने का प्रयत्न करूंगा।

अध्यक्ष (सभापति) महोदय, जैसा कि इस सदन में इस समय मेरे से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं को सुनने से और उनके मुख्तलीफ रंगों को देख कर भी यह साफ है कि जो लोग चुन कर आये हैं उनमें से एक तो वे लोग हैं जिनके हाथों में सदियों तक राजस्थान की सत्ता रही है या तो खुद वे लोग आये हैं या वे लोग आये हैं जो उनके तौर तरीके सही समझते थे और उनसे हमदर्दी रखते थे। उनको आज यह गिला है कि उनके हाथों से सत्ता क्यों चली जा रही है। वे आज भी उस दिन की राह देख रहे हैं कि एक दिन फिर आयेगा और उनकी सत्ता फिर से जम जायेगी। लेकिन राजस्थान की जनता उनके सदियों के जुल्म और अत्याचारों को भूली नहीं है। उनके निरंकुश शासन के खिलाफ एक बड़ा जिहाद राजस्थान की जनता

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

ने छेड़ा था राष्ट्रीय आन्दोलन के नाम से । वह आन्दोलन सारे देश में उठा । राजस्थान की जनता भी उसका हिस्सा बनी और उस निरंकुश शासन को उखाड़ कर फेंका राजस्थान की जनता ने । इसलिये वे मेरे दोस्त जो आज यहां पर एक नया रंग लगा कर आये हैं, नकाब ओढ़ कर आये हैं यह बात यकीनी है और इतिहास इस बात को बताता है कि जनता ने उनके शासन को रिजेक्ट कर दिया है । जनता ने उनके शासन में जिस प्रकार के अनुभव प्राप्त किये, आज अगर वे किसी प्रकार से चुन कर आये हैं तो उनको चाहिये कि वे आज जो नया शासन देश में चल रहा है उसका अपने पुराने शासन से मुकाबला करने की कोशिश न करें । जनता आज भी सागरमल, गोपा और रमेश स्वामी को भूली नहीं है । जब उन शहीदों की याद आती है तो हमें स्पष्ट जाहिर होता है कि पुराने शासन-काल में किस किस प्रकार अत्याचार होते थे । लेकिन आज जो लोग उधर जीत कर आये हैं और जिनके हाथों में शासन का भार है; जिनके हाथों में जनता ने शासन की बागडोर दी है, जिनके हाथों में पन्द्रह वर्ष तक राजस्थान के भाग्य निर्माण की बागडोर रही है, उन्होंने इस अर्से में क्या किया ? आज जो हम लोग जीत कर आये हैं, कितनी ही अल्प संख्या में क्यों न हों हम यह महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आन्दोलन जो इस प्रदेश में उठा था, जिन पार्टीज़ ने इस आन्दोलन में भाग लिया था, जिनके विरुद्ध यह आन्दोलन उठाया गया था और जनता ने जिन नेताओं के हाथ में इस आन्दोलन की बागडोर दी थी, जिनको राजस्थान की जनता ने अपना कर्णधार मान कर जिनके हाथों में राजस्थान की सत्ता सौंपी थी उन लोगों ने अपने उन वायदों को नहीं निभाया । जनता के साथ विश्वासघात किया और उन लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की जिन लोगों ने राजस्थान में सामन्ती प्रथा को कायम रखा है, जिन पर सामन्ती प्रथा को कायम रखने की जिम्मेदारी है ।

राजस्थान का इतिहास इस बात का साक्षी है कि सन् ५२ के चुनावों में कांग्रेस की तादाद ८१ थी १६० के सदन में । उस समय जो विरोधी पक्ष के लोग आये उनमें अधिकतर सामन्ती लोग थे । वे लोग ज्यादा थे जो नये शासन को नहीं चाहते थे, जो नये बदलाव को पसन्द नहीं करते थे । उन लोगों ने तगड़ा विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता यह हुई कि उन लोगों ने जिन लोगों को जनता ने कर्णधार बनाया था उन्होंने जनता के साथ किये हुए वायदों की परवाह नहीं की और उन्होंने अपने शासन को मजबूत बनाने के लिये अपने सिद्धांतों की हत्या करनी पड़ी, अपना कार्यक्रम छोड़ना पड़ा और अपने हाथ मजबूत करने के लिये सामन्ती तत्वों को अपने साथ में लिया, उनको खरीदा, उनको लालच दिया और राजस्थान में अपनी हुकूमत कायम की ।

सभापति महोदय, आज जिस तरीके से इस सदन में जो कुछ साथी चुन कर आये हैं विरोधी पक्ष के उन्होंने काफी बातें कही हैं । इससे हमें तो आज यह अन्देशा लगता है कि सन् ५२ का इतिहास दुबारा रिपीट करने के लिये तो यह सारा ड्रामा नहीं खेला जा रहा है ? इस तरीके से जो बड़ी बड़ी शासन की बातें कही जाती हैं उससे वे ही बातें हमें याद

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आती हैं कि कहीं आज यह तो नहीं हो रहा है कि कुछ हमारे साथ रियायतें कर दो, हम तुम्हारे साथ आने को तैयार हैं । आज यही खतरा है राजस्थान की जनता को । चाहे इस सदन में उन लोगों की आवाज कम मात्रा में आई हो जो राजस्थान के मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग को रिप्रेजेन्टकरते हैं; लेकिन इसमें किसी को सन्देह नहीं होना चाहिये कि राजस्थान की जहां सामान्य जनता बड़ी संजीदगी के साथ हमारी उन कार्यवाहियों को देख रही है, वह इस सरकार की नीतियों को भी देख रही है और वे भलीभांति समझ रही है कि जिन लोगों के हाथ में हमने सत्ता दी है, जिनके द्वारा हमने जनतान्त्रिक राजस्थान बनाने की कल्पना की है जिसके अन्दर बड़े और छोटे का भेदभाव समाप्त हो, जिसमें सामाजिक एकता कायम हो, किसानों को जमीन मिले, मजदूरों को रोजगार मिले; इस तरह की कल्पना की थी । लेकिन आज वही जनता महसूस कर रही है और वास्तविक तथ्य भी इस बात को साबित कर रहे हैं कि न केवल इधर की बैंचों पर ही वे लोग बैठे हैं; बल्कि वे लोग उधर भी बैठे हैं जिनके खिलाफ राष्ट्रीय आन्दोलन में जनता ने भाग लिया था, जिनके खिलाफ जनता ने आन्दोल लड़ा....

श्री हरिश्चन्द्र (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री) : हमारे यहां की जनता को, आंदोलन या लड़ाई करने का मौका नहीं मिला, उसके पहले ही हमने दे दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस सदन में कई ऐसे हैं जिनके लिये कह रहा हूं....

श्री मुकुटबिहारीलाल : बहरहाल यह सही है बहुत से तो शक्ति को देख कर झुक गये और बहुत से लड़े, लेकिन झुका दिये गये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : इसके सिवाय और चारा ही उनके पास क्या था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा दृष्टिकोण उन लोगों के दृष्टिकोण से जो अपने पुराने शासन को बेहतर समझते हैं बिल्कुल भिन्न है । हम उन लोगों में से हैं जो डेमोक्रेटिक राजस्थान की कल्पना करते थे, एक ऐसे राजस्थान की कल्पना करते थे जो समाजवादी होगा, वास्तविक समाजवाद की कल्पना करते थे आज उन बातों को अमली शक्ल देने पर हमारा सरकार से मतभेद है और तीव्र मतभेद है । हमारे देश के अन्दर समाजवाद का नाम लेकर, जनता का नाम लेकर वर्तमान सरकार के नेतागण जो जन–विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं वह देश के साथ अन्याय और विश्वासघात है । दर असल जिन तमाम नीतियों को लेकर राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया गया था, आजादी आने के बाद उन सब को छोड़ कर दूसरा ही रास्ता अपनाया गया ।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में....

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : For the information of the Hon'ble Members I will request that I may be addressed only as Chairman, 'Sabhapati.'

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में सरकारी नीति की व्याख्या करते हुए इस बात का दावा किया है कि इस सरकार ने इन पिछले दस वर्षों में दो पंचवर्षीय योजनाओं के दर्मियान खाद्यान्न समस्या को हल कर दिया, लोगों के जीवन–स्तर को बड़ा दिया, पर-केपिटा इन्कम बढ़ा दी, औद्योगिक विस्तार कर दिया, श्रमिक और मालिक में झगड़े नहीं रहे। इस बात का भी दावा किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तौर पर इस प्रान्त के अन्दर लोकतन्त्र को मजबूत बना दिया गया। तो मैं समझता हूं कि इस बात में यह कहना भर बाकी रह गया कि यह राजस्थान की जनता इस सरकार द्वारा इतना करने के बाद भी इतनी नालायक है कि उसने इस चुनाव में कांग्रेस को इतनी बड़ी तादाद में हरा दिया!

सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि सरकार की ओर से जो ये दावे किये गये हैं ये सही नहीं हैं। उनको एक गलत आंकड़ों की उलझन में डाल कर लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई है। यह कहा गया है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति की आमदनी सन् ५५-५६ में २३७) रुपया सालाना थी जो कि बढ़ कर ५६-६० में ३१५) रुपया हो गई। यह देखने में ऐसा लगता है कि बहुत तरक्की हो गई। परन्तु अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये २३७) रुपये के अंक ५४-५५ के भावों के आधार पर हैं और ३१५) रुपये के आंकड़े ५६-६० की आमदनी के हैं, पर महंगाई अंक लिया गया है ६०-६१ का। यह इसमें नहीं बताया गया। छिपाने की कोशिश की गई है कि ५४-५५ के भावों में और ६०-६१ के भावों में कितना बड़ा अन्तर हो गया है। मेरा यह निवेदन है कि यदि इन दोनों वर्षों के भावों में तुलना करें तो ५० परसेन्ट महंगाई बढ़ गई है। आम आदमी को अपनी आवश्यकता की चीजों को खरीदने में ड्योढ़े दाम देने पड़ते हैं और यदि ये सरकार के आंकड़े सही भी हों कि पर-केपिटा आमदनी में हम २३७ से ३१५ पर पहुंच गये हैं तो ५० परसेन्ट महंगाई को देखते हुए तो यह २५ परसेन्ट आमदनी हर राजस्थानी को मिली नहीं, कुछ खोना ही पड़ा है उसे अपनी जेब से। और फिर यह तो आप सब जनता को मिला कर कहते हैं। लेकिन अगर विभिन्न वर्गों को आप देखें कि मजदूर को क्या मिला, किसान को क्या मिला, कर्मचारियों को क्या मिला और धन्ना सेठों को क्या मिला तो आपके सामने असलियत और भी साफ तौर पर आजायेगी।

यदि आप उस साइन्स के प्रोफेसर की तरह गलत निर्णय निकालें कि नदी की गहराई को औसत निकालते समय यह हिसाब निकाल लिया कि नदी एक जगह चार फीट गहरी है; एक जगह तीन फीट, एक जगह ४। फीट और एक जगह ४।। फीट इससे सबका रेश्यो चार फीट निकाल लिया और इस भरोसे ४ फीट वाले आदमी को नदी में उतार दिया तो वह चार फीट वाला तो डूब गया। इसी तरह का रेश्यो निकाल कर अगर आप कहें कि राजस्थान के नागरिक का

Page No. 79

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जीवन मान बढ़ गया है तो मेरा निवेदन है कि वह सही बात नहीं होगी । वास्तविकता तो दूसरी है जिसको स्वयं कांग्रेस के नेताओं ने स्वीकार किया है । खेतिहर मजदूरों के बारे में जांच करने के लिए एक जांच कमेटी बनी । इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है । मैंने कोशिश की उसको लाने की, पर वह अभी उपलब्ध नहीं हो सकी । परन्तु उसको, मैं समझता हूं मेरे माननीय सदस्य इस साइड के स्वीकार करेंगे कि इस रिपोर्ट में इस बात को माना है कि राजस्थान में भी खेतिहर (खेत में काम करने वाला मजदूर) जो हैं उसकी ऑपोरचुनिटी ऑफ ऑक्युपेशन कम हुई है । यह पहली योजना की रिपोर्ट है । रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि उनकी वेतन की दरों में कमी हुई है । उनके कर्जे बढे हैं और उनका जीवन मान कम हुआ है । इसी प्रकार अगर औद्योगिक मजदूरों को लें तो इस बात को तो केन्द्रीय मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी स्वीकार किया है कि जो कुछ लाभ उद्योग में काम करने वाले मज़दूरों को ५६-५७ तक मिला था वह बाद की मंहगाई के कारण सब कुछ धुल गया और श्री नन्दाजी ने जो बात कही थी उसके दो वर्ष बाद तो महंगाई और भी बढ़ गई है । इसलिए ४७ के मुकाबले में आज औद्योगिक मजदूरों की वास्तविक आमदनी बढ़ी नहीं है, बल्कि कम हुई है ।

इस तरीके से यदि आप सारे राजस्थान की जनता को और उसकी विभिन्न बहुमत की जनता की हालत को देखें तो यह स्वतः साफ है इन आंकड़ों से भी कि उनका जीवन मान और उनकी वास्तविक आमदनी (real income) बढ़ी नहीं, बल्कि घटी है । हां, कुछ लोगों का हमारे सीकर और शेखावाटी के सेठ लोग हो सकते हैं हमारे और महोदय हो सकते हैं जो इधर बैठे हैं उनकी आमदनियां अवश्य बढ़ी हैं । लेकिन उन सबको मिलाकर आप राजस्थान की जनता का जीवन मान ऊंचा चढ़ा हुआ मानें, यह एक सदाकत नहीं है । मैं तो निवेदन करूंगा कि इन आंकड़ों के चक्कर में, उनके भ्रम में आने के पहले....

श्री सभापति : माननीय सदस्य फ्लोर आफ दी हाउस के बीच में होकर न जावें ।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): जानकारी नहीं होगी । नये हैं ।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द) : I think, if the Chair enlightens the House on this issue particularly on decorum and crossing the Floor, it may be helpful to the Hon'ble Members.

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह): यह मैं सब माननीयसदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस का यह डेकोरम रहा है कि जब हाउस चालू हो तो स्पीकर की चेयर और सदन के बीच में होकर निकलने का प्रयास कोई सदस्य न करें और इधर उधर से टल कर अपने आसन पर पहुंच जाया करें ।

(विराम)

अच्छा, आप कन्टीन्यू करें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जिनके ऊपर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सरकार चलाने की जिम्मेदारी है वे अपने इन आंकड़ों को जनता की वास्तविकताओं से माप कर देखने का प्रयत्न करें। उनका वास्तविक जीवन उनके घरों में जाकर देखें, उनसे निकट सम्पर्क स्थापित करके देखें और जिसका, मैं समझता हूं, उन्हें इन चुनाव में अवसर भी मिला है। इस वास्तविक स्थिति को देख कर अन्दाज लगावें कि सही तौर पर ये आंकड़े ठीक हैं या नहीं। खुद केन्द्रीय सरकार ने इस बात को महसूस किया और हमारे प्रधान मंत्री ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि हमारी नेशनल इन्कम बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लोगों की आमदनी में डिस्पेरिटी बढ़ती जा रही है-तो यह क्या कारण है ? यह आमदनी किधर निकल रही है ? किनकी जेबों में जा रही है। इसलिये इसकी जांच की जानी चाहिये। मैं समझता हूं, राजस्थान में इसकी जांच कराने की जरूरत है। अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह महसूस करें कि राजस्थान को जनता की असली आमदनी बहुत बढ़ रही है तो कम से कम हम जिस जनता को रिप्रेजेन्ट करते हैं, जिन लोगों में हमें रहने का मौका मिलता है उनके बारे में तो निश्चित तौर पर कह सकते है कि उन लोगों का जीवन-मान, कुल मिला कर कोई अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए आज राजस्थान में भी इस बात की जांच की जरूरत है कि वास्तविक तौर से जो आज लोग कमाते हैं तो उनकी वह कमाई विभिन्न सेक्शनों में किधर जाती है ?

सरकार की ओर से सभापति महोदय, यह दावा किया गया है कि हमने भूमि-सुधारों के कारण, सिंचाई योजनाओं के कारण खाद्यान्न समस्या को हल कर लिया है। खाद्यान्न हम अपनी आवश्यकता से अधिक पैदा करने लगे हैं। मेरा ख्याल है कि यह अतिशयोक्ति है और यह दृष्टिकोण सरकार रखेगी तो कॉम्पलीसेन्सी से समस्या का हल नहीं निकाल पावेगी। आकड़ों के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन यह वास्तविकता है कि इस दौरान में सरकार को बाहर से अन्न मंगाना पड़ा है, मंहगाई बढ़ी है, लोगों को आन्दोलन करने पड़े हैं, जनता को सरकारी गोदामों को घेरना पड़ा है, सरकार को मजबूर करना पड़ा है और इसी कारण सस्ते अनाज की दुकानें खोली गई। यह भी वास्तविकता है कि इस दौरान में राजस्थान में अकाल पड़े हैं और बार बार अकाल पड़ते रहते हैं। इसलिए सरकार की ओर से इस बात का दावा करना कि इस समस्या को हम हल कर चुके और इन कारणों से कर चुके उनमें हमारा मतभेद है। हम यह समझते हैं कि राजस्थान के इन पिछले दिनों में काफी जमीन अधिक काश्त योग्य भी बनी है और उस जमीन के उपजाऊ होने के कारण उसमें काश्त होने से अन्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन बुनयादी तौर पर हम समझते हैं कि आज भी राजस्थान की कृषि केवल मौसम के ऊपर निर्भर है। यह है बुनयादी बात। पिछली सामन्ती व्यवस्था के कारण हमारा यह कृषि का धंधा जो ८० प्रतिशत लोग करते हैं उसमें भी सामन्ती व्यवस्था में गारन्टी तरीके की इन्कम हो सके, ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। आज १४ वर्ष के शासन के बावजूद कोई बुनयादी तौर पर उसका पासा पलट गया हो, जैसा कि आप दावा करते हैं, मैं समझता हूं कि वह दावा बिल्कुल गलत है।

भूमि सुधारों का ताज हमारी सरकार को

Page No. 81

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है और कहती है कि हमने हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ कर भूमि सुधार यहां पर किये हैं, लेकिन जिन भूमि सुधारों का हमारी सरकार इतना नाज कर रही है वास्तविक तौर पर कुल मिला कर उसका नतीजा क्या है ? क्या एक भी भूमि सुधार, चाहे वह जागीर एबोलिशन हो, चाहे वह बिस्वेदारी एबोलिशन हो, चाहे टीनेन्सी एक्ट हो, इन तमाम कानूनों में से किसी भी कानून ने एक भी ऐसे किसान को जिसके पास पहले जमीन नहीं थी एक इंच भी जमीन देने की कोशिश की है ? जो एक कानून बना था किसानों के दबाव से, जनता के दबाव से जिसके जरिये सरकार सीलिंग मुकर्रर करना चाहती थी सरकार अपनी दोस्ती को निभाने के लिए उस कानून को आलमारियों में बन्द करके रखे हुए है। आज भी यही कोशिश है और मैं समझता हूँ कि राज्यपाल महोदय द्वारा इस बात का संकेत नहीं किया जाना इस बात को साबित कर रहा है कि उसके बारे में कुछ समझौता वार्ता चल रही है। अगर उसकी बुनियाद पर कुछ बातें बैठ सकें तो बैठाने की कोशिश की जा रही है। वर्ना क्या वजह है कि जो राजस्थान में सबसे गहन समस्या है, जरूरी समस्या है लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, आप कहते हैं कि ८० प्रतिशत लोगों का धंधा खेती का धंधा है, मुख्य तौर से हमारी आमदनी का धंधा, यह है और फिर आप उन लोगों को जिन्होंने आपका साथ दिया, आपके लिए खून बहाया, आपको नेता बनाया उनको आपने छोड़ दिया ! आज वे मारे मारे फिर रहे हैं और जिन लोगों ने लाठियां चलाईं, जनता के साथ सब अत्याचार किया उनको खुदाकाश्त के नाम पर, फार्म के नाम पर हजारों बीघा की जमीन आपने दी। उनके लिये आप हर प्रकार की रियायतें देने को तैयार हैं, उनको हर प्रकार की मशीनें भी देने को तैयार हैं। तकाबी भी आप उनको देने को तैयार, हैं सब चीजें देने को तैयार हैं। इस तरीके की नीति से आप यह समझें कि राजस्थान का नव निर्माण हो सकेगा, यह सही नहीं है। आज किसान इतना कमजोर नहीं है कि वह अपने हित को समझ नहीं सके। जब किसान अपने हकों की मांग करे तो आप पुलिस का सहारा लें। जब किसान जमीन की मांग करे तो आप किसान के ऊपर मुकदमा चलाए !

याद रखिये ये आपके पुलिस वाले, ये आपके नये दोस्त आपको सत्ता में नहीं रख सकते। आज मैं आपको अपने जिले की बात कहूँ। आप जागीरदारों के लिए ५० करोड़ रुपये का मुआवजा दे सकते हैं। आपके खजाने में उस समय रुपया आ जाता है आप बिस्वेदारों के लिए १० करोड़ रुपया दे सकते हैं। परन्तु हमारे अलवर और भरतपुर जिले में बसे पुरुषार्थी किसान जो लुट-पिट कर आये, पाकिस्तान में सब कुछ खोकर आये, इस आजाद देश में अपनी इज्जत रखने के लिए आए और उन लोगों से जो आज ६०-६० और ७०-७० वर्ष से उन जमीनों के ऊपर आबाद हैं, हरिजन भाई हमारे माननीय सदस्य जानते है, वे उस समय से मौजूद हैं जब कि आपकी जमीन में कोई भी काश्त नहीं करता था, सन् ४८ से आपने उनको जमीनें दीं, पट्टे पर दी। उनसे आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? आपने उनसे वायदा किया कि आप लोग यहां काश्त करो और आपसे कोई मुनाफा नहीं लिया जावेगा। उन तमाम लोगों

Page No. 82

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से किये वे वायदे आपने तोड़ दिये, उन लोगों से बेवफाई की और जो लोग आपके साथ लगे थे उनसे भी बेशर्म होना पड़ा। तुम्हारी बेवफाई होने की वजह से उनसे अब आप कहते हैं कि जमीन की कीमत लेंगे और उनसे कहते हैं कि जमीन की दुगुनी जमा वसूल करेंगे और अगर वे नहीं देने की हालत में हों तो आप कहते हैं कि हम कुरकी करेंगे, आप कहते हैं कि मुकदमा चलायेंगे। उधर तो यह हालत है। उनके वायदों की तरफ तो आपका यह रुख है जिन्होंने आपको इन गद्दियों पर पहुँचाने में साथ दिया, नये वायदे सन् ४७ में किये थे। उन लोगों से किये थे जिनसे राष्ट्रीय आन्दोलन की टक्कर थी। उनके वायदों को आप इतनी इज्जत देना चाहते हैं। आपने कहा कि प्रीवि पर्स इसीलिये कायम रखेंगे कि हमने वायदे किये थे। आप कहते हैं कि इनकी निजी सम्पत्ति इसलिए कायम रखेंगे कि सरदार पटेल ने वायदा किया था। आप कहते हैं कि हम इनको सुविधायें, मान-मर्यादायें इसलिए देना चाहते हैं कि ये पुराने रूलर्स हैं। इनकी पहले इज्जत थी और आज भी इनकी इज्जत को हम बरकरार रखना चाहते हैं। तो आपसे हम साफ कह देना चाहते हैं कि आपको भी अपना एक रास्ता चुन लेना चाहिये। अगर आपको इनके वायदे निभाने हैं तो अच्छा, फिर यह पर्दाफोशी से क्या फायदा? यह पर्दा हटा दिया जाये, यह जो कोई सफेद और कोई नीली नकाब में हैं। अलग अलग बैठने की क्या जरुरत है? यह बेहतर है कि सब मिल कर खुले तौर पर एक साथ बैठ जायें। राजस्थान की जनता भी फिर अपना रास्ता चुन लेगी।

मैं अर्ज कर रहा था कि इसलिए ये जो भूमि सुधार की बातें है वे बातें आपकी खोखली हैं। इन कानूनों ने एक बीघा जमीन भी किसी किसान को नहीं दिलाई है; बल्कि जो किसान कमजोर थे, जिनकी खसरा गिरदावरी नहीं होती थी या जो जमींदार या बिस्वेदार का मुकाबला नहीं कर सकते थे, यह वास्तविकता है आपने इन सारे साथियों से पूछिये कि उनके हर इलाके के अन्दर सैकड़ों किसान बेदखल हो गये। हजारों बीघा जमीन उनके हाथों से निकल गई। जागीरदार लोग समझते आ रहे थे कि कानून से यह छीनी जाने वाली है तो उन्होंने उनको निकाल दिया और खुदकाश्त बना ली। इस तरह से हजारों बीघा जमीन उनके हाथों में चली गई। आपके इन भूमि सुधारों का यह फल मिला है उन लोगों को जिन्होंने आपके गले के अन्दर फूलमालाएं डाली थीं। वे बेरोजगार हो गये। उनके हाथों से जमीनें निकल गईं और वे अब भी जमीन के लिये आपकी तरफ देख रहे हैं और आज भी सीलिंग की बात के फैसले के लिए मन्जूरी की इन्तजार में हैं।

सीकर और शेखावाटी के मेरे साथी बता रहे थे कि जो सुविधायें वहां किसानों को सन् ४७ से पहले थी आज आप अपने कानूनों से उन सुविधाओं को छीनना चाहते है। यह वाका है कि आज सीकर, शेखावटी ने करीब ५ हजार मुकदमे शिकमी काश्तकारों के मुआवजे के सम्बन्ध में जागीरदारों से चल रहे हैं। जागीरदारों को मुआवजे दिलवाने के बारे में आपको इतनी मोहब्बत है। पहले जागीर एबोलिशन के वक्त में मुआवजा दे दिया और फिर ऐसी जमीन भी खुदकाश्त में छोड़ दी जो कि वास्तव में किसान काश्त करते थे, लेकिन रेकॉर्ड

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में जागीरदारों की खुदकाश्त दर्ज है। खुदकाश्त करने वाले काश्तकारों को आपने शिकमी काश्तकार बना दिया उस जमीन का, एक बार मुआवजा दे चुके और आपका कानून यह कहता है कि शिकमी काश्तकार को उसी जमीन का मुआवजा देना पड़ेगा और आप दावा कर रहे है किसानों की हमदर्दी का ? आप दावा करते है समाजवादी समाज बनाने का ? आप दावा कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया भूमि सुधार हमने राजस्थान के अन्दर कायम कर दिये हैं ! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि सुधार की मूल कसौटी किसान जिसको देखना चाहता है वह यह है कि उसको जमीन मिली है या नहीं। उसकी जमीन के बदले में सरकार उससे क्या टैक्स के रूप में वसूल कर रही है ? यह टैस्ट है तमाम आपके भूमि सुधारों का। आप कितनी ही कानूनी जंजीरों में उसको फंसा दें; अगर भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं मिलती है और जो मालयाना या लगान उससे लेते हैं और जो आवयाना आप उससे लेते हैं अगर वह कम नहीं होता है तो आपके तमाम कानून फिजूल हैं। किसान उससे खुश नहीं हो सकता, क्योंकि किसान को उससे राहत नहीं मिल सकती। इसलिए जब किसानों को राहत नहीं मिली तो यह दावा करना कि किसानों में बड़ा भारी उत्साह पैदा होकर उन्होंने अनाज की पैदावार को बढ़ाया है तो मैं समझता हूँ कि सही नही हो सकता। कुछ बड़े बड़े जमींदारों में उत्साह पैदा हुआ हो और उन्होंने ट्रेक्टर वगैरह खरीद कर कुछ इस तरीके की काश्त करने की कोशिश की हो, यह हो सकता है। आपके आंकड़ों के अनुसार ये बहुत बढ़िया किसान हो सकते हैं। राजस्थान में अन्न की समस्या यदि इस प्रकार हो सकती है, उसका श्रेय आपको खुद को न लेकर उनको देने की कोशिश करनी चाहिए। ईमानदारी की बात तो यह है।

सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सिंचाई के बारे में भी जिक्र किया है और यह कहा गया है कि सिंचाई के जरिये खाद्यान्न बढ़ा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारी सिंचाई इतने वर्षों में आखिर कितनी बढ़ी है। सन् ५१–५२ में जितनी हमारी काश्त योग्य भूमि थी उसकी ६ परसेन्ट जमीन हमारी सिंचित भूमि थी और अब दो पंचवर्षीय योजनाओं के बाद इतने टॉम-क्लेम्स के बाद, १५० करोड़ रुपया खर्च करने के बाद हम कितनी बढ़ा सके हैं ? ११ पर्सेन्ट तक; ६ पर्सेन्ट से ११ प र्सेन्ट। बहुत बड़ा मीर मार लिया आपने जबकि यू० पी० में सन् ५१–५२ में ही २४ पर्सेन्ट जमीन सिंचित थी और पंजाब में सन् ५१–५२ में ४० पर्सेंट जमीन सिंचित थी। हम इन सारे दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कहां खड़े हैं ? क्या ११ पर्सेन्ट जमीन सिंचित होकर हम यह समझते हैं कि दृढ़ आधार कृषि उद्योग का बन गया है। जिसकी बिना पर हम यह कह सकें कि खाद्यान्न का मसला हल कर लिया है ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह दावा सही नहीं है। इस कम्प्लीसेन्सी से प्रान्त को नुकसान पहुंच सकता है।

एक माननीय सदस्य अग्रवाल : आंकड़े बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजली के संबंध में यह दावा किया गया है इस अभिभाषण

Page No. 84

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में कि हमने बिजली का बहुत विस्तार कर दिया है और वायदों की चकाचौंध में देखा जा रहा है कि इधर से राजस्थान में भाखरा से बिजली आ रही है, उधर चम्बल से बिजली आ रही है और सारे राजस्थान में इतना हो गया और यह होने वाला है। लेकिन हमको आपकी कारगुजारियां इस बात से ही नहीं देखनी है कि क्या हो गया है। इस बात से भी देखनी है कि क्या संभावनाएं थी, कितना हो सकता था और कितना आपकी काबलियत या नाकाबलियत की वजह से खराब हुआ है या अच्छा हुआ है, यह भी देखना पड़ेगा।

आज यह स्थिति है बिजली के बारे में कि ५१-५२ में टोटल केपेसिटी हमारे राजस्थान की बिजली की ३५००० किलोवाट थी जो कि अब बढ़कर ६१-६२ में कुल करीब ७०,००० किलोवाट के पहुंची है, जबकि हमारे प्लान का टर्गेट दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक १,६०,००० किलोवाट तक था। मैं अगर गलती नहीं करता तो यह लक्ष्य हमारा था। क्या वजह हुई है कि हम एकदम पीछे रह गये हैं? क्या यह बिजली जितनी मिली है वह हमारी समस्या जो है, राजस्थान की इकोनौमी जो है, राजस्थान की आर्थिक व्यवस्थ की रिक्वायरमेंट जो है उसके मुताबिक है? इस बात से आंकना होगा आपकी बिजली की स्थिति को। वास्तविकता तो यह है कि आज भी राजस्थान में कोई भी शहर कोटा को छोड़कर ऐसा नहीं है जो कि अपनी तमाम औद्योगिक जरूरतों के लिये जनता को बिजली की पॉवर दे सकता हो। यह असली स्थिति है। जब कि ऑल इंडिया में प्रत्येक व्यक्ति बिजली एवरेज कन्जम्प्शन १४.५० सन् ५१-५२ में था वह बढ़कर ६०-६१ में ३३ युनिट पर केपिटा हो गया। कितना बढ़ा है? १४ से १९ बढ़ कर ३३ पहुंच गया है। हम राजस्थान में कहां पहुंचे हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : माननीय सदस्य खयाल रखेंगे समय का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अभी थोड़े में ही समाप्त करने की कोशिश करूंगा।

वह २.५ से ३.८ पर पहुंचा है। कुल १.३ युनिट हम राजस्थान में बढ़े हैं। इसका कारण क्या है? हमको भाखरा से जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी वह बिजली हम नहीं ले पाये। गांधी सागर डेम से हमको जितनी बिजली मिलनी चाहिए थी वह हम नहीं ले पाये। वजह इसकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। कहीं खम्भों का इन्तजाम नहीं कर पाये हैं तो कहीं पर ट्रान्समिशन लाइन्स का इन्तजाम नहीं कर पाये हैं। इन वजुहात से आज यह हालत है कि हमारी यह बिजली की व्यवस्था बिगड़ी हुई पड़ी है........

श्रीसभापति : मैं आशा करता हूँ कि माननीय सदस्य जल्दी ही समाप्त करेंगे।

श्री रामानन्दअग्रवाल : Within 3-4 minutes, Sir.

सभापति महोदय, इस अभिभाषण में इस बात का दावा किया गया है कि हमारी इन नीतियों के कारण हमने राजस्थान में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि सामाजिक,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजनैतिक और आर्थिक तौर पर लोकतन्त्र मजबूत हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज की राजस्थान की स्थिति में इस बात को कहना लोकतन्त्र का उपहास करना है, उसका मजाक उड़ाना है। अगर वास्तव में इस तरह की हालत प्रान्त में पैदा हुई होती तो आज चुनावों का नतीजा दूसरा ही होता। अगर वास्तव में राजस्थान में लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं तो वे शक्तियां जो राजस्थान को वास्तव में समाजवाद की तरफ ले जाना चाहती हैं, जो वास्तव में किसान और मजदूरों के लिये लड़ना चाहती हैं, वे शक्तियां राजस्थान के अंदर मजबूत होकर आतीं। लेकिन आज हालत क्या है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन चुनावों के नतीजे की तरफ हम देखें। दो स्थितियां हमारे सामने आई हैं; एक तो यह कि जनता ने कांग्रेस में अविश्वास प्रकट किया, कांग्रेस को हराया हैं, कांग्रेस की नीतियों से असंतोष है इसलिये जनता ने कांग्रेस को नापसन्द किया है और दूसरा नतीजा यह जान सकते हैं कि वे लोग जो जनता में काम करने वाले हैं, किसानों और मजदूरों में काम करने वाले हैं वे वामपन्थी मजबूत होकर आये हैं। जो कांग्रेस ने वायदे तोड़े हैं उनके हाथ से बागडोर लेकर जो आगे ले जाना चाहते हैं वे दल भी मजबूत होकर आये हैं।

यह सच है कि हमारे वे भाई भी आये हैं जो पहले शासन करते थे और जिनको अपना शासन छीनने का रोष है। लेकिन उनके आने का कारण भी मैं समझता हूँ। कांग्रेसी नेताओं ने शासन चलाया है जन विरोधी तरीकों से, बेहूदगी से, गलत ढंग से, गलत तरीकों से परम्पराओं को डाल कर चलाया है उनके कार्यों का नतीजा है कि जनता ने मौजूदा शासन में असंतोष प्रकट किया है। पुराने शासन में जनता विश्वास करती है, ऐसी मान्यता नहीं है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूँगा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण के अंत में यह कहा है कि हम लोग जो इस सदन में चुन कर आये हैं वे एक राजनैतिक संधि करलें। संधि किस बात की ? किस बात की संधि चाहते हैं आप ? मेरा खयाल है, यह बात जो ईमानदारी से समाजवाद की बात कहने वाले हैं उनसे नहीं कहना चाहते हैं, संधि जरूर हो सकती है; आपकी उनसे (सामंती तत्वों से) और वह होकर रहेगी। दिखाई भी देता है और मैं समझता हूँ संकेत भी उधर है कि हम तो समाजवाद की कोरी बात करते हैं, कोरी बात से आपको क्यों नाराजगी है ? क्यों समाजवाद की खिलाफत करते हैं और क्यों पीछे पड़े हैं ! हम समाजवाद की बात करते हैं जनता को भुलावे में रखने के लिये, समाजवाद को कायम नहीं करने वाले हैं। इसलिये भाई, समझौता कर लो, यह बात कहना चाहते हैं राज्यपाल। हम इस बात को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम उन नीतियों को जो राष्ट्रीय आंदोलन के खिलाफ हैं, जो राजस्थान की जनता के खिलाफ हैं डट कर विरोध करेंगे, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। राजस्थान की जनता के प्रति जो मूक है, असहाय है, जो भविष्य का स्वप्न देख रही है उस

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जनता की मांग के रूप में उसकेअधिकारों के लिये यहां पर हम उनकी आवाज उठावेंगे। उसकी बात को आपके सामने, सरकार के सामने रखने आये हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अभिभाषण के प्रति अपना असंतोष प्रकट करता हुआ स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय........

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : आप संशोधन प्रस्ताव पेश करेंगे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : जी नहीं। राज्यपाल महोदय ने बड़ी घुमाव-फिराव की भाषा के साथ यह सिद्ध करने की कोशिश अपने इस भाषण में की है कि राजस्थान की मौजूदा हुकूमत ने जो पिछले १० साल से हुकूमत चली आ रही है उसमें क्या क्या कमियें हैं उन पर एक तरह से पर्दा डालने का असफल प्रयास किया है।

सभापति महोदय, सर्व प्रथम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की कोशिश की है कि राजस्थान में आज लोगों में जो राजनैतिक चेतना है उसकी वृद्धि हो रही है। लेकिन यदि आँकडों को देखा जाय तो यह इसके एक दम प्रतिकूल पड़ती है और यही नहीं, जो आज सत्ताधारी पक्ष है....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाऊगा कि समय कम रहा है, इसलिये वे अपने भाषण को आध घंटे में या ५ बजने में १० मिनिट रहें तब तक समाप्त कर दें ताकि संशोधन प्रस्ताव आज ही आ सके।

श्री मुकटबिहारीलाल : मैं अध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में समय काफी है; कल भी और परसों भी। मेरे लिये कम से कम आप इतनी इजाजत देंगे कि मैं ठीक तरह से बात रख सकूं। फिर जैसी आज्ञा होगी वैसी शिरोधार्य है।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री मुकटबिहारीलाल : तो मैं निवेदन कर रहा था कि बड़ी चतुराई के साथ इस बात की कोशिश की गई है कि राजस्थान में पोलिटिकल कॉन्शियसनेस, या राजनैतिक चेतना में वृद्धि हुई है। बड़े गर्व से यह बात कही जाती है कि राजस्थान में जितने मतदाता हैं उनमें से ५२ प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट का उपयोग किया है। यदि इस पर सत्यता से दृष्टिपात किया जाय तो आँकड़े यह बताते हैं कि यह क्या लोक कल्याणकारी राज्य है या उपहासास्पद रूप है। मैं निवेदन करूँ कि इसके साथ साथ जो सत्ताधारी पक्ष है उसने यह बात कही कि हमने आम चुनाव में ४० प्रतिशत मत प्राप्त करके कोई बहुत बड़ी बात का डंका बजाया है। मैं इस संबंध में नम्र निवेदन करूं कि आप इन आँकड़ों की तरफ देखें, जो पूरे मतदाता थे उनके आधे करीब मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और उन आधे मतदाताओं ने जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया उनके ४० प्रतिशत मत सत्ताधारी दल को मिले। इसके मायने यह हैं कि राजस्थान का पूरा मतदाता वर्ग है, राजस्थान में जितने मतदाता हैं उनमें से केवल २० प्रतिशत मतदाताओं का विश्वास आज के इस सत्ताधारी गुट के लिये प्राप्त है। क्योंकि शासन की व्यवस्था और संविधान की

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

मर्यादा ऐसी है कि जिसके बल पर ८० प्रतिशत मतदाता जो इस शासन को मंजूर नहीं करते वे आज इस पक्ष में बैठे हैं और शासन हथियाए हुए हैं। यदि इसकी और विवेचना की जाय तो मैं निवेदन करूंगा कि इस जनतंत्र में लोक कल्याणकारी राज्य का असली रूप सामने आता है। जो यहां की आम जनसंख्या है, राजस्थान की पूरी आबादी है उसके आंकड़ों से हिसाब लगाया जाय तो फिर मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जो पूरी जनसंख्या है उस में आधे करीब मतदाताओं की संख्या बैठती है और इस हिसाब से फलित किया जाय तो निवेदन करूंगा कि राजस्थान की पूरी जनसंख्या का केवल १० प्रतिशत मत सत्ताधारी गुट के लिये प्राप्त है और ६० प्रतिशत जो राजस्थान की आम जनता है उसका किसी भी प्रकार से जो आज की शासक और सताधारी गुट है उससे संबंध नहीं है।

इसके अलावा जिस शासन ने इस बात की एक बड़ी डींग हांकने का प्रयास किया है कि राजस्थान ने देश में बहुत बड़ा सफल प्रयोग किया है। मैं उसकी सच्चाई के लिये सदन के पटल पर निवेदन करना चाहता हूँ वह बात यह है कि गत चुनाव में सत्ताधारी गुट ने अपने जितने जरूरी साधन हो सकते थे उनका इतने नंगे तरीके से उपयोग किया कि जिसका पूरा राज जनता के सामने आया। अभी मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे तब ट्रेजरी बेन्चेज से आपत्ति की गई थी, कतिपय बातों को लेकर कहा; मुख्यमंत्रीजी ने बाड़ी, धौलपुर, बान्सूर में इस बात की पब्लिक मीटिंग में घोषणा की थी कि आप कांग्रेस को वोट यदि नहीं देंगे तो यहां का विकास नहीं होगा। उन्होंने यहां तक कहा, कतिपय निर्वाचन क्षेत्रों में खड़े होने वालों का नाम लेकर व्याख्या की गई थी कि विरोधी पक्ष के फलां फलां उम्मीदवार हैं वे देखेंगे कि बुरी तरह से परास्त होंगे क्योंकि उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं हो पाया है। मैं अर्ज करूं, एक बड़ा भारी नियम बना दिया गया इस बात के लिए कि छः महीने पहले कोई ट्रांसफर नहीं होगा सरकारी मुलाजिम का। मैं अर्ज करूं, बसेड़ी के तहसीलदार केवल चुनाव पोलिंग होने के दस दिन पहले बदल दिये गये कि वह अपनी चातक जाति से था और उसने वहां के कांग्रेसी उम्मीदवार जो थे उनको कोई मदद नहीं की थी और उसकी उपयोगिता की किसी बड़े कांग्रेसी वाले क्षेत्र में आवश्यकता थी।

मै अर्ज करूं, चुनाव का वातावरण किस तरह एक नाटक के रूप में रचा गया। अगर विरोधी पक्ष के भाइयों को आम जनता का प्रबल जन बल नहीं मिलता, लोगों में इस तरह की भावना नहीं होती तो नतीजा दूसरा हुआ होता। मैं, सभापति महोदय, निहायत नम्रता के साथ अर्ज करूं, बडा षड़यन्त्र रचा गया इस बात का कि जो चुनाव क्षेत्र थे उनमें जो कांग्रेसी उम्मीदवार थे उन कांग्रेसी उम्मीदवारों के पक्ष के थानेदार रखे गये। डी. एस. पी. रखे गये। मै अर्ज करूं बयाना में डी. एस. पी. जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनका नाम लेना पसन्द नहीं करूंगा, उनके रिश्तेदार थे उनको डी. एस. पी. अपोइन्ट किया गया। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि विलेज लेवल वर्कर

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

ग्राम सेवक, बी. डी. ओ. और जितने पंचायत समिति के थे, वे इस तरह काम करते रहे कि मानो कांग्रेसी सदस्य की जमात हो। मैं अर्ज करूं, कुम्हेर में क्या हुआ, वहां के थानेदार केवलसाप्रद को हटाने के लिए चुनाव के तीन-चार महीने पूर्व से ही इस बात का प्रयास किया कि इस थानेदार को, जो कांग्रेस का खुले आम प्रचार कर रहा है, हटा दिया जाय। लेकिन वह नहीं हटाया गया। वहां की कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ पार्टी, स्वतन्त्र पार्टी सबने इस बात का अथक प्रयास किया, अधिकारी वर्ग का समय पर ध्यान खींचा कि थानेदार को हटा दिया जाय, लेकिन वह नहीं हटाया गया। अन्त में कितने झूठे मुकदमें बनाये, कई आदमियों को बन्द कर दिया। मुझे शर्म आती है, जब मैं इस बात को कहता हूँ कि हिन्दुस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी, जिसका मैं नाम ले दूं स्वतन्त्रपार्टी, का झण्डा उस थानेदार ने आम पब्लिक के बीच फाड़ दिया। इससे ज्यादा लज्जाजनक बात इस सदन के लिए और नहीं हो सकती। किस किस प्रकार की दर्दनाक बात वहां की गई लेकिन वह थानेदार आज भी कायम है। मैं निवेदन करूं इस बात को निहायत अदब के साथ कि जब दूसरी पार्टियों ने विरोध प्रगट किया कि जनतन्त्र में इस प्रकार की बात अवांछित है, नहीं होनी चाहिये; इसके बावजूद क्या हुआ, मैं अध्यक्ष (सभापति) महोदय से निवेदन करूं, उस थानेदार ने १२७ रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट की धारा लगा कर हमारे विरोधी पक्ष के अच्छे अच्छे साथी थे, कार्यकर्ता थे, उनको पकड़ कर बन्द कर दिया और उल्टा चालान कर दिया। इस प्रकार नंगा नाच हुआ। जो पूंजीपति दल था, उसको बड़ा दल किया गया। अभी मुख्य मन्त्रीजी ने २२ लाख के आंकड़े वाली बात गलत कही। मैं अर्ज करूं साढ़े पांच लाख, वहां चूंकि केन्द्र के एक मन्त्री, मिनिस्टर ऑफ दी स्टेट्स लड़ रहे थे, भरतपुर क्षेत्र से उनको चुनाव जिताने के लिए यहां तक किया गया कि कलकत्ता के पूंजीपतियों के द्वारा साढ़े पांच लाख रुपये उपलब्ध किये गये जो पंजाब नेशनल बैंक में १७-१२-६१ को जमा किये गये एक चैक के द्वारा। इसकी इन्क्वायरी की जा सकती है। मैं अर्ज करूं कि जहां पर इस प्रकार की बात कही जाती है कि चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष रूप से हुए, वहां मैं रूपवास के थानेदार का जिक्र करता हूँ। वह थानेदार तत्कालीन गृह मन्त्री का रिश्तेदार···

एक माननीय सदस्य ; भूतपूर्व ।

श्री मुकुटबिहारीलाल : भूतपूर्व । Sorry, Sir.

तो मैं निवेदन कर रहा था कि भूतपूर्व गृह मन्त्री का रिश्तेदार था और चूंकि भूतपूर्व गृह मन्त्री के रिश्तेदार उस रूपवास के अन्दर हैं, मैं अर्ज करूं कि उनके द्वारा खुल कर क्या फाग नहीं खेला गया ? जनतन्त्र के अधिकारों की किस तरह अवहेलना की गई, इसके उदाहरण नहीं मिल सकते। मैं अर्ज करूं, जनतंत्र के नाम पर इतना बड़ा उपहास किया जाता है। मैं अर्ज करूंगा, हालांकि मैं गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करता हूं, अगर ये प्रयास चलते रहे तो एक दिन, मैं निहायत अदब के के साथ अर्ज करूं कि इस देशमें आयेगा जब इस देश के नौजवान इस जनतन्त्रीय पद्धति को भूलकर दूसरी तरह सोचना चाहेंगे; वह चाहे इस वोट के द्वारा इस सरकार को

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

बदलने की बात हो, शायद बुलेट के सहारे लेने की कोशिश करेंगे। मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस जनतंत्र के खातिर यह बहुत जरूरी है कि चुनाव के दर्मियान, चुनाव के बीच बहुत जबरदस्त गड़बड़ घोटाले किए गए हैं, सरकारी मशीनरी का खुल कर दुरुपयोग किया गया है, उसकी खुली जांच की जाय। मैं निवेदन करूंगा, इसके लिए बड़ा कमीशन नियुक्त किया जाय, जिसके अन्दर अगर मंत्रि-मंडल, ट्रेजरी बेंच का कोई भी भाई हो। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण देता हूं, लिस्ट दे सकता हूं; मेरे पास लिस्ट मौजूद है सरकारी कर्मचारियों की। मैं सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट दे सकता हूं कि किस किस कर्मचारी ने कहां कहां पर किस किस प्रकार की अनियमितताएं की हैं और यह बात सत्ताधारी वर्ग के हित के लिए है, हमारे हित के लिए भी है, आम जनता के हित के लिए भी है और खास तौर से इस देश में स्वस्थ जनतंत्रात्मक परम्परा के लिए निहायत जरूरी है कि चुनाव के दौरान में इतना बड़ा षड़यंत्र किया गया है, उसकी खुली जांच की जाय। मैं अर्ज करूं कि यह सरकारी कर्मचारियों के हित में भी है और इस बात के हित में भी है कि सरकारी मशीनरी को दोषरहित रखा जाय, सरकारी मशीनरी में राजनीति नहीं घुस जाय और वह बात खत्म हो जाय।

मैं आपको अर्ज करूं कि यहां पर एक बड़ी जोर की दलील दी गई और सरकार की नीति जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के रूप में प्रगट हुई है, उसमें जनतंत्रतात्मक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की बात को जोरदारी के साथ रखा गया है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को हम स्वीकार करते हैं; लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण हमारी नीति है, हमारी मर्यादा है, हमारी जो भावना है, उनके अनुकूल है, परन्तु उसके द्वारा सत्ताधारी ग्रुप ने कितना जबरदस्त अपराध किया है, उसकी बात मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। इन लोगों ने जा जा कर जगह जगह चुनाव के दौरान में अनेकानेक केम्पों का आर्गेनाइजेशन किया है। उन केम्पों के द्वारा स्थानीय सरपंच और सभी पंचों को बुला बुला कर उनके ऊपर इस बात का दबाव डाला गया कि आपको हटा दिया जायगा अगर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार नहीं करेंगे। यह भावना बना दी गई कि ये सरपंच चुने गए हैं, या पंच नियत किए गए हैं, ये कांग्रेस के महरबान हैं, इसलिए उनकी यह ड्यूटी है, कर्तव्य है और उनके ऊपर सरकारी अधिकारियों के द्वारा, बी. डी. ओ. के द्वारा यह दबाव डाला गया है कि सरकारी पक्ष में प्रचार करें। मैं अर्ज करूं, कि कोई सरपंच जो कि इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको पैसे की मार देकर जोर दिया गया। एक एक सरपंच को जिस इलाके से मैं आया हूं मैं अर्ज करूं एक एक सरपंच के जिम्मे बीस बीस हजार रुपए विभिन्न विकास कार्यों के बकाया हैं। अगर कोई सदस्य चाहे तो मैं लिखित में पेश कर सकता हूं, नहीं तो सदन के भीतर मैं यहां खड़ा हूं; नहीं मैं एक नहीं, अनेक उदाहरण नाम-पते सहित, गांव सहित, तारीख सहित पेश कर सकता हूं....

श्री मानसिंह महार (आमेर) : दो-चार बताएं।

श्री मुकटबिहारी लाल : मैं अर्ज करूं, उदाहरण के तौर पर बताऊं कि बसेड़ी में

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

पीपरोन गांव है, वहां कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहते हैं, कांग्रेस के सरपंच हैं । उनकी तरफ कितनी ही रकम बकाया है-तालाब के नाम रकम बकाया है, जो बीज वितरण की रकम है वह छः हजार रुपयों की बकाया है, उनकी तरफ औषधालय की रकम बकाया है, एक पंचायत भवन की रकम बकाया है, स्कूल में पानी के लिए कुआ खुदवाने, पम्पिंग सेट लगवाने के लिए रकम है, वह हजम करके बैठे हैं, स्कूल के मास्टरों के क्वार्टरों की रकम जेब में पड़ी है। यही नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कर्ज की रकम है उसमें से कई हजार की रकम व्याज पर पड़ी हुई है। कई उदाहरण मैं दे सकता हूं। मैं किस तरह अर्ज करूं, खुल कर सरकारी सत्ता का दुरुपयोग होता है ।

इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा, चुनाव के दौरान में षड़यंत्र रचा गया जिस पर दूसरे सदस्य महानुभावों ने प्रकाश डाला है–प्रकाशन के द्वारा, दूसरे दूसरे तरीकों के द्वारा। मैं अर्ज करूं, कई कोऑपरेटिव सोसाइटियां बड़े बड़े सेठों द्वारा बनाई हैं, उनको किसी मिनिस्टर से आश्वासन दिलाया गया। मुझे शर्म के साथ और निहायत अदब के साथ कहना पड़ता है, उस इलाकेमें एक गांधीवादी विचारधाराका गांधी सेवा सदन है, उसको इस प्रकार के षड़यंत्र का अखाड़ा बनाया जाता है। मैं अर्ज करूं बड़े बड़े सेठों को, कोऑपरेटिव वालों के बारे में यह कहा जाता है कि उनके लिए पचास हजार रुपए की सेंक्शन टेलीफोन के द्वारा केवल इसलिए कराई जाती है क्योंकि चुनाव मशीनरी में उस सोसाइटी के साधनों, प्रसाधनों का खुल कर उपयोग किया जा सकता है। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि वहां से दूसरे एक सेठ जिसकी तरफ सरकार के, जनता के हजारों रुपये जो रॉयल्टी के बकाया हैं, मकान की नीलामी होने वाली थी वह केवल टेलीफोन से स्थगित की गई और केवल इसलिए यह किया जाता है कि कांग्रेस को वोट दिलाये जावें और वह रुपया चुनावों में खर्च किया जावे ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी पोलिंग पार्टीज नियुक्त की गईं वे जाति विशेष के आधार पर नियुक्ति की गईं। जो जिलों के अधिकारी भेजे गये वे भी जाति विशेष के आधार पर भेजे गये। यहां तक कि बड़े बड़े अपराध पकड़े गए और पकड़ कर उनको बताया गया कि देखिये यह क्या हो रहा है, मगर उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऊपर की सीट यानी पार्लियामेंट के लिए जो जो सफेद पर्चे थे वे आम जनता के लिए थे मगर आम जनता को वे पर्चे नहीं दिये गए। पोलिंग के इंचार्ज कांग्रेस इंचार्ज के घर में रहते थे और पहले कांग्रेस की जो बातें तय होती हैं वे सब घर पर तय हो जाती हैं।....

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : दूसरी पार्टीज एजेन्ट तो वहां मौजूद थे ?

श्री मुकुटबिहारीलाल : एजेन्ट थे, मगर उनको अन्दर नहीं जाने दिया। अभी जो घटना सामने आई, मैं ऐसे उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। पोलिंग एजेन्ट थे, उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने यह बात बता दी। दो बजे एक पोलिंग एजेन्ट ने जब क्लेक्टर राउन्ड लेकर आये मतदान पर

(श्री मुकुटबिहारीलाल)

तो एजेन्ट ने बताया कि मैं ऑथोरिटी लेटर लेकर बैठा हूँ, मगर मुझे अन्दर नहीं घुसने दिया जाता है। उन्होंने कहा चूंकि आपको ७॥ बजे आना चाहिए था इसलिए निकाल दो इसको धक्का देकर और उनको धक्का देकर निकाल दिया गया। इस तरह के गड़बड़ घोटाले चुनावों में किए गए।

मैं आपसे निवेदन करुं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में क्या क्या चीजें आपको अर्ज करुं। मैं अर्ज करुं कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं उनका पारा आसमान पर चढ़ चुका है, क्योंकि सौभाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये ट्रेज़री बैंच की तरफ बैठने वाले एक या दो मतों के अल्प मत से उधर बैठ गये। इसका नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस की वाहवाही करने वाले छोटी जातियों के लोगों की जमीनें हड़पने लग गए और आज उन छोटी जातियों के लोगों को जमीन से हटा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। लोगों की भरतपुर में फसलें काटी जा रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक एक मिसाल आपको बता सकता हूँ। मगर उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

इस बात की दुहाई दो जा रही है कि हम राजस्थान में चमन ला रहे हैं, राजस्थान उन्नति कर रहा है। ट्रेज़री बैंच से एक भाई ने कहा कि सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में राजस्थान उजड़ रहा था और अब जबर्दस्त उन्नति हुई है, मैं अर्ज करुं कि आज सरकार का कोई भी विभाग ले लीजिए, जितने विभाग हैं उनमें सब में भ्रष्टाचार किस प्रकार से अपना घर कर चुका है। चाहे आप पुलिस बिभाग को लें, रेवेन्यू को लें या ट्रांसपोर्ट को ही लें, कहीं भी आप जाइए, आज आपको सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ मिलेगा। आज राज्य की ईंट ईंट रिश्वत मांगती है। आज किसान को देखिए; रिक्शेवाले, मोटरवाले, तांगेवाले और आप सड़क पर जाइए—चाहे तांगे में जाइए, चाहे रिक्शे में, चाहे रेल में बैठ कर जाइए, जहां पर भी जावें आपको भ्रष्टाचार की ही चर्चा मिलेगी, अपराधों की चर्चा मिलेगी, लूट-खसोट की चर्चा मिलेगी। इस प्रकार की आपको अनेक मिसालें मिलेंगी, मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूँ कि आज पब्लिक में आपका विश्वास उठता चला जा रहा है। पुलिस का बिभाग है इसमें एक नहीं अनेकों घटनाएं घटित होती जा रही हैं। वे किस तरह से हमारे रक्षक है? पुलिस को, जिसको हमने रक्षक का भार सौंपा है वह रक्षक के स्थान पर हमारी भक्षक बनी है। आज हम देखते हैं कि बेईमानी, लूट, चोरियें आदि करने वालों की तरफ उनका रुख न होकर उनका (पुलिस का) रुख भले आदमियों को तंग करने की तरफ होता है; चोर, डाकू, बेईमानी करनेवाले, हत्यारों को पकड़ने और रोकने की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। भले आदमी की टोपी को उछालने की कोशिश की जाती है। इसके लिए एक नहीं अनेक उदाहरण कोई भी चाहें दिए जा सकते हैं।

एक बात मैं निहायत अदब से निवेदन करुंगा कि आप एक बात कहेंगे कि कोई पुलिस का कर्मचारी अत्याचार करता है तो उसके लिए हम अदालतों की शरण में जा सकते हैं। मैं निहायत अदब के साथ भारत की जुडोशियरी की प्रथा पर श्रद्धा रखता हूँ, मगर मैं यह निवेदन करुंगा कि अगर शासन की कुर्सियों पर बैठने वाले न्यायाधीश ही न्याय का खून

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

कर डाले तो फिर न्याय कैसे मिल सकता है ? अगर न्याय के लिए रुपयों की बोलियां लगने लग जांय तो न्याय किस प्रकार से मिल सकता है ? एक व्यक्ति ५००) रु० देता है तो दूसरा ७००) रु० की बोली लगाता है, तो वह न्याय इधर से बदल कर उधर चला जाता है । जिन लोगों के दरबार में, जिन लोगों के इजलास में हमारे भारत की जनता, किसान -झोली पसार कर न्याय की भीख मांगने जाता है उस भगवान के दरबार में न्याय की कुर्सियों पर बैठने वाले वे व्यक्ति चंद चांदी के टुकडों के खातिर न्याय का खून कर डालें तो आप ही देखिए कि उनके लिये न्याय प्राप्त करने का कौनसा रास्ता है ? इसके बाद भी आपका शासन उतर कर यह कहता है कि आज जनता को खुशी है कि उसको न्याय मिलता है । मैं यह निवेदन करूगा कि आज धौलपुर के इलाके की तरफ जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां आज भी किस तरह की दुर्दशा है । एक हाथ में आप इन्सान का सिर काट कर ले जाइये और दूसरे हाथ में रुपयों की थैली ले जाइये ; आप फिर सनसनाहट करते हुए चले जाइये, आपको कोई रुकावट नहीं होगी । चांदी के चन्द टुकडो की चमचमाहट के सामने सरकारी अधिकारियों की आंखें चकाचौंध होकर बन्द हो जाती हैं और यह चीज खत्म हो जाती है । मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करूंगा कि जब शासन व्यवस्था में श्रद्धा खत्म हो रही हो तो शासन के सामने सर्वप्रथम यह बात पैदा होती है कि राजस्थान की जनता में सबसे पहले विश्वास पैदा करें और आज की मौजूदा हुकूमत क्या राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की भावना पैदा कर भी सकेगी या नहीं ।

दूसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह भ्रष्टाचार की है । भ्रष्टाचार का बोल-बाला कहां तक है, इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के लोगों, शासन के कृपा पात्र लोगों, ने किसानों की टीपे काट ली हैं । जिस किसान का खेत पर २० या २५ साल से कब्जा था उसको भी बे-दखल कर दिया गया । मैं समय की कमी के कारण सब बातों का जिक्र यहां नहीं करूंगा । अध्यक्ष (सभापति), महोदय, अभी तक १४ मिनट शेष हैं । चूंकि यह राजस्थान के कल्याण की बात है, कितने ही हजार किसानों पर मुकदमें चल रहे हैं ; कितने ही मुकदमें किसानों से इसलिये लड़े गये कि राजस्थान के किसानों को कर्मचारी बर्बाद करेंगे, कितने ही किसानों को रेवेन्यू बोर्ड में जाना पड़ा और बहुत से किसान बर्बाद हुए । लेकिन मैं यह सरकार से पूछना चाहूंगा कि इस बीच में आपने कितने तहसीलदारों को या पटवारियों को ले जाकर जेल में ठूंसा जिन्होंने कि किसानों के साथ इस प्रकार अत्याचार किया । टीप काटने से मसला बड़ा खतरनाक मसला होता है, टीप काटने के माने होते हैं एक किसान के सामने परोसी हुई थाली दूसरे के सामने चली जाती है, किसान का पूरा परिवार रो उठता हैं, बल्कि तरस उठता है, क्योंकि उसके सामने अंधेरा छा जाता है, रोटी-रोजी का सवाल आ जाता है ।

(समय - समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब आप दो मिनट में ही समाप्त कर दें ।

श्री मुकट बिहारीलाल गोयल : मेरे लिये कल टाइम रखें, अभी तो मैंने खास मुद्दे की चीजें नहीं रखी हैं।

श्री सभापति : बजट भाषण के समय पेश कर दें, सभी संशोधन प्रस्ताव अभी मूव हो जायं।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल: संशोधन प्रस्ताव विथड्रॉ कर लिये गये है।

श्री सभापति : तो आप कन्टिन्यू करें।

श्री मुकुट बिहारीलाल : टीप काटने का मतलब यह होता हैं कि वह पटवारी जो कलम चलाता है वह कलम कागज पर नहीं चला कर उस किसान के परिवार के बच्चों और लोगों की गर्दन पर चलता है। इस तरह की जघन्य घटनाएं होती रहीं और इस शासन व्यवस्था में अदालतें पटवारियों के खिलाफ, गिरदावरों के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास करती रहीं, पर आज तक उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जनता को मुगालते में डालने के लिये नये नये नारे रखे जाते हैं। १४ वर्ष के शासन में एक पक्ष यह नारा लेकर आया कि हम सर्व प्रभुत्व सम्पन्न गणतन्त्र राज्य स्थापित करना चाहते हैं, फिर देखा कि जनता अब इसके भुलावे में नही आती तो वह उसके स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य का नारा लेकर जनता के सामने आया और जब यह देखा कि इसके भुलावे में भी जनता नहीं आती तो नया नारा लेकर आया कि वह सोश्यलिस्टिक पैटर्न का समाजवादी समाज करना चाहता है जब देखा कि जनता इस भुलावे में भी नहीं आती तो वह पक्ष अब कहता है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं। इस तरह के नारों से शासन जनता को गुमराह करना चाहता है, पर सब जानते हैं कि इस १४–१५ साल के शासन-काल में शासक पक्ष ने क्षेत्रीयवाद को खुल कर पनपाया है। पहले यह कहा गया कि पुरानीजो राजधानियां हैं, पुराने क्षेत्र हैं उनके महत्व को बनाये रखेंगे, पर उनको बर्बाद कर दिया गया, जहां के भाई थे, जहां के मन चाहे एम. एल. एज्. थे उन क्षेत्रों को सुविधाएं दी गयीं। मेरे एक माननीय सदस्य महानुभाव ने कहा था कि प्रशासनिक ढांचे के अनुसार कई छोटी आबादी के और कोई बड़ी आबादी के जिले हैं, उनके सम्बन्ध में सरकार डिटेलवार रखे कि किन किन जिलों में कितने लाख, कितने कितने हजार रुपये की कौन कौनसी योजनायें लागू की गयीं। उदयपुर में और दूसरे डिवीजन में करोड़ों रुपये खर्च किये गये और दूसरे इलाकों को छोड़ दिया गया; जैसे कि बिना धणी को खेतो को योंही चरने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आज शासक वर्ग कहता है कि हमने इस देश को चमन कर दिया है। महाराणा प्रताप का देश, मीरां जैसे भक्तों का देश, बलिदान का देश जिसने जनता के लिये यहां के चप्पे २ पर लड़ाइयां लड़ी थीं वहां आज का शासक दल जनता के प्रति उपेक्षित भाव रख कर इठला रहा है और अपनी प्रचार सामग्री से जनता को गुमराह करना चाहता है। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो शासक पक्ष आज डींगें हांकता है कि वह समाजवाद लाना चाहता है तो मैं निवेदन करूं कि भरतपुर में भूमिहीन किसानों की संख्या २०,००० है।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

वहां भूमिहीन किसानों का आन्दोलन चला, हमने सर्वे किया, लिस्टें बनवाई भूमिहीन किसानों की और राज्य सरकार के पास प्रेषित कीं। पर राजस्थान सरकार ने कहा कि जमीन की समस्या इस तरह हल नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन रबर नहीं है जो खींच कर बढ़ाई जा सके, जमीन सीमित और भूमिहीन किसान अधिक हैं। हमारी पार्टी ने नीति रखी कि भूमिहीन किसान पुश्तानपुश्तों से, सात सात पीढ़ी से किसान का कार्म करते हैं, खेती-बाड़ी का काम करते हैं तो फिर उनके पास जमीनें क्यों नहीं हैं? आप कहेंगे कि आप झूठ बोलते हैं, यह परिवार तो दूसरा काम करता है, खेती बाड़ी नहीं करता, हम झूठ बोलते हैं; तो आप ही बताइये, ये क्या काम करते हैं? यदि डकैती डालते हैं या और दूसरे अनैतिक काम करते हैं तो जेलों के सीखचों में डाल दीजिए। पटवारी के रेकॉर्ड में इनकी काश्त दर्ज नहीं है तो क्या ये लोग जमीन पर नहीं तो क्या आसमान पर खेती करते थे?

हमने कहा हमारे यहां कई रूंदें हैं, उन रूंदों को कटवाइये और इन भूमिहीन किसानों में उस भूमि का वितरण कर दीजिये। यह बात कही तो इस बात की भी उपेक्षा कर दी गई। हमने यह कहा कि इन रूंदों की पिछले १० सालों की आमदनी का हिसाब लगा लिया जाय और भूमिहीनों को देने के बाद जो उससे आमदनी हो उसका हिसाब लगा लिया जाय और इस जमीन का मूल्यांकन कर लिया जाय तो निश्चित रूप से इसकी आमदनी बढ़ेगी, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और इससे किसानों की रोटी-रोजी का मसला हल हो जाय तो फिर आप इस भूमि का बंटवारा करिये।

भरतपुर की पिछड़ी जातियों के १० हजार व्यक्तियों ने कलेक्टोरेट पर प्रदर्शन किये, उनके २०६५ व्यक्तियों को जेलों में डाल दिया गया और बहुतसों को जंगलों में दूर दूर ले जाकर छोड़ा गया। उस आंदोलन के संचालकों को रातोंरात घर से पकड़ लिया गया और लाठी, गैस और गोली के बल पर उस आंदोलन को कुचल दिया गया। पर इससे जो असली समस्या है वह हल नहीं होती। जहां शासक दल यह दुहाई देता है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आम जनता के सामने मुंह फैलाने वाले............

श्री सभापति : समय समाप्त हो चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : मेरे लिए कल समय रख दीजिए।

श्री सभापति (राव श्री नारायणसिंह) : सदन की प्रातः बैठक कल ११ बजे शुरू होगी।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ५ बजे दिनांक १६ मार्च, १९६२ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(गुरुवार, १५ मार्च, १९६२)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक ३५

जल वितरण की दरें।

विद्युत वितरण, गंगापुर।

पीने के पानी की समस्या का समाधान।

प्रधान, पंचायत समिति, सपोटरा द्वारा अवैधानिक रूप से किये गये तकावी वितरण की जांच।

सभापति तालिका ५४

अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह सूचित किया कि उन्होंने नियम ९ के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्य सभापति तालिका के लिये मनोनीत किये हैं:—

१. राव श्री नारायणसिंह मसूदा,

२. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सदन की मेज पर रखे पत्र

समितियों के प्रतिवेदन ५५

स्कम्भ

सचिव, विधान सभा, ने निम्नांकित प्रतिवेदन जो गत विधान सभा के अध्यक्ष को सभा का विघटन होने से पूर्व प्रस्तुत किये जा चुके थे तथा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम २०५ के अधीन जिनके मुद्रण, प्रकाशन अथवा परिचालन के आदेश भी दे दिये गये थे, सदन की मेज पर रखे:—

(१) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २४वां प्रतिवेदन जो जन सम्पर्क विभाग के संबंध में है।

(२) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २५वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति, १९५९-६० द्वारा प्रस्तुत खनिज एवं भूगर्भ विभाग से संबंधित १५वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में है।

स्कम्भ

(३) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २६ वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति, १९५९-६० द्वारा प्रस्तुत वन विभाग से संबंधित १३वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में है।

(४) प्राक्कलन समिति, १९६१-६२ का २७ वां प्रतिवेदन जो प्राक्कलन समिति, १९५८-५९ द्वारा प्रस्तुत पुलिस विभाग विषयक दसवें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई-कार्यवाही के संबंध में है।

(५) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, १९६१-६२ का षष्टम् प्रतिवेदन।

(६) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, १९६१-६२ का पांचवां प्रतिवेदन।

(ख) राज्यपाल महोदय का अभिभाषण की प्रति सदन की मेज नेज पर रखना ५६

सचिव, विधान सभा, ने १४ मार्च, १९६२ को दिये गये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति सदन की मेज पर रखी।

स्कम्भ

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद ५६

दिनांक १४ मार्च, १९६२ को राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर श्री नारायणसिंह मसूदा, सदस्य, विधान सभा ने उन्हें निम्नलिखित शब्दों में धन्यवाद प्रस्तुत किया:—

"इस सत्र में समवेत् विधान सभा के सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपा पूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"

श्री मोतीलाल चौधरी, सदस्य विधान सभा, ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

उपरोक्त धन्यवाद प्रस्ताव पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया:—

(१) महारावल श्री लक्ष्मण सिंह,

(२) श्री भैरोंसिंह,

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल,

(४) श्री मुकुटबिहारीलाल।

सदन की बैठक ठीक ५ बजे शुक्रवार दिनांक १६ मार्च, १६६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

शुक्रवार दिनांक १६ मार्च, १६६२
की कार्य-सूची

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद।

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिए]

S. No.	Name of the place.	Rate for motared supply.	Flat rates:
1.	Bikaner.	Rs. 1/8/—per thousand gallons for first ten thousand gallons.	Old rate Rs. 5/-per family and now charged as per orders attached.
		Rs. 1/4/— per thousand gallons for next twenty thousand gallons. Beyond that Re .1/— per thousand gallons.	
2.	Jaipur.	Rs.1/—per thousand gallons.	
3.	Dausa.	—do—	
4.	Udaipur.	Rs. 1/4/—per thousand gallons.	
5.	Doongarpur.	—do—	
6.	Kota.	Re. 1/— per thousand gallons.	
7.	Jodhpur.	Re. 1/— per thousand gallons.	

N. B. Flat rates at above places have now been introduced as per copy of orders attached.

(राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण,

नई विधान सभा के इस प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे बड़े आनन्द का अनुभव हो रहा है। मैं इस अवसर पर आपका स्वागत करता हूँ और आपको मतदाताओं का विश्वास प्राप्त करने की बधाई देता हूँ। हम कुछ ऐसे पुराने सदस्यों के सहयोग से वंचित रह जायेंगे जिन्होंने कि इस सदन के विचार विमर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मुझे विश्वास है कि नये सदस्य उस उच्च परम्परा को बनाये रखेंगे जो कि अतीत काल में इस महान सदन की कार्यवाहियों की एक विशेषता रही है।

२. इस महान सभा को सम्बोधित करने का मेरे लिए शायद यह अन्तिम अवसर है क्योंकि आप जानते हैं मेरा कार्य काल १५ अप्रेल को समाप्त हो रहा है। अतः मैं अभिभाषण प्रारम्भ करने के पहले यह कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ कि राजस्थान की जनता के प्रति मेरे हृदय में हमेशा प्रेम व समादर की भावना रही है और रहेगी। अगर मैं जनता की कुछ सेवायें पिछले साढ़े पांच सालों में कर सका हूँ, वह मुख्य मंत्री जी व मंत्रीगण, सरकारी कर्मचारी और जनता के हार्दिक सहयोग से ही हो सकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जहां भी हूंगा मुझे हमेशा राजस्थान वासियों का ख्याल रहेगा और मेरे दिल में उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना रहेगी।

३. राज्य विधान मन्डलों तथा केन्द्रीय विधान मंडल के गठन के लिए तीसरे आम चुनाव हाल में सम्पन्न हुए हैं जो कि इस देश में लोकतंत्रात्मक संस्थाओं और परम्पराओं की स्थापना में एक महत्वपूर्ण घटना थी। समूचे जन समूह को जो बहुमूल्य अनुभव तथा शिक्षण प्राप्त हुआ है वह सामाजिक निर्णय के इस महान प्रयोग का प्रमुख पहलू है। यह बहुत ही संतोषजनक बात रही कि मतदाताओं का व्यवहार, आमतौर पर बड़ा संयमित रहा और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में विशेष दिलचस्पी ली। राज्य में मतदान कार्य केवल ६ दिन के थोड़े समय में ही पूरा हो गया और ५२ फी सदी से अधिक निर्वाचकों ने ११५७७ मतदान केन्द्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन चुनावों के सम्पादन में ३२००० से अधिक कर्मचारी नियोजित किए गए। मतदान के दौरान, सुरक्षा व व्यवस्था गम्भीर रूप से भंग होने की एक भी घटना की रिपोर्ट नहीं मिली जो हमारी जनता की सद्बुद्धि का परिचय देता है! इस अवधि में विशेषकर पिछले कुछ महीनों से, राज्य प्रशासन पर वास्तव में असाधारण भार पड़ा और सरकार के लिए तथा व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए यह

संतोषजनक बात है कि यह महान कार्य सुचारु तथा सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हुआ। चुनावों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न हैसियतों में जिस कार्यकुशलता के साथ कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन किया, उसके लिए मैं इस अवसर पर उनकी सराहना करना उचित समझता हूं।

४. हमने अभी ही योजनाबद्ध विकास के दस वर्ष पूरे किए हैं और तीसरी पंचवर्षीय योजना पर कार्य शुरू कर दिया है। पहली और दूसरी योजनाओं में हमने विशेष रूप से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, आम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, रोजगार के साधन बढ़ाने और शिक्षा तथा चिकित्सा सम्बन्धी बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोशिश की है।

५. प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर, राजस्थान में सकल निजी उत्पादन अनुमानतः ४०८.०० करोड़ रुपये का हुआ था। १९५९-६० वर्ष की समाप्ति तक यह १९५४-५५ के मूल्यों के आधार से ४६१.०० करोड़ रुपये तक बढ़ गया। जिसका अर्थ यह हुआ कि ३.३ प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले उसी समय में अखिल भारतीय औसत वृद्धि की दर ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में प्रति व्यक्ति आय १९५४-५५ के मूल्यों के आधार से १९५५-५६ में २३७.०० रु० से बढ़कर १९५९-६० में २४६.०० रु० होने का अनुमान किया गया है। १९६०-६१ के मूल्यों पर १९५९-६० वर्ष की समाप्ति पर प्रति व्यक्ति आय ३१५.०० रु० हो जाने का अनुमान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, थोड़े ही व्यक्तियों को छोड़ते हुए, अनुमानतः करीब ३.७७ लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। गत दस वर्षों में राज्य की कामयाबियों ने, अल्प विकसित अर्थ व्यवस्था में योजनाबद्ध विकास की नीति में हमारा विश्वास दृढ़ कर दिया है तथा उसके प्रभावी होने की बात सिद्ध हो गई है।

६. राज्य में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण योजना को लागू हुए दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में उत्साह की एक बड़ी लहर आ गई है। यह इस बात से भी प्रगट होता है कि १९६०-६१ में लोगों का विकास कार्यों में योगदान ५३,००० रु० प्रति खण्ड से बढ़कर १९६१-६२ में ८०,००० रु० प्रति खण्ड हो गया है। स्थानीय निर्माण-कार्यों तथा कार्यक्रमों के बारे में तीसरी पंचवर्षीय योजना को पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर बनाने के प्रयत्न किए गए थे। इस बात को देखते हुए कि यह अपने किस्म का प्रथम प्रयोग था तथा समय भी बहुत ही कम था, लोगों ने इसमें काफी उत्साहपूर्वक योगदान दिया। योजना बनाने की विधि आम जनता को समझाने के लिये पूर्ण प्रयत्न किया जाता रहेगा और ग्राम पंचायतों को अपनी योजनायें तथा उत्पादन कार्यक्रम,

ग्राम सभाओं से विचार-विमर्ष करके बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। करीब ३,००० गांवों में लोगों ने अपनी उत्पादन योजनायें तैयार की हैं और कुछ जिलों में, मसलन पाली जहां कि सघन कृषि विकास के लिए पैकेज प्रोग्राम प्रारम्भ किया गया है, कुटुम्बवार उत्पादन योजनायें भी तैयार की जा रही हैं।

७. चूंकि विकास तथा प्रशासन सम्बंधी विभिन्न कार्यों में जनता के प्रतिनिधि काफी बड़ी संख्या में सम्मिलित हो रहे हैं अतः उन्हें पर्याप्त और सामयिक प्रशिक्षण दिए जाने का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। इस कार्य को राज्य सरकार ने दृढ़तापूर्वक अपने हाथ में लिया और अब तक पंचायत समितियों के करीब ५,५०० सदस्य तथा न्याय पंचायतों के १,००० से अधिक सदस्य प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम को और विस्तृत किया जा रहा है।

८. उत्पादन कार्यक्रमों को सरकार प्राथमिकता दे रही है। इस राज्य के ८० प्रविशत से अधिक व्यक्ति कृषि या पशुपालन में लगे हुए हैं या जो व्यक्ति इन कार्यों में लगे हुए हैं उन पर आश्रित है। इसलिए इन दो क्षेत्रों में संयुक्त कार्यक्रम की बड़ी आवश्यकता है। बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंचाई की सुविधायें बढ़ाई गई हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र १९५१-५२ में २३.३५ लाख एकड़ था जो कि बढ़कर १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ होगया।

९. यथोचित भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि तथा उन्नत कृषि कार्यों के परिणामस्वरूप, राजस्थान में, जहां पहले खाद्यान्न की पैदावार आवश्यकता से कम होती थी, अब आवश्यकता से अधिक होने लगी है। द्वितीय योजना काल में औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन से बढ़कर ४५.५२लाख टन हो गया। भाखरा, चम्बल व राजस्थान नहर की। योजनाओं द्वारा अधिक सिंचाई प्राप्त होने पर, हम भविष्य में हमारे देश की खाद्य समस्या को हल करने में सहयोग प्रदान करने की पूर्ण आशा कर सकते हैं।

१०. सरकार की नीति के अनुसार सहकारी आंदोलन को जनता की इच्छानुसार धीरे-धीरे सुदृढ़ बनाया जा रहा है। १९५१-५२ में सहकारी समितियों की संख्या ४६०८ थी जो १९६०-६१ में बढ़कर १७६७४ हो गई। १९५१-५२ में गांवों की १.५ प्रतिशत आबादी सहकारीक्षेत्र के अंतर्गत थी जो १९६०-६१ में बढ़कर २४प्रतिशत हो गई है। तीसरी योजना काल में कुल जन-संख्या का ६७ प्रतिशत अंश सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत लिए जाने का प्रयत्न किया जायगा। सहकारी संस्थाओं द्वारा द्वितीय योजना काल के अंत तक १९९७ लाख रुपये ऋण

के रूप में वितरित किये जा चुके थे जो कि प्रथम योजना के आरम्भ की ऋण वितरण संख्या के ११ गुना है। तृतीय योजना काल में सहकारी क्रय-विक्रय के कार्य क्रम के विस्तार के लिए विशेष ध्यान दिया जायगा।

११. बिजली के साधनों के विकास का औद्योगिक तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों के विकास पर काफी असर होता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी गई है। भाखरा और चम्बल जल विद्युत योजनाओं से अधिकाधिक बिजली मिलने से राज्य के काफी बड़े भाग को क्रमशः बिजली की सप्लाई की जा रही है। ऐसे स्थानों पर, जहां किसी भी वर्तमान जल विद्युत योजना से बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, बिजली पैदा करने वाले भाप और डीज़ल के यंत्रों द्वारा बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी पूरी कोशिश की गई है। सरकार ने राज्य में सहकारी बिजलीघर स्थापित करने की एक योजना अभी हाल ही में मंजूर की है और इस योजना से बहुत से कस्बों और बड़े बड़े गांवों को लाभ पहुंच सकेगा। माही और राणा प्रताप सागर बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सतपुड़ा पर्वत पर एक थरमल पॉवर स्टेशन बनाने का निश्चय किया है। इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है और आशा है जल्दी ही काम शुरू हो जायगा। इन परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने पर राज्य के बिजली के वर्तमान साधनों में काफी वृद्धि हो जायगी।

१२. औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और खनिज पदार्थ भी बहुतायत से मिलते हैं। अभी तक यह प्रांत सस्ती बिजली, जल, आवागमन के साधन और प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण अधिक औद्योगिक विकास नहीं कर सका, अब जल और बिजली अधिक प्राप्त होने, परिवहन और संचार साधनों के विकास, ऋण व अनुदानों के जरिये वित्तीय सहायता की व्यवस्था, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था और उद्योगपतियों को उदारतापूर्वक रियायतें देने के सरकार के निश्चय की वजह से यह राज्य अब एक औद्योगिक युग की ओर चल निकला है। दो नये कारखानों अर्थात् उदयपुर में स्पिनिंग मिल्स और कोटा में नाइलोन फैक्ट्री में उत्पादन शुरू हो गया है। किशनगढ़, भीलवाड़ा और भवानीमंडी में कपड़े की मीलों के निर्माण का कार्य संतोषजनक रीति से चल रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य को एक लाख पचास हजार स्पिंडल मिलें हैं जिनका उपयोग न केवल वर्तमान यूनिटों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने में, बल्कि राज्य के विभिन्न भागों म दस नई स्पिनिंग मिल्स स्थापित करने में भी किया जायगा। उदयपुर में जिंक स्मैल्टर और चित्तौड़गढ़ में सीमेंट फैक्ट्री की नींव रख दी गई है। हनुमानगढ़ में फर्टिला-

इज़र फैक्ट्री, कोटा में कैल्शियम कारबाइड, पी० वी० सी० व कास्टिक सोडा प्लाण्ट प्राइवेट सेक्टर में स्थापित किये जायेंगे। आशा है कि उनका निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू हो जायगा।

१३. वर्तमान औद्योगिक संस्थाओं का विस्तार हो रहा है और उनमें से कुछ को तो नवीन पदार्थों का निर्माण करने अथवा अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक लाइसेन्स भी मिल गए हैं।

१४. हाल ही में इस प्रदेश में कुछ बड़े उद्योग स्थापित करने के लाइसेन्स दिये गये हैं जो कि २-३ वर्ष में चालू हो जायेंगे। उनमें से मुख्य इस प्रकार हैं :—

१. साइन्टिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रूमेण्ट फैक्ट्री, अजमेर;

२. वूलन मिल्स, जयपुर और जोधपुर;

३. ऑक्सीजन और एसीटीलिन गैसेज़ मैन्यूफैक्चरिंग प्लाण्ट, जयपुर;

४. वूल टॉप्स और वूलन फैल्ट्स फैक्ट्री, कोटा;

५. एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा;

६. चिप बोर्ड प्लाण्ट, बांसवाड़ा;

७. स्ट्रॉ बोर्ड प्लाण्ट, कोटा;

८. फ्रैक्शनल एच० पी० मोटर्स मैन्यूफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धौलपुर;

९. इलैक्ट्रीकल पोर्सलेन इन्सूलेटर्स प्लाण्ट्स, जयपुर व कोटा;

१०. इलैक्ट्रीकल केबिल फैक्ट्री, कोटा;

११. पेपर मिल, जयपुर;

१२. ग्लास वूल एण्ड ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर;

१३. रोलर फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर।

१५. सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोटा में प्रेसिजन इंस्ट्रूमेण्ट्स

फैक्ट्री और खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टर प्लाण्ट स्थापित किये जा रहे हैं। राजस्थान सरकार डीडवाना में खारे जल से सोडियम सल्फेट निकालने के लिए भी एक पाइलोट प्लाण्ट स्थापित कर रही है।

१६. राज्य सरकार का उन उद्योगपतियों को जो राज्य में निजी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करके राज्य के औद्योगीकरण में सहायता देना चाहते हैं, यथासम्भव, सब प्रकार की सुविधायें प्रदान करने की नीति पर चलने का विचार है। विशेष रूप से सरकार, लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना चाहती है। उपलब्ध साधनों की जानकारी के लिए राज्य के अधिकांश जिलों में औद्योगिक सर्वेक्षण किया जा रहा है। करीब करीब समस्त जिलों में औद्योगिक क्षेत्र अलग ही रख दिये गये हैं। इन क्षेत्रों में जिनका विकास राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, नये उद्योग चालू करने के लिए समस्त सुविधाएं, मसलन रियायती दरों पर जमीन व बिजली दी जायेंगी और जल की व्यवस्था की जायगी। यह भी निश्चित किया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा चलाए जाने वाले दो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे। ऐसे कई क्षेत्र तो स्थापित हो भी चुके हैं। इनके अलाव उन, क्षेत्रों में जहां जनता ने औद्योगिक विकास के प्रति काफी उत्साह दिखाया है विशेष सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जा रहे हैं।

१७. खानों के क्षेत्र में विकास संतोषप्रद रहा है। खानों से आमदनी, जो ६ वर्ष पूर्व ५० लाख रु० से कम थी, अब १ करोड़ रु० हो गई है। अधिकांश वृद्धि अधिक उत्पादन के कारण हुई है, रॉयल्टी की दरों में वृद्धि के कारण नहीं। खान विभाग ने खनिजों का पता लगाने तथा भूगर्भ सम्बन्धी सर्वेक्षण का कार्य जारी रखा है। यह आशा की जाती है कि पलाना लिग्नाइट तथा डूंगरपुर जिले में फ्लोराइट (Fluorite Deposits) की खानों में से उचित रीति से खनिज पदार्थ निकालने का कार्य राज्य खनिज मंडल जो कि इन खानों की निगरानी के लिए बनाया गया है, के पथ-प्रदर्शन में अगामी वर्ष से सफलतापूर्वक शुरू हो जायगा। भारत सरकार के तेल व प्राकृतिक गैस कमीशन ने जोधपुर में एक यूनिट कायम किया है और जैसलमेर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग करने की प्रारंभिक कार्यवाही शुरू की जा रही है। हमें इस महान प्रयास के सफल होने की पूरी आशा है। इससे इस मरु-भूमि की सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था बदल सकेगी और राज्य तथा देश के साधनों में वृद्धि हो सकेगी।

१८. सरकार ने जो एक और सराहनीय कार्य अपने हाथ में लिया है, वह है राज्य में अधिकांश लोगों के वास्ते पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था। ऐसी आशा की जाती है कि

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक समस्त शहरों में जिनमें १०,००० से अधिक आबादी है, तथा इससे कम आबादी वाले कई शहरों में भी वाटर वर्क्स का प्रबन्ध किया जा सकेगा। कई पंचायतों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सहायता क आधार पर समुचित जल प्रदाय की योजना का उत्साह पूर्वक स्वागत किया है। नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्रों में जल योजना स्थापित करने के लिए उत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसमें कि नगरपालिकाएं स्थानीय जनता से ऋण लेकर अपने क्षेत्र में इस प्रकार की योजनाएं चालू कर सकें। अजमेर में जल व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाये जा रहे हैं और बीसलपुर बांध से इस शहर को पानी देने की चेष्टा की जा रही है। राज्य के सूखे भागों में, विशेष रूप से जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, मीठे पानी की खोज में हमें काफी सफलता मिली है और अधिक प्रयास से इस क्षेत्र के लोगों को, जो काफी अरसे तक प्रकृति के प्रकोप से पीड़ित रहे हैं, इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ राहत दे सकेंगे।

१९. पिछली दो योजनाओं की अवधि में जनता के लिए चिकित्सा सम्बन्धी सहायता देने का विशेष प्रयत्न किया गया है। जनता को औसत चिकित्सा-सुविधा प्राप्ति के आधार पर राजस्थान में प्रति १० लाख जनसंख्या पर पलंग व संस्थाओं की औसत इस देश में प्राप्ति सुविधा की इस औसत से आगे बढ़ गई है। यह चेष्टा की जारही है कि तृतीय योजना काल में हर ८,००० जन संख्या की इकाई की चिकित्सा के लिए साधन चाहें वे ऐलोपेथिक हों चाहे आयुर्वेदिक, उपलब्ध किये जायें।

२०. शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की आयु के १४.८ प्रतिशत बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। १९६०-६१ में यह प्रतिशत बढ़ कर ४५.७ हो गया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक इस आयु के ६८.४ प्रतिशत बच्चों के भर्ती किए जाने की आशा है।

२१. पिछले दस वर्षमें ११ से १४ वर्ष की आयु के बच्चों में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या ५ प्रतिशत से बढ़ कर १३.९ प्रतिशत हो गई है। यह आशा की जाती है कि तृतीय योजना काल की समाप्ति तक उक्त आयु के बच्चों में से २४.३ प्रतिशत बच्चे स्कूल जाने लगेंगे।

२२. इसी वर्ष आगामी शिक्षा सत्र से जोधपुर में एक नया विश्वविद्यालय खोलने का विचार है। जयपुर स्थित राजस्थान विश्वविद्यालय की अध्यापन शाखा को

मजबूत बनाने के लिए विश्वविद्यालय को तीन स्थानीय सरकारी कॉलेज हस्तांतरित किये जा रहे हैं।

२३. तकनीकी शिक्षा का विस्तार इस तरीके से करने की कोशिश की गई है कि विविध विकास प्रोग्रामों को पूरा करने के लिये आवश्यक योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सकें। हमें सिविल इन्जीनियर तो आवश्यकता से अधिक प्राप्त हैं लेकिन माइनिंग इन्जीनियरों की कमी पूरा करने के लिए कुछ और इंजीनियरिंग कालेजों में इस विषय को शुरू किया जा रहा है। इस योजना-काल में एक रीजनल इंजीनियरिंग कालेज भी खोलना तय हो गया है। डाक्टरों की आजकल विशेष कमी है इसलिए इस योजना काल में दो और मेडीकल कालेज खोले जा रहे हैं। कृषि और उससे संबन्धित विषयों के अध्यापन सुधार करने के लिए आगामी शिक्षा सत्र में एक "कृषि विश्वविद्यालय" उदयपुर में खोलना तय कर लिया गया है। अजमेर में भारत सरकार ने अध्यपकों के लिए एक रीजनल ट्रेनिंग कालेज खोलने का निश्चय किया है।

२४. राज्य में ऐसे सभी छात्रों को जो बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा ली गई परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास होते हैं और जिनके संरक्षकों की आमदनी २५.०) रु० प्रति माह से कम है, छात्रवृत्तियां देने की एक व्यापक योजना प्रभावशील है। योग्यता व जरूरत के आधार पर भी छात्रवृत्तियां उदारतापूर्वक दी जाती हैं। वास्तव में योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां देकर देश में सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का लाभ उठाने का अवसर देने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार, ऐसे राजस्थानी छात्र और छात्राओं को जो देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए तैयार हों, तथा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के ऐसे छात्रों को जिन्हें राजस्थान में और आगे अध्ययन करने का अवसर दिए जाने के लिए संबंधित राज्य सरकारें सिफारिश करें, छात्रवृत्तियां देने का इरादा रखती है। भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने का सूत्रपात करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

२५. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के हित के लिए बहतर शिक्षा-सुविधाएं, जैसे कि छात्रावास और छात्रवृत्तियां, भूमि-हीन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास योजनाएं, लघु सिंचाई योजनाएं, पेय जल के कुओं और गृह-निर्माण की योजनाएं चालू की गई थीं।

२६. सरकार की श्रम कल्याण सम्बन्धी कार्यवाहियों में सन्तोषजनक प्रगति हुई है।

वर्ष के दौरान में प्रबन्धकों और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध आम तौर पर शान्तिपूर्ण रहे हैं। मजदूरों के लिए अच्छे मकान व अन्य सुविधाएं देने के लिए विशेष चेष्टा जारी रहेगी।

२७. फसल में नुकसान के कारण इस वर्ष अनाज के भाव काफी ऊंचे रहे हैं। यह रवी की फसल अच्छी होने की संभावना से भावों में कुछ गिरावट दृष्टिगोचर है। राज्य सरकार भावों की वृद्धि की समस्या के बारे में पूर्ण रूप से जागरुक है और निरन्तर यह चेष्टा करती रहेगी कि भाव सीमा से अधिक न चले जायं।

२८. गत १० वर्ष के योजना काल में सड़कों के निर्माण कार्य में काफी वृद्धि हुई है। जब कि सन् १९५०-५१ में इस प्रान्त में कुल ११,३७१ मील लम्बी सड़कें थीं द्वितीय योजना काल के बाद सड़कों की कुल लम्बाई १६,७४४ हो गई।

२९. सरकार ने अपनी समस्त सेवा के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित करने व उनमें सुधार लाने की दृष्टि से एक हाइ पावर कमेटी स्थापित की थी। विविध सेवाओं में, एक दूसरे को समझने और परस्पर सहयोग की भावना रखने के उद्देश्य से तथा दृष्टिकोण की समानता उत्पन्न करने के लिये, सभी राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं के अधिकारियों के लिये, अधिकारी प्रशिक्षण स्कूल, जोधपुर में फाउंडेशनल कोर्सेज़ चालू किये गये हैं। इन कोर्सेज़ में, विविध सेवाओं के अधिकारियों को सामान्य रूप से ऐसे विषय पढ़ाये जायेंगे, जो कि उनके सेवा-काल में उन्हें उपयोगी सिद्ध होंगे। सभी सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों के लिए नियमित रूप से रिफ्रेशर कोर्सेज़ चालू करने के लिए एक योजनाबद्ध प्रोग्राम भी बना लिया गया है। अधिकारियों को विशेष अध्ययन-यात्राओं पर अन्य राज्यों में भेजने का भी विचार है।

३०. सरकार ने, राज्य के सरकारी कर्मचारियों की वेतन श्रेणियों को और अधिक सुव्यवस्थित करने, कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत पहुंचाने व उनकी वेतन-श्रेणियों की जांच करने के उद्देश्य से एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने यह सिफारिश करते हुये एक दरमियानी रिपोर्ट पेश की थी कि ऐसे राज्य कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह कुल मिला कर ३००) रु० और कमी बेशी को ध्यान में रखते हुये ३२०) रु० तक हो, कम वेतन पाने वाले कर्मचारी समझा जाना चाहिये और इन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो मंहगाई भत्ता मिल रहा है उसमें फिलहाल ५) रु० माहवार बढ़ाये जाने चाहिये। सरकार ने यह सिफारिश मंजूर करली और ता. १ जुलाई, १९६० से उस पर अमल कर दिया। कुछ समय बाद कमेटी ने एक मुफस्सल रिपोर्ट पेश की। कमेटी की इन सिफारिशों पर भी, कुछ परिवर्तन सहित, अमल किया जा चुका है। नये वेतन-क्रम अतीत प्रभावी रूप में यानी ता० १ सितम्बर,

१९६१ से लागू कर दिये गये हैं। वेतन श्रृंखलाओं (Pay Scales) की संख्या १३५ से घटा कर ३६ करदी गई है। १५०) रु० माहवार से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता घटा कर १०) रु० कर दिया गया है व १५०) रु० से ३००) रु० और कुछ कमी बेशी के कारण ३२०) रु० पाने वाले कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता घटा कर २०) रु० कर दिया गया है। शेष मंहगाई भत्ता वेतन के साथ विलीन कर दिया गया है जिससे कि उन्हें पेंशन में अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा विशेष कथनीय बात यह है कि कम वेतन पाने वाले वर्गों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से १० प्रतिशत पदों के सिलेक्शन ग्रेड कायम कर दिये गये हैं।

३१. कर वसूली के तरीकों को सरल बनाने की चेष्टा की जाती रही है। तब भी राज्य सरकार यह महसूस करती है कि इसमें और अधिक सुव्यवस्था लाने की गुंजाइश है। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि एक हाइपॉवर कमेटी इस मामले की विस्तृत रूप से छान-बीन करने के लिए तुरन्त स्थापित की जाय।

३२. कार्य का उच्च-स्तर बनाये रखने, विलम्ब दूर करने व सरकारी दफ्तरों में कार्य कुशलता को बढ़ाने की समस्याओं की ओर सरकार निरन्तर ध्यान देती रही है। इसी उद्देश्य से सचिवालय में आर्गेनाइजेशन एण्ड मैथड्स का एक विशेष विभाग स्थापित किया गया है। इस सम्बंध में काफी प्रगति हुई है, लेकिन सुधार के लिए गुंजाइश तो सदा ही रहती है। अतएव इस विषय की जांच करने और सरकारी काम-काज को अविलम्ब निबटाने के तरीकों पर विचार करने के लिये एक विशेष समिति का गठन किया जा रहा है।

३३. पिछले वर्ष में सुरक्षा व व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही। इस दौरान में १०७ डाकू पकड़े गये, ५ गोली से मारे गये और २ ने आत्मसमर्पण किया।

३४. अतीत में अपनाई गई नीतियों तथा पिछले वर्षों में प्राप्त की गई सफलताओं जिनमें राजस्थान के नागरिकों ने विशेष रूप से भाग लिया है, के कारण इस राज्य में लोकतंत्र की जड़ें न केवल राजनैतिक बल्कि आर्थिक व सामाजिक रूप से भी मजबूत हुई हैं। निस्संदेह धीरे धीरे तथा निश्चित रूप से एक सहकारी कल्याणकारी राज्य का ढांचा बनता जा रहा है परंतु अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। जिन कामों को करने का हमने अपने सामने लक्ष्य रखा है वे विशाल हैं व उनको पूरा करने के लिए और अधिक दृढ़ संकल्प, त्याग, अनुशासन तथा सहयोग की भावना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि हमारी योजनाओं तथा स्कीमों को कार्यान्वित करने में त्रुटियां हुई हैं और कमियां भी रह गई हैं किन्तु मनुष्य द्वारा किया जाने

वाला कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कि कोई कमी न रह जाय। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हमारी सफलता के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। हमारा रास्ता कठिन और बाधाओं से परिपूर्ण हो सकता है, किंतु यदि हम पारस्परिक मतभेद समाप्त कर देने का निश्चय कर लें, जनता को अपने कार्यक्रमों में शामिल करने तथा उनका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त करने के लिए संयुक्त प्रयत्न करें तो निस्संदेह हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। हम लोकतंत्रात्मक जीवन क्रम अपनाने के लिए वचनबद्ध हैं और समाजवादी ढांचे में अपने समाज को ढालने के लिए इस सदन के समस्त सदस्यगण के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उस हद तक जहां तक कि जनसाधारण के कल्याण के कार्यों का प्रश्न है, एक प्रकार से संधि स्थापित करलें। मुझे आपके विवेक और सद्बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है और आशा करता हूं कि आप इसमें अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे और सद्भावना सहित मेरे इस निवेदन को स्वीकार करेंगे।

३५. अब मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको अपने कार्य में सफलता दे। मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है कि आपके विचार विमर्श एवं वाद-विवाद, लोक-कर्तव्य, उत्तरदायित्व तथा सेवा की उच्च-भावनाओं से पूर्ण होंगे और जो निर्णय लिए जायेंगे वे आदान-प्रदान की मनोवृत्ति से प्रेरित होंगे।

जयहिन्द

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १५ मार्च, १९६२)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
४२	७	कज़ यूमर	कन्ज़्यूमर
४९	२२	कोविनेन्ट	कोवेनेन्ट
६१	२६	तरह से'	तरह' से
६५	अंतिम से २	मैथ्ड्स	मैथड्स
६७	२२	पेस्केल्स	पे स्केल्स
६८	२०	जोकि	जो कि
७०	४	बढ़ाकर	बढ़कर
,,	१०	२५.७१	३५.७१
७२	१	ऊप	ऊपर
,,	२६	आवे	आवें
७७	२	नहों	नहीं
,,	अंतिम	हमा`	हमारे
७८	३	कपीसिटी	कैपेसिटी
,,	१९	बनाना	बनना
८२	१८	उन्हें इस	इस
८३	२४	ऑडिर	ऑडिटर
८३-८४	शीर्षक	१५ मार्म्, २	१५ मार्च, ६२
८७	२०	स्कालर	स्कोलर
९३	शीर्षक	अभिमाषण	अभिभाषण
९४	५	नहीं हैं	नहीं है
९५	१०	व्यवस्था है	व्यवस्था
,,	१३	चलता हैं	चलता है
,,	१४	मी इन	भी इन

१	२	३	४
९५	२६	वे मी	वे भी
१०३	८	आगे बड़े हैं	आगे बढ़े हैं
,,	अंतिम से ३	डेमोक्रेटिक	डेमोक्रेटिक
१०६	३, ८, २७, ३०, ३३ व ३४	सक्टर	सैक्टर
,,	१४	सकण्ड	सैकण्ड
,,	१६	गुन्जायश हैं	गुन्जायश है
१०७	२	सक्टर	और सैक्टर
,,	३	कपिटल	कैपिटल
,,	२४	ओंरके पिटलिस्ट	और केपिटिलिस्ट
,,	३१	बोले	बोल
१०८	५	केपिटलिस्टस	केपिटलिस्ट्स
११०	७	कोम	कौम
१११	३०	और श्योपतसिंह	और श्योपतसिंह के।
११२	शीर्षक	पर बाद-विवाद	पर वाद-विवाद
११३	अंतिम पंक्ति	स्था	व्यवस्था
११४	१०	on such	"On such
,,	१२	in a such	in such
११६	प्रथम	हैं। अच्छी	हैं, अच्छी
११९	१९	अजीब और गरीब	अजीबोगरीब
१२०	३	लघशंका	लघु शंका
,,	२९	घाटोला	(घाटोल)
१२१	१	सायबी 'अन्धा	'सायबी अन्धा
,,	अंतिम पंक्ति	नहीं	नहीं
१२२	११	tnceswhich	tances which

१	२	३	४
१३३	५	इनडिसिकमिनेट	इन्डिस्क्रिमिनेट
१३५	१०	he texpres·	the expres·
,,	अंतिम से २	श्री भैरोंसिह शर्मा (किशनपोल, बाजार,	श्री भैरोंसिंह (किशनपोल,
१३६	२	सारी प्रैसिडिंग्ज	सारी प्रोसीडिंग्ज
१३८	१४	सविसेज	सर्विसेज
,,	२३	मी उस	भी उस
,,	अंतिम पंक्ति	निर्वाजिन	निर्वाचन
१४०	१७	है न	है ना।
१४५	७	कोर्टस	कोर्ट्स
,,	अंतिम से ३	भाषणदिया	भाषण दिया
१४६	शीर्षक	पर वाद-यिवाद	पर वाद-विवाद
१४८	शीर्षक	पर व द विवाद	पर वाद-विवाद
१५१	३	मैं	मैं
१५६	८	जिस; पर	जिस पर
,,	२७	लिपे	लिये
१५७	६	उनके द्वारा बिज्ञापन	उसके द्वारा विज्ञापन
१५७	अंतिम से ३	सा	सारे
१५८	१	बिज्ञापन	विज्ञापन
१६२	१६	क्वाटर्स	क्वार्टर्स
,,	२३	शेडस	शेड्स
१६३	२५	औरब स	और बस
१६४	२१	पाटीं	पार्टी
,,	२६	दूगां	दूंगा
१६८ व १७२	शीर्षक	पर बाद-विवाद	पर वाद-विवाद

१	२	३	४
१६८	६	य	व
१६६	शीर्षक	१५ माच ६२	१५ मार्च, ६२
१७३	८	नेशलानइज़ेशन	नेशनलाइज़ेशन
१७३	२६	वहां	वह
१७५	११	राजस्थान इन्डस्ट्रि	राजस्थान के इन्डस्ट्रि
१७६	शीर्ष	(श्री भैरोसिंह)	(श्री भैरोंसिंह)
१८०	२५	विधिवि भाग	विधि विभाग
१८४	शीर्षक	वाद्-व्रिवाद	वाद-विवाद
१८७	शीर्षक	अभिभाषघ	अभिभाषण
१६३	शीर्षक	महोदद के	महोदय के
,,	६	इन	इस
१६५	अंतिम से ३	छौड़	छोड़
,,	अंतिम से २	औंर	और
१६६	१	खुदाकाश्त	खुदकाश्त
,,	२८	वे	वे
१६८	२७	शेखावटी	शेखावाटी
१६६	७	कर रहे है	कर रहे हैं
,,	२५	निली	मिली
२००	१६	जम न	जमीन
,,	३०	एक माननीय सदस्य अग्रधाल	एक माननीय सदस्य
२०१	शीर्षक	१५ मार्च, ३२	१५ मार्च, ६२
,,	२४	राजस्था न की आर्थिक व्यवस्थ	राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था
२०२	२१	इन वखुहात	इन वजुहात
२०७	२७	जरूरा	जरूरी
२०८	२३	नहीं होती तो नतीज,	नहीं होती तो नतीजा

१	२	३	४
२०६	शीर्षक	१५ नार्च, ६२	१५ मार्च, ६२
,,	५	केवलसाप्रद	केवलप्रसाद
,,	अंतिम से २	पकढ़ कर	पकड़ कर
२१०	२६	बढा	बड़ा
,,	३२	चहोंगे	चाहेंगे
२१४	२	दसरे	दूसरे
,,	१० व ११	गई	गईं
,,	२४	पार्टीज एजेन्ट	पार्टीज़ के एजेन्ट
२१५	१७	हढपने	हड़पने
२१६	अंतिम से ४	जुडोशियरी	जुडीशियरी
,,	७	टीपे काट	टीपें काट
२१६	शीर्षक	१५ माच, ६२	१५ मार्च, ६२
,,	१४	चलता है	चलाता है
,,	अंतिम से ३	भुलावे	भुलावे
२२१	शीर्षक	आभभाषण	अभिभाषण
,,	१०	कार्म	काम
२२५	२१-२२	का अभिभाषण·······मेज नेज	के अभिभाषण·······मेज
२२६	१	राज्यपाख	राज्यपाल
,,	२	अमिभाषण	अभिभाषण
२३०	शीर्षक	————	परिशिष्ट २
,,	१५	जहां भी हूगा	जहां भी हूंगा
२३१	१७	छोढ़ते	छोड़ते
,,	२१	बढ़ी	बड़ी
,,	अंतिम पंक्ति	प्रत्यन	प्रयत्न
२३५	१४	उन, चेत्रों	उन क्षेत्रों

१	२	३	४
२३६	१७	चाहें वे	चाहे वे
२३८	१८	रिफेशर कोर्सेज़	रिफ्रेशर कोर्सेज़
२३९	१५	आर्जेनाइजेशन	ऑर्गेनाइज़ेशन